महानगर नई दिल्ली मंगलवार 22 अक्तूबर, 2019, रु. 5.00 (12 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

शहरों में सुस्ती से हरियाणा में 19 साल में सबसे कम मतदान

दोपहर तक धीमी रही मतदान की रफ्तार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 अक्तूबर।

खबरिया चैनलों के एक्जिट पोल में महाराष्ट्र व हरियाणा में भले भाजपा सरकारों की आसान वापसी का एलान किया गया हो लेकिन दोनों राज्यों में मतदान की सुस्त रफ्तार से सियासी सूरमाओं की धड़कनें बढ़ी रहीं।

मतदान को लेकर शहरी क्षेत्रों के मतदाताओं में उत्साह अपेक्षाकृत कम देखा गया जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतदाताओं की उदासीनता की वजह से हरियाणा में पिछले 19 साल में सबसे कम मतदान रिकार्ड किया गया।

महाराष्ट्र व हरियाणा दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव में मतदान की हुई बहुत धीमी शुरुआत। **शहरी** क्षेत्रों के मतदाताओं ने दिखाई उदासीनता।

सुबह से लेकर दोपहर तक मतदान की रफ्तार बेहद धीमी रही। हालांकि दोपहर बाद मतदान ने रफ्तार पकड़ी। इसके बावजूद हरियाणा में कुल करीब 65 फीसद मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का उपयोग किया।

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में 2014 के विधानसभा चुनाव में 76.54 फीसद बाकी पेज 8 पर

हरियाणा-महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव : मतदान बाद सर्वे

बड़ी जीत संग भाजपा की वापसी का अनुमान

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 अक्तूबर।

विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद के सर्वे (एग्जिट पोल) के पूर्वानुमानों के मुताबिक हरियाणा और महाराष्ट्र में लोगों ने भाजपा में भरोसा जताया है। महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना गठबंधन भारी बहुमत से सरकार बना सकती है। हरियाणा में भी भाजपा को प्रचंड जीत मिलने का अनुमान जताया गया है। अगर ये पूर्वानुमान सच हुए तो कांग्रेस की अगुआई वाले गठबंधन के लिए यह बड़ा झटका होगा। महाराष्ट्र की 288 और हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए सोमवार को मतदान कराया गया। दोनों ही राज्यों के नतीजे 24 अक्तूबर को घोषित किए जाएंगे।

लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा नीत सत्ताधारी गठबंधन की पहली परीक्षा कहे जा रहे इन चुनावों में मोदी का करिश्मा बरकरार रहने के संकेत हैं। राजग द्वारा जारी किए गए सभी एक्जिट पोल के औसत की बात करें तो हरियाणा में भाजपा को 66 सीटें और कांग्रेस को 14 सीटें मिल सकती हैं। इस तरह महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन को 211 सीटें और कांग्रेस गठबंधन को 64 सीटें मिलने का अनुमान है।

दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद आए विभिन्न एग्जिट पोल के नतीजों में विपक्षी गठबंधन की सीटों को लेकर अनुमानों में कुछ अंतर जरूर है, लेकिन सभी में एक बात समान है कि भाजपा की अगुआई वाले राजग को महाराष्ट्र और बाकी पेज 8 पर

हरियाणा में 2014 में भाजपा को 47 सीटें मिली थी, इस बार इससे ज्यादा सीटों का अनुमान। **2014** महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना को 185 सीटें मिली थी, यहां भी पहले से ज्यादा सीटों का अनुमान। **कांग्रेस** व अन्य विपक्षी दलों को दोनों ही राज्यों में भारी नुकसान का आकलन

हरियाणा

सर्वे	भाजपा	कांग्रेस	अन्य
टाइम्स नाउ	71	11	8
जन की बात	57	17	16
न्यूज एक्स-पोल स्टार्ट	77	11	2
टीवी9-भारतवर्ष	47	23	20
राज्य में कुल सीटें 90			बहुमत- 46

महाराष्ट्र

	भाजपा -शिवसेना	कांग्रेस-राकांपा	अन्य
टाइम्स नाउ	230	48	10
एबीपी न्यूज-सी वोटर	204	69	15
इंडिया टुडे-एक्सिस	181	81	26
सीएनएन-न्यूज18	243	41	4
टीवी9 मराठी	219	75	16
जन की बात	223	54	11

'लोकतंत्र को इंटरनेट से हो सकता है अकल्पनीय नुकसान'

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर (भाषा)।

केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया संस्थानों के कामकाज को नियंत्रित करने के नियमों को अंतिम रूप देने के लिए तीन और महीने का समय मांगते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इंटरनेट लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में अकल्पनीय नुकसान पहुंचाने वाला शक्तिशाली हथियार बनकर उभरा है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शीर्ष अदालत को बताया कि प्रौद्योगिकी से आर्थिक तरक्की व सामाजिक विकास हुआ है, लेकिन नफरत भरे भाषणों, फर्जी खबरों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भी बहुत वृद्धि हुई है। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति सूर्यकांत के पीठ ने हलफनामे को रिकार्ड पर लिया। इससे पहले केंद्र की ओर से वकील रजत नायर ने मामले का उल्लेख किया और कहा कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरीज दिशानिर्देश (संशोधन) नियम, 2018 को अंतिम रूप देने के लिए तीन और महीने का समय मांगा।

सोशल मीडिया के कामकाज को नियंत्रित करने के नियमों को अंतिम रूप देने के लिए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा तीन महीने का समय

फेसबुक इंक. द्वारा दाखिल हस्तांतरण याचिका में हलफनामा दाखिल किया गया। याचिका में सोशल मीडिया प्रोफाइलों को आधार से जोड़ने से बाकी पेज 8 पर

राज्यपाल मलिक ने पाक को चेताया

सेना पीओके में आतंकी शिविरों को नष्ट करेगी

श्रीनगर, 21 अक्तूबर (भाषा)।

जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सोमवार को कहा कि यदि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां नहीं रोकी तो सेना देश के अंदर दूर तक घुसेगी और आतंकवादी शिविरों को नष्ट कर देगी।

मलिक की यह टिप्पणी भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई आतंकवादी शिविरों और पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने के एक दिन बाद आई है। भारतीय सेना ने यह कार्रवाई पड़ोसी देश की ओर से 'बिना उकसावे की गोलीबारी' के बाद की थी। मलिक ने यहां एक कार्यक्रम के इतर संवाददाताओं से कहा, 'पाकिस्तान को सही तरीके से पेश आना होगा और इन आतंकवादी शिविरों को बंद करना होगा। यदि वह सही तरीके से पेश नहीं आता तो हम भीतर घुसकर इन शिविरों को नष्ट कर देंगे।'

सत्यपाल मलिक

उन्होंने कहा कि यदि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां बंद नहीं की तो भारत आतंकवादी शिविरों के खिलाफ रविवार से भी कड़ी कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान की बिना उकसावे की गोलीबारी का कड़ा जवाब देते हुए भारतीय सेना ने बाकी पेज 8 पर

घुसपैठ नहीं रुकी तो मुंहतोड़ जवाब देते रहेंगे : राजनाथ

लेह, 21 अक्तूबर (भाषा)।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि भारतीय सेना ने घुसपैठ कराने की पाकिस्तान की कोशिश का मुंहतोड़ जवाब दिया है और अगर पड़ोसी मुल्क ने घुसपैठ कराना बंद नहीं की तो ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।

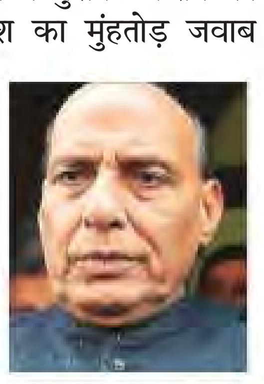

पूर्वी लद्दाख में श्योक नदी पर बनाए गए कर्नल चेवांग रिंचेन पुल के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री सिंह ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया।

अपने संबोधन में सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35ए के अधिकतर प्रावधानों बाकी पेज 8 पर

संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 अक्तूबर।

संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू हो कर 13 दिसंबर तक चलेगा। सरकार ने दोनों सदनों के सचिवालयों को सूचित किया है।

इस सत्र के दौरान सरकार कई महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित कराने का प्रयास करेगी जबकि विपक्ष आर्थिक सुस्ती, जम्मू कश्मीर से जुड़े विषयों सहित अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। सरकार आगामी सत्र में कई विधेयक लाने के साथ ही दो महत्त्वपूर्ण अध्यादेशों को कानून बनाने की योजना पर काम कर रही है। इनमें से एक अध्यादेश सितंबर में आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2019 में संशोधन के लिए जारी किया गया था। दूसरा अध्यादेश भी सितंबर में जारी किया गया था जो ई-सिगरेट और इसी तरह के उपकरणों की बिक्री, निर्माण और भंडारण पर प्रतिबंध से संबंधित है। पिछले दो वर्षों में शीतकालीन सत्र 21 नवंबर को शुरू हुआ था और जनवरी के पहले सप्ताह तक चला था।

'संस्थाओं की नीतियों पर निर्णय देना आरटीआइ कानून के दायरे में नहीं'

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर (भाषा)।

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि किसी संस्थान के नीतिगत मसौदे पर कोई निर्णय देना अथवा नीतियों में बदलाव का निर्देश देना सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून के दायरे में नहीं आता है।

हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) की उस याचिका को खारिज करते हुए की जिसमें 'बाल श्री योजना' के तहत मेधावी बाकी पेज 8 पर

करतारपुर गलियारे पर 23 को दस्तखत की तैयारी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 अक्तूबर।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि वह करतारपुर गलियारे के संचालन के लिए 23 अक्तूबर को पाकिस्तान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने को तैयार है। साथ ही उसने पाकिस्तान से प्रति तीर्थयात्री 20 डॉलर (लगभग 1400 रुपए) का सेवा शुल्क लिए जाने के निर्णय पर पुनर्विचार करने को कहा।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व के पावन मौके पर करतारपुर साहिब गलियारा खोले जाने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं, ताकि भारत से तीर्थयात्री और प्रवासी भारतीय कार्ड रखने वाले लोग पाकिस्तान बाकी पेज 8 पर

पाकिस्तान ने भारत के सभी प्रस्ताव माने, सिर्फ सेवा शुल्क वसूली पर अड़ा। **भारत** ने पाकिस्तान से एक बार फिर सेवा शुल्क पर पुनर्विचार को कहा।

तिवारी की हत्या के आरोपियों पर ढाई-ढाई लाख का इनाम

लखनऊ/मुंबई, 21 अक्तूबर (जनसत्ता/भाषा)।

उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की हत्या के दो आरोपियों पर ढाई-ढाई लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। दूसरी ओर एटीएस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि तिवारी की हत्या के सिलसिले में नागपुर से गिरफ्तार 29 साल का व्यापारी इस मामले में पकड़े गए दूसरे लोगों से लगातार संपर्क में था।

राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि डीजीपी ने तिवारी की हत्या के दोनों आरोपियों पर ढाई-ढाई लाख रुपए यानी कुल पांच लाख रुपए का इनाम घोषित किया बाकी पेज 8 पर

नागपुर से गिरफ्तार व्यापारी पकड़े गए अन्य लोगों के लगातार संपर्क में था।

एसआइटी ने कमलेश हत्याकांड में की कई जगह छापेमारी- पेज 11

हमें 90 वर्षों से निशाना बनाया जा रहा : भागवत

नागपुर, 21 अक्तूबर (भाषा)।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को कहा कि बीते 90 वर्षों से संघ को निशाना बनाया जा रहा है लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि समाज एक है और हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। भागवत ने यह भी कहा कि वह राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नागपुर में मतदान करने के बाद संघ प्रमुख संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उनसे हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की मांग के मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा संघ को निशाना बनाने के बारे में पूछा गया था।

इसके जवाब में भागवत ने कहा, 'हम पर तो बीते 90 वर्षों से बाकी पेज 8 पर

कहा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, समाज एक है और हमेशा एक ही रहेगा।

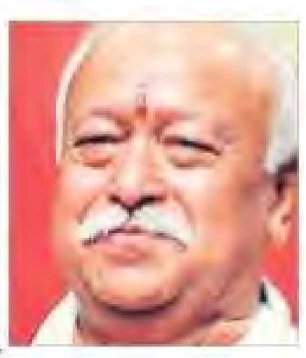

देश में हिंदू नेता असुरक्षित नहीं : भैयाजी जोशी- पेज 8

दरअसल

हर यात्री को मिलेंगे 250 रुपए

पहल कुल 950 मुसाफिरों को होगा 1.62 लाख रुपए का भुगतान

तीन घंटे देरी से चली तेजस, यात्रियों को डेढ़ लाख से ज्यादा का मुआवजा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 अक्तूबर।

उन्नीस अक्तूबर को दिल्ली-लखनऊ तेजस एक्सप्रेस के तीन घंटे से भी अधिक समय से देरी से चलने के मामले में आइआरसीटीसी 950 यात्रियों को 1.62 लाख रुपए का जुर्माना देगा। भारतीय रेलवे के इतिहास में ट्रेन के विलंब से चलने पर मुआवजा देने की यह पहली घटना है।

अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। कानपुर के निकट एक ट्रेन के पटरी से उतर जाने के कारण विलंब हुआ था। दिल्ली-लखनऊ तेजस एक्सप्रेस का लखनऊ से रवाना होने का वक्त सुबह 6:10 बजे का था, लेकिन यह वहां से 9.55 बजे रवाना हुई और दिल्ली पहुंचने के अपने निर्धारित समय दोपहर बाद बाकी पेज 8 पर

भारतीय रेलवे के इतिहास में ट्रेन लेट होने पर मुआवजा देने का पहला मामला

क्यों दिया जा रहा मुआवजा

तेजस एक्सप्रेस देश की पहली निजी ट्रेन है, जिसे आइआरसीटीसी चला रही है। आइआरसीटीसी चाहती थी कि इस ट्रेन की उपभोक्ता सेवा गुणवत्ता और इसके बारे में लोगों का अनुभव दूसरी ट्रेनों से अलग हो। तेजस में कुल 758 सीटें हैं, जिनमें 56 सीटें एग्जीक्यूटिव क्लास की और बाकी सीटें एसी चेयर क्लास की हैं। इस ट्रेन के यात्रियों का अनिवार्य रूप से 25 लाख रुपए का बीमा कराया जाता है। इसमें यात्रा के दौरान सामान खोने या चोरी होने पर एक लाख रुपए तक का बीमा भुगतान भी शामिल है। इसी व्यवस्था के तहत आइआरसीटीसी ट्रेन के लेट होने पर यात्रियों को मुआवजा दे रही है।

विदेश में है ऐसी व्यवस्था

ट्रेन लेट होने पर यात्रियों का मुआवजा देने की व्यवस्था दुनिया के कई देशों में है। जापान में ट्रेन लेट पर होने पर रेलवे कंपनी यात्रियों को एक प्रमाणपत्र जारी करती है, जिसे वे अपने ऑफिस, स्कूल, विश्वविद्यालय परीक्षा में देरी से पहुंचने के कारण के रूप में पेश कर सकते हैं। पेरिस और लंदन में ट्रेन के लेट होने या रद्द होने पर मुआवजा दिया जाता है। नॉर्वे और फिनलैंड में ट्रेन के आधा घंटा से ज्यादा देर होने पर यात्रियों को किराए का 50 फीसद मुआवजे के रूप में लौटाया जाता है।

पहली बार यह ट्रेन लेट हुई। यात्रियों से खेद जताया गया और उनकी यात्रा को यादगार बनाने के लिए दोपहर का भोजन मुफ्त दिया गया। हर यात्री को सॉरी लिखे स्टीकर वाले स्नैक्स परोसे गए। देरी की वजह से रिफंड के लिए पैसेंजरों को लिंक भेज दिया गया है।
-अश्विनी श्रीवास्तव, मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, आइआरसीटीसी

epaper.jansatta.com

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I,Rakesh Singh S/O-Ram Singh R/O-A-333,Gali.No-2/1,Ambika Vihar,Shiv Vihar,Delhi-94,have changed the name of my minor daughter Satuti to Stuti for,all purpose. 0040516823-1

I,Purnima D/O Ramesh Kumar R/O-C-127,Kunwar Singh Nagar,Gali.No-11,Nangloi, Delhi-41,have changed my name to Purnima Panchal for all purpose. 0040516849-2

I,Punam D/O late Sohan Lal R/O 418,G-Block,Shakur Pur,J.J.Colony,Tri Nagar,Delhi-34,have changed my name to Poonam for all purpose. 0040516849-3

I, hitherto known as Parveen Kumar S/o Sh.Shankar Dass, employed as Superintending Engineer (E&M) in Delhi Jal Board, Govt.of NCT of Delhi, residing at-98A Pocket-B Dilshad Garden, Delhi-110085, have changed my name and shall hereafter be konwn as Parveen Kumar Gupta 0040516895-5

I, Zarqa Mehjabeen W/o Raisuddin R/o-790, Chatta Sheikh Mangloo, Jama Masjid, Delhi-110006. have changed my name to Zarqua Mahjabeen. 0040516877-3

I, Yogesh S/o Guru Baksh R/o-61, T.C.Camp, Pandav Nagar, N.Delhi-110008 that my mother's name is wrongly written as Shambala in my 10th-Class Certificate.But my mother actual name is Shyam Kala. 0040516855-5

I, Yash Pal Utreja S/O Om Parkash R/O-A-1253, Gharoli-Dairyfarm, Mayur Vihar Phase-3, Delhi-110096 Changed My Name To Yash Pal. 0040516877-4

I, Vivek Kumar Sharma R/o-1B/68, Single-Storey, Ramesh Nagar, N.Delhi-110015 have changed my minor son's name Sarvin Shandilya to Sarrvin Shandilya. 0040516855-3

I, Virender Dogra S/o Prakash Chand Dogra R/o-A-159, Ashok-Vihar, Phase-1, New Delhi-110052. have changed my name to Virender kumar. 0040516841-7

I, Vinod Bhatia S/o Lal Chand Bhatia R/o-42/6, Shastri Nagar, Delhi-110052, have changed my name to Vinod Kumar Bhatia. 0040516841-5

I, Urmila Devi W/o, Sumeet Sheokand R/o M-639 Ground Floor, M2k Symphony Floors, Sector-54, Gurgaon (HR) 122018 have changed my name to Urmila Solanki Sheokand. 0040516817-1

I, Thakrar Chandreshkumar Jitendrabhai S/o Jitendra Bhai R/o-1/33 First Floor Roop-Nagar Delhi-110007. changed my name to Chandresh Thakarar. 0040516866-4

I, Sunita D/O Sonu Bhokare R/O A-13, Shiv Mandir Mohalla, Badli Gaav, Libas Pur, North West Delhi, Delhi - 110042 have changed my name from Sunita to Kamal for all future purposes. 0040516826-1

I,Retika D/O Ramesh Kumar R/O C-127,Kunwar Singh Nagar,Gali.No-11,Nangloi, Delhi-41,have changed my name to Retika Panchal for all purpose. 0040516849-1

I, Sudhir Gupta S/o Chander Bhan Gupta R/o-Villa No.103, Sector-1, Aditya World City, KaviNagar, Ghaziabad have changed my name to Sudhir Kumar Gupta. 0040516841-4

I, Sonoli Gupta D/o Sandeep Gupta R/o-H.No.2343 F/F Hudson Line Kingsway Camp Delhi-09, have changed my name to Sonali Gupta 0040516895-2

I, Sneh Lata Gupta D/o Jage Ram Gupta W/o Anil Kumar R/o 1499 Gali Ranjeet Sangatrashan Paharganj N.Delhi-110055 changed my name to Sneh Lata. 0040516835-7

I, Shubham S/o Virender Gupta R/o 10129, Katra Chajju Pandit, East Park Road, Karol Bagh, Delhi-110005 have changed My Name to Shubham Gupta 0040516869-1

I, Shalooni Singh D/o,Subhash Singh W/o Gulshan Kumar R/o, A-177, Gali-04, Part-5, Sonia-Vihar, Sabapur, Delhi-110094, have changed my name to Saloni Gupta. 0040516855-7

I, Shakti Malhotra W/O Ajit Pal Singh Nagi R/O-63, Jai-Triveni Apartment, H3-Block, Vikaspuri, Delhi-110018. Changed My Name To Jasleen Kaur Nagi. 0040516895-1

I HAV Bhupendar Singh Palani AMC Centre and College Cantt Lucknow. In my service record my wife's name is wrongly entered Bhagwati. In future my wife's name is known as Bhawana Palni. D.O.B 08.07.1978 date of marriage 20.05.1998. 0060070274-8

I HAV Bhupendar Singh Palani AMC Centre and College Cantt Lucknow. In my service record my son's name is wrongly entered Chetan Singh Palni. In future my son's name is known as Chetan Palni and D.O.B 11.10.2001. 0060070274-10

व्यक्तिगत

I, Sanjeev Kumar Sharma S/o Sh.Ghanshyam Dass Sharma R/o S-50, Gali No.28, South Anarkali, Delhi-110051 have changed the name of my minor daughter from Nitiya Sharma to Nitya Sharma for all purposes. 0040516792-2

I, Sandeep Kumar S/o Sh. Triveni Singh R/o 149B, Pocket-A, Dilshad Garden, Delhi-110095 have changed my name from Sandeep Kumar to Sandeep Kumar Singh for all purposes. 0040516818-1

I, Sahil S/O, Sharwan Kumar R/o 365/5,Ganaur, Near Jain Mandir, Sonipat, HR-131101 have changed my name to Sahil Wadhwa for all purposes. 0040516877-7

I, Rubina Arora W/o Sh. Raj Arora R/o 170/14, Street No.2, East Azad Nagar, Krishna Nagar, Delhi-51 have changed my name Rubina Kumar to Rubina Arora for all future purposes. 0040516569-3

I, Rozy Singh W/o Nand Kishor Singh R/o-182, G/F, Deep-Enclave, Vikas-Nagar, Uttam-Nagar, New Delhi-110059, have changed my name to Putul Devi, for all purposes. 0040516835-1

I, Rohan Kumar S/o Brijesh Chauhan R/o H.No.1/1623, Mansarover Park, Shahdara, Delhi-1100032 have changed my name to Rohan Chauhan. 0040516841-2

I, Rita Sharma W/O Sh.Sanjay Kumar Choudhary R/O-Flat No.155, Om-Apartment, Sector-14, Pocket-2, Dwarka, N.Delhi-110078, Have Changed My Name From Rita Sharma To Reeta Sharma, For All Future Purposes. 0040516835-5

I, Rekha Mongia W/o Lalit Arora R/o 5/21A, Moti Nagar, PO: Ramesh Nagar, Delhi-110015 have Changed My Name to Kanchan. 0040516869-2

I, Ravinder S/o Jai Narayan Sahu R/o-279/7, I-Block, Harinagar Extn., Jaitpur, Badarpur, Delhi-110044. have changed my name to Ravinder Sahu. 0040516877-2

I, Ravinder Kumar Sharma S/o Bhim Sain Sharma R/o-592/20-B/1 Sahdev Gali, Vishwas Nagar Delhi-110032, have changed my name to Ravinder Kumar for all purposes 0040516895-3

I, Ravi Kumar Hajela S/O Rakeshwari Prasad Hajela R/O-A-32, Navbharat Times-Apartments, Mayur Vihar-1, Delhi-110091. Changed My Name To Ravindra Kumar Hajela. 0040516877-6

I, Sheela W/o Subedar R/o-A-20 Police Colony Sector-12 R.K.Puram New Delhi-110022 have changed my name to Sushila. 0040516866-5

I, Rajeev Sharma S/o Late Sh.Naresh Kumar Sharma R/o H.No. J-83/4, Gali No.15, Shashtri Gali, Near Dak Khana Wali Gali, Kartar Nagar, Garhi Mendu, North East Delhi-110053 have changed my name to Rajiv Sharma for all purposes. 0040516792-1

I, Rahul Dev Shakya R/o S1-816,carnation Tower, Gaur Sundaram, Plot No. Gh 05c, Sector Tech Zone -4 Greater Noida West have changed my minor son's name from Ishan to Ishan Dev Shakya. 0040516862-1

I, Pratap Sharma S/o Naresh Kumar Sharma R/o-WZ-304, Gali No.12, Lajwanti-Garden, New Delhi-110046 have changed my name to Pratap Rattan. 0040516855-1

I, Pranshu S/o Makhan Lal R/o H.No.56, 2nd Floor, MD-Block, Pitampura, Delhi-110034 have changed my name to Pranshu Vats permanently. 0040516855-6

I, Parveen W/o Sh. Rajesh Mehta R/o C-57, Fateh Nagar, New Delhi have changed my name from Parveen to Kirti Mehta for all future purposes. 0040516796-1

I, Naveen Kumar S/o Ishwar Singh Sharma R/o C-3/12 Sector-11, Rohini Delhi-110085 have changed my name to Naveen Kaushik. 0040516866-2

I, Naveen Kumar S/O Bishamber Nath Malik Hno.22/33a, Tilak Nagar, Delhi-110018. Have Changed My Name To Naveen Kapur. 0040516866-6

I, Mithlesh W/o Naveen Kaushik R/o C-3/12 Sector-11 Rohini Delhi-110085 have changed my name to Mithlesh Kaushik. 0040516866-3

I, Md.Taufeeque Umar, S/o Abdul Quadir, R/o-P-103B/3B, PahalwanChowk, Batla-House, Jamia-Nagar, N.Delhi-110025, have changed my name from Md.RiyaulHaque to Md.Taufeeque Umar for all purpose. 0040516877-8

I, Kusum Lata R/O House No MCF.3502, Sanjay Colony Gali No. 17 Sector 23 Faridabad Sector 22, Haryana 121005 Have Changed My Name To Kusum Prajapat ForAll Purposes 0070679801-1

I, Jitender Kaur W/O Surinder Singh R/O-17/65-A FF Tilak Nagar New Delhi Have Change My Name To Jatinder Kaur. 0040516866-7

I, Gopal Kumar Mandal, S/O Hari Ram Mandal R/O-E-317, New Ashok-Nagar, Vasundhara Enclave, Delhi-110096, Changed My Name To Gopal Mandal. 0040516877-1

I, Manish Rai Goyal S/o Prahalad Rai Goyal R/o-B-404, Sai-Baba Apartment Sector-9, Rohini Delhi-85, changed my name to Manish Goyal. 0040516841-1

I, MOHINI DEVI KAIRA w/o Gopal Singh Kaira r/o L-1/683, Gali-9, Sangam Vihar, Delhi-110062 have changed my name to Munni Kaira. 0040516791-2

I, Lalit Kumar S/o Chander Bhan R/o 5/21A, Moti Nagar, PO: Ramesh Nagar, Delhi-110015 have Changed My Name to Lalit Arora 0040516869-3

I, Km. Ravita W/o, Anil Tomar R/o D-715, Sg Homes, Sector - 3, Vasundhara Ghaziabad 201012 have changed my name to Ravita Tomar for all purposes. 0040516850-1

I, Kailash Pandey S/o Ballabh Pandey R/o RZ-D-56A,D-Block Gali No-6, Syndicate Enclave New Delhi,110045 Have Changed my name Kailash Chand Pandey for all purposes. 0040516569-3

I, JC-730767N Sub-Krishan Chander of OD-Shakurbasti, New Delhi, affirm that name of my twins Ward are wrongly-recorded in my service documents as Sachin Kumar & Kumari Anu instead of correct-names Sachin Narwal & Anuradha Narwal. 0040516855-4

I, Indra Sukhija W/O Raj Kumar Sukhija, R/O-A-1402, Prateek-Edifice, Sector-107, Noida, U.P-301201.,Changed My Name To Indra Rani Sukhija. 0040516877-5

I, Imrana Ansari D/O Mohd Usman Ansari R/O-C-16, Rani-Garden, Geeta-Colony, Delhi-110031, have changed my name to bank account in SBI Imrana D/o Mohd Usman for all future purposes. 0040516841-8

I, Maha Singh S/o Sh. Prabhu Dayal R/o H.No. 18 VPO: Surhera, New Delhi-110043 have changed my name from Maha Singh Yadav to Maha Singh for all future purposes. 0040516831-1

I, Ikrar Husain S/o Ameer Husain R/o 612 Gali No.26 Jafrabad New Delhi-110053, have changed my name to Iqrar Husain 0040516838-1

I, Hanif Khan S/o Babu Khan R/o S-2A/12, Joga Bai Extn, Batla House, Jamia Nagar, Okhla, Delhi-110025 have changed my name from Mod Haneef and Hanif Ahmad to Hanif Khan 0040516806-1

I, Fuljens Bara S/o Sh. Stanisias Bara R/o H.No.CH-614, Pappu Colony, Chandan Hola, Fatehpur Beri, New Delhi-110074, have changed my name to Fulgins Bara for all purposes. 0040516825-1

I, Ejaz Bin Amir alias Shaikh Ejaz Bin Amir alias Ejaz Amir s/o Amir Ali Alquadri R/o D-144/13 Zakir Nagar New Delhi 110025, have changed my name from Shaikh Ejaz Bin Amir alias Ejaz Amir to Ejaz Bin Amir, permanently. 0040516799-1

I, Durga Shakar Durgesh S/O Upendra Nath Thakur Add-DDA-Flatno.1274, Ground-Floor, Sec-A, Pocket-B-&-C, VasantKunj, N.Delhi-110070. changed my name Durga Shankar Durgesh. 0040516835-6

I, Chand Alam S/o Late Ilayash R/o Jhuggi No.M-3, Raghubir Nagar, J.J.Colony, N.Delhi-110027 have changed my name to Zubair Ahmad. 0040516855-2

I, BHOPAL SINGH KAIRA s/o Bache Singh Kaira r/o L-1/683, Gali-9, Sangam Vihar, Delhi-110062 have changed my name to Gopal Singh Kaira. 0040516791-4

I, Apoorv Jha S/o Alok Kumar Jha R/o A-53,Sector-19 Noida(U.P.),have changed my name from Apoorv Kumar Jha to Apoorv Jha for all future purposes. 0040516814-1

I, Anil Kumar Gupta,R/o E-6030,Devinder Vihar,Sector-56, Gurgaon have changed my minor son's name from Siddarth to Siddarth Gupta for all future purposes 0040516565-1

I, Anil Kumar Chowdhary S/o Sewa Ram Chowdhary R/o 98, Block-4, Subhash Nagar, PO: Tagore Garden, Delhi-110027 have Changed My Name to Anil Choudhary 0040516869-4

I, Anees Ahmed S/O Mohd.Hasim Ansari R/O-T-98, Factory-Road, Nabi-Karim, Paharganj, New Delhi-110055, Have Changed My Name Anees Ahmed Ansari For All Purposes. 0040516835-8

I, Aliya D/o-Mohammed Zakarya R/o-House.No-92, Ward.No-6, Madeena Colony, Nuh,Mewat Nuh, Haryana-122107,Have Changed My Name To Aaliya Zakarya For All,Future Purposes. 0040516814-2

I hitherto known as Aditya Chander Singh alias Aditya Singh S/O Sh.Prem Singh R/O-FF-4, 5/415 Sector-5 Vaisahali I.E. Shahibabad Gaziabad U.P.-201010, have changed my name and shall hereafter be known as Aditya Singh. 0040516841-6

I Army No-JC-704142 Umesh Kumar Pandey Nb/SUB Unit-AMC centre & College Lucknow.In my service record my wife's name is wrongly entered Depali. In future my daughter's name is known as Deepali Pandey. 0060070274-4

व्यक्तिगत

मैं इंदिरा पत्नी श्री हरि सिंह निवासी 76-ए, पॉकेट बी, मयूर विहार, फेस 2, नई दिल्ली सत्यनिष्ठा से यह पुष्टि व घोषणा करती हूं कि मेरा सही नाम इंदिरा है जबकि मुझे इंदु के नाम से भी जाना जाता है। अतः अब से भविष्य में सभी कार्यों हेतु मैं इंदिरा नाम का प्रयोग करुंगी।

छैलकुंवर पत्नि उमरावसिंह निवासी खिरजा आशाँ तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर (राजस्थान) का नाम छैलकुंवर (CHELUKANWAR) से छैलुंकवर (CHHAILU KANWAR) किया न्यायलय जोधपुर के समक्ष 19 अक्टूबर 2019 को शपथ पत्र द्वारा परिवर्तित किया गया है।

I, Akshra D/o Lalit Aneja R/o B-156, Subhadra Colony, Sarai Rohilla, Delhi-35, have changed my name to Isha Aneja for all purposes. 0040516835-10

I, Akhalaku Rehman S/o Fazlu Rehman R/o 904, Second Floor Gali Kuppe Wali Bazar Ballimaran Delhi-110006, have changed my name to Akhlaq Ur Rehman 0040516838-2

I, Ajay Kumar S/o Om Prakash R/o E-69 ManglaPuri Village-Palam New Delhi-110045 Changed my name to Ajay Kumar Atri. 0040516835-3

I, Aditya Syamdas Menon S/o, Syamdas Balakrishna Menon R/o 33b Chhatra Marg Delhi 110007 have changed my name to Aditya Menon. 0040516830-1

I, Aditi Kapoor W/O Sh. Sachin Gupta R/O H. No. 557, Gali Lodhan, Kucha Pati Ram, Sita Ram Bazar, Delhi - 110006 have changed my name from Aditi Kapoor to Aditi Gupta for all future purposes. 0040516829-1

I, Aakash Pal S/O Prem Singh R/O 202, Pitampura Village, Delhi-110034. Have Changed My Name To Akash Pal. 0040516835-9

I Tinku S/o Bharat Bhushan R/o House No. 1740, Jawahar Colony ward no. 5 Faridabad Haryana 121001 Have changed My Name To Tinku Kathuria For All Purposes 0070679802-1

I Simran Mehra D/o Devinder Nath Mehra R/o 1314, Vasto-1, Mahagun Mansion, Vaibhav khand, Indirapuram, Ghaziabad have changed my name to Mysha Mehra. 0040516816-1

I Sandeep Kumar Agrawal S/O Ashok agrawal Add-Gendaul-Tibara Badi D.P ke-pass , Laxmi-colony, Dabra, Gwalior, MP-475110. changed my name Sandeep Agrawal 0040516841-3

I Reena Dubey Alias Sonia Sharma D/o Omparkash Dubey W/o Anil Masih R/o B-36/25, Vikas Nagar,Pakhowal Road, Model Town, Ludhiana, Punjab-141002, have changed my name to Sonia Sharma 0070679815-1

I Pradeep Kumar Gupta S/O Late Shri.Ganga Prasad Gupta, R/O-F-33-A Street-No.9, Subhash-Chowk Laxminagar Delhi-110092, Have Changed My Name Pradeep Kumar Gupta To Pradeep Gupta, For Future All Purposes. 0040516835-4

I Pooja Manger D/O Budha Das R/O 62A, Basant-Gaon, Vasant Vihar, New Delhi-110057 Have Changed my Name to Puja Das. 0040516835-2

I Neha alias Neha Atri D/o Anil Kumar and W/o Ankur Atri R/o Badi Garhi, Rajlu (103), Ganaur, Sonipat, Haryana-131101, have changed my name to Neha Atri 0070679806-1

I NK Narayan Pawar ADM Batalian AMC Centre & College Lucknow. In my service record my wife Mayuri Narayan Pawar's D.O.B is wrongly entered 27.08.1992. In future my wife's D.O.B is Known as 27.07.1992. 0060070274-6

I Monica Dhawan Alias Rasica Arora D/o Lal Chand Dhawan and W/o Rajan Arora R/o 270. Tilak Nagar, Amritsar-II, Amritsar, Punjab-143001, have changed my name to Rasica Arora 0070679804-1

I Mehdi S/O Abdul Miyan R/O-RZ-21,B-24, Ravi Nagar, Chaukhandi, New Delhi-110018 Have Changed my Name to Imam Mehdi. 0040516866-1

I Army No-JC-704142 Umesh Kumar Pandey Nb/SUB Unit-AMC centre & College Lucknow.In my service record my wife's name is wrongly entered Lelevathi Pandey. In future my wife's name is known as Lilawati Pandey. 0060070274-2

I Anand Kumar Goel S/o-Sagar Mal Goel R/o-House No.53, Pocket-D-13, Ground Floor, Sector-8, Rohini, Delhi-110085 have changed my name to Anand Goel for all purposes. 0040516820-1

I Aarti Devi W/o Shatish Kumar Tripathi, R/o Samridhi Apartments B1A-101 Dwarka Sector 18B, Delhi 110075, Have Changed My Name To Aarti Tripathi 0040516836-1

I, Priyanka Gulati D/o Sh. Arun Kumar Gulati R/o-705, 3rd Floor, Gali No 4, Sri Nagar, Rani Bagh, New Delhi-110034 have changed my name from Priyanka Kukreja to Priyanka Gulati for all future purposes. 0040516801-1

I, Taj. Mohd Khan. S/o Mihi Lal Khan. R/o-A-58 Gali.No.3 Chand-Bagh Delhi-110094 have changed my name to Taj Mohammad Khan. 0040516583-1

खोया+पाया

ओरिजनल पोजेशन लेटर, एलाटमेन्ट लैटर व शेयर सर्टिफिकेट, जो फ्लैट नं.- बी-63, मानस अपार्टमैन्ट, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, मयूर विहार, एक्सटैंशन, दिल्ली-91 के थे, खो गए हैं, जिसे मिले सूचित करे, सन्दीप चतुर्वेदी पुत्र स्व. एल.डी. चतुर्वेदी, 5008, सिरकीवालान, दिल्ली-06, #8447227034

मेरी बेटी दिव्या चौधरी, कक्षा दसवीं, रोल नम्बर 5181948, सत्र 2011-2013 सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली के मूल प्रमाण पत्र खो गये हैं। यदि किसी को मिले तो कृपया देवेंद्र सिंह पुत्र आर.पी. सिंह निवासी 206, वृंदावन ग्रीन, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद (उ.प्र.) को सम्पर्क करें।

It is notified to inform that my original Qualifying Examination-Certificate of 10th Class Roll No-T/5554/002 issued by ICSE Board & 12th Class Roll-No.203141 issued by West Bengal Board, Graduation Roll No-08521616022,by (GJUST, Hisar), Pan No-EGVPS5827N has been actually lost. Abhinav Saha S/o Ramesh Prasad Gupta R/o Judge Kothi,Shekhpura,Madhupur. 0040516805-1

I, SHAGUFTA D/o Mursleem R/o-F-190 St No-2 chandbaghi Delhi-94 have lost my original certificate class-10th year-2008 Roll no-6340848 CBSE-Delhi. 0040516866-10

PUBLIC NOTICE

PUBLIC NOTICE IS HEREBY GIVEN TO THE PUBLIC at large with the fact that Smt. Pinky Mathur & smt. Sangeeta Galgotia are the jointly owners in possession of the DDA flat No.78A, Ground Floor, in Pkt-GD-II, Vikaspuri, Delhi (Property). That the Original Allotment Letter dated 20.03.1986 by DDA in favour of Harmel Kaur Binder & Original Deed of will dated 10.01.1997 by Smt. Devi Rani favouring Smt. Veena Bhatia & veena Rani relating to the aforesaid property have been lost somewhere. An FIR /NCR to that effect has been already lodged to Crime Branch, Delhi Police vide LR No:1748476/2019 on 18/10/2019.

Any person(s) dealing in any way with the said property shall do so at his/her own peril as the same shall be considered legally null and void.

Anybody aware of any such persons claiming any right, interest, title based on the said Allotment letter & Will Deed, or being found in possession of the same, may please write to/contact Mr. Vishnu Kumar, Advocate, at his office-Chamber No.5, Ground Floor, Rohini court, Delhi and on his Mobile No. +91-9650267092 within 7 days from the date of publication of this notice

संपत्ति

मकान नंबर-25-ए तीसरी मंजिल छत के साथ, ओम विहार, ब्लॉक A, फेज-5, उत्तम नगर, दिल्ली को किराए पर उपलब्ध, 2 कमरे बाथरूम चौड़ी गली, किराया 11000, हरी शंकर बंसल 9811545444

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that my clients (I) Mohd. Shahid, S/o Sh. Saddik, and his wife namely Smt. Sakila, W/o Sh. Mohd. Shahid, both R/o H.No.771/16, Gali No.12-13, Raj Nagar-II, Palam Colony, New Delhi-110077 also at RZF-772/20, Gali No.13, Raj Nagar-II, Palam Colony, New Delhi-110077, and permanent address at Village-Aayad Nagar, Post & P.S. Babu Garh, Tehsil and Distt. Hapur (U.P.) have severed all their relationship with our son namely Sh. Maulana Mohd. Javed and his wife namely Smt. Shahana Parveen @ Bilkes, W/o Sh. Maulana Mohd. Javed, Both R/o H.No.771/16, Gali No.12-13, Raj Nagar-II, Palam Colony, New Delhi-110077, due to their cruel, disobedient/ behaviour and non-cooperative manner, as they are no longer in our control. My clients have disowned them from all their movable and immovable properties situated (acquired) any where in Delhi and out of Delhi in India i.e. (i) RZF-772/20, Gali No.13, Raj Nagar-II, Palam Colony, New Delhi-110077, (ii) H.No.771/16, Gali No.12-13, Raj Nagar-II, Palam Colony, New Delhi-110077 and (iii) A built up house situated in Village- Aayad Nagar, Post & P.S. Babu Garh, Tehsil and Distt. Hapur (U.P.) etc. Any one dealing with both of them shall do so at his own risk and my clients shall not be held liable in any of their dealings with any third party in any transaction whatsoever. My clients shall not be liable and responsible in any manner for any acts i.e. criminal/ civil/ deeds and things done by them.

CHANDAN KUMAR (ADVOCATE)
CH.-C.K. DAPHTARY LAWYER'S CHAMBER BLOCK, CONFERENCE HALL, SUPREME COURT OF INDIA NEW DELHI-110201
Mobile : 9891703623

PUBLIC NOTICE

This is to inform to the public at large that original allotment letter dated 25.07.2011 issued in the name of Original Allottee Smt. Purnima Gambhir, Membership no. 36 of property bearing Flat No. 107, First Floor, Udyog Sheel Mahila Sahkari Samiti Complex (US Complex), 120, Mathura Road, Opposite Apollo Hospital, Sarita Vihar, New Delhi-110076 (now HUF Property) after purchasing by my client Shri Rajesh Kumar Jain [Karta of M/s. Rajesh Kumar Jain (HUF)] S/o Shri Gyan Chand Jain R/o Plot No. 11, Ground Floor, Pocket-2, Jasola Vihar, New Delhi-110025 from Smt. Purnima Gambhir through a registered Sale Deed vide Registration No: 9260, in Book No. 1, Vol. No.14027 on pages 108 to 115 dated 05.10.2015 registered with the Sub-Registrar-V, Delhi has been lost on 10.09.2019 and my client tried his best to find the same but it is not traceable, therefore, he made a complaint vide L.R. No. 1569103/2019 dated 16.09.2019, P.S. Crime Branch, Delhi. If anyone finds, please contact Mr. Rajesh Kumar Jain (Karta of HUF), Mobile No. 9811944909.

Sd/-
VIJAY SINGH
Advocate
Enl. No. D-2260/99
DELHI HIGH COURT
Ch. No. 18-A/P-22
Post Office Lane
Tis Hazari Court Delhi-54

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किलगण कमल राय महरोलिया पुत्र सुमेर सिंह व इनकी पत्नी संजा निवासीगण 10-सी/49, वसुन्धरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201012 ने अपनी पुत्र चंदशेखर व इसकी पत्नी नीतू को उनके दुव्यवहार व कहना न मानने व ससुराल वालों के बहकावे में आने के कारण एवं गलत चाल चल की वजह से अपनी अचल सम्पत्ति से बेदखल कर संबंध-विच्छेद कर लिये हैं। भविष्य में इन सभी के किसी भी अपराधिक एवं दीवनी कार्य व लेन देन के लिए मेरे मुवक्किलगण व उनका परिवार जिम्मेदार नहीं होगा।

हस्ता./-
राजीव प्रताप सिंह (एडवोकेट)
Enrl. No. D/255/09

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल धर्मपाल व इनकी पत्नी जगवती, दोनो निवासी मकान नं. 1/775, ग्राम खेडा, जी.टी. रोड शाहदरा दिल्ली-95 ने अपनी पुत्री निवानी पत्नी अरूण को उसके परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करने व उसके दुर्रव्यवहार के कारण अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है इनके किसी भी कृत्य के लिये मेरे मुवक्किल जिम्मेदार नहीं होंगे।

सुलेखा ठाकुर (एडवोकेट)
एनरोलमेन्ट नं. डी-395/07

PUBLIC NOTICE

My client Gulshan Kumar Bajaj S/o Late Shri Amar Nath Bajaj R/o 3/60, Old Rajinder Nagar, New Delhi-110060 wants to revoke/cancel the general power of attorney dated 12th December, 2017 and special power of attorney dated 06th June 2018 granted in favour of Sh. Puneet Sharma S/o Sh. Brham Shankar Sharma, R/o 680, Double Storey, Ground Floor, New Rajinder Nagar, New Delhi-110060.

TARUN SATIJA (Advocate)
33, Top Floor, Babar Road, Bengali Market, Connaught Place, New Delhi-110001

PUBLIC NOTICE

On behalf of my client Smt. Parvati W/o Sh. Nand Kishore R/o H.No. 13/14 Gali No. 8, Near Yadav Properties, Sukhbir Nagar, Karala Delhi-110081 sever all relations and now debarred his sons and daughter-in-law (Atul his wife Shanti @ Sandhya) as far as from all his inherited and occupied movable and immovable properties due to improper dealings, misbehave and disobedience and out of control. My client will not be responsible for their any act/deed in future.

Sd/-
SANJAY MANDAWAT
Advocate
En. No. D/3832/2015

PUBLIC NOTICE

"My client Mr. Atibir Singh S/O Sh. Ram Singh R/O H.NO. 14, Sandatpur Extn. Karawal Nagar, Delhi has disowned his son Manish Singh and his wife Madhu @ Nisha from his all movable, immovable properties, because they are out of control and quarrelsome nature. My client has severed his relationship with them and will not be responsible for their acts in future."

M.P. SINGH
(Advocate)
Bar Room No. 2, Westren Wing, Tis Hazari Courts, Delhi-54
(M) 95555848487

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that my clients Sh. Harish Kumar Sharma S/o Lt. Sh. Om Prakash Sharma and Smt. Meera W/o Sh. Harish Kumar Sharma R/o House No. L-2/91, Gali No.3, Shastri Nagar, Delhi-110052 has ended/severed all concerns and relations with their son namely Dinesh Kumar Sharma and daughter in law namely Smt. Lovely Sharma wife of Sh. Dinesh Kumar Sharma and son in law master Nirbhay S/o Sh. Dinesh Kumar Sharma due to their misconduct towards my clients and hereby disown/ debarred/ousted them from all their movable and immovable assets and for all intents and purposes. My clients further declares that they shall not be responsible for any acts, deeds and omissions of their son and daughter in law in any manner in future and if, anybody deals with them he/ she/they may do so at their own costs, risks and consequences.

Sd/-
Anurag Sharma
(Advocate)
Ch. No. C-139, C.L. Joseph Block, Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that my clients Mr. Jagdish Prasad Dabral & Mrs. Nirmala Dabral both resident of House No. 1495, Block-3, Pushp Vihar New Delhi-110062, dishonest/ disinherits their both sons namely Mr. Sunil Dutt Dabral & daughter in law Mrs. Pooja Dabral and Manish Dabral & daughter in law Monika Dabral and other from their all movable and immovable properties for all purposes, they have become dishonest and disobedient. My clients shall not be responsible for any acts and any manner Whatsoever done by them. If they are body deals with them his/her/their will to so own their costs, consequences.

RAMESH KUMAR KOLI (ADV.)
CH.NO. 705, LAWYERS CHAMBER BLOCK, 7th FLOOR, Saket Courts Copmlex, New Delhi

PUBLIC NOTICE

My client Sh. Mohan Lal s/o Sh. Late Prem Kumar and Pinki Devi w/o Sh. Mohan lal, both r/o H. No. 41, Extention 1-B , Nangloi, Delhi-41 , do hereby disown/debar their son Vishal and his wife Priyanka from their all movable and immovable properties and severe all relations from them, any body dealing with them will do at his own costs, risks and consequences.

Sd/-
RAJAN JOSHI (Advocate)
Ch. No. 644-A, Western Wing Tis Hazari Courts, Delhi-54

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किलगण 1) निर्मल सिंह लाम्बा पुत्र सरदार बलदेव सिंह 2) श्रीमती गुरविंदर कौर पत्नी श्री निर्मल सिंह लाम्बा निवासी मकान नं.-WZ-418, गली नं०-22, शिव नगर, नई दिल्ली-110058 ने अपने पुत्र जसप्रीत सिंह लाम्बा और उसकी पत्नी जस्मीन कौर, जो अब हमारे साथ नहीं रहते है, को उनके गलत आचरण, दुव्यर्वहार करने तथा नियंत्रण से बाहर होने के कारण उनसे अपने सभी प्रकार के पारिवारिक संबंध विच्छेद करते हुये उन्हें अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है और आज के बाद मेरे मुवक्किलगण उनके किसी भी अच्छे बुरे कार्य या लेन-देन के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

Anuj Yadav (Advocate)
Ch.No.X-7, Civil Side, Tis Hazari Courts, Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

It is brought to the notice of the public at large that my client Sh. Mukesh Kumar Khandelwal son of Harish Chander, E-403, Budh Nagar, Inderpuri central Delhi-110012 has disowned their son namely Sorabh Khandelwal from his all movable and immovable properties for all purpose and intends and have no connection nor concerned with him in future and he shall not be responsible for any acts, deeds or responsible for any act, deeds or responsible for any kind act done by him with anyone.

Ashish Shankar Kulshrestha
Advocate, 444, Lawyers Chamber, Patiala House Courts, New Delhi-110001, (M) 9811166164

PUBLIC NOTICE

I, Vijay Kumar Gupta, Advocate Enrolment No. D-515/98, Ch. No. 411, Civil Wing, Tis Hazari Courts, Delhi-54, on behalf of my client Smt. Shobha Sharma D/o Late Hari Swaroop Sharma R/o Ground Floor, D-62, Preet Vihar, Delhi declare to public that Mr. Rakesh Sharma S/o Late Hari Swaroop Sharma is the brother of my client & due to bitterness, My client has withdrawn all her relations with him and his legal heirs. My client has no concern with her brother in any manner whatsoever. My client is the sole owner of the said property, Ground Floor, D-62, Preet Vihar and she will not be liable for any act or ommission done by her brother in respect of the said property or anything else.

PUBLIC NOTICE

This General Public is hereby informed that my client, Mrs. Sarla Devi W/o late Sh. Satya Prakash, both R/o B-7/71, Near Hanuman Mandir, Sector-5, Rohini, Delhi-110085, have debarred/disowned their son ASHOK KUMAR & daughter-in-law NAMRATA GUPTA and their children KARTIK GUPTA & SALONI GUPTA from all their movable and immovable properties vide Public Notice Notified in News Paper Rastria Sahara dated 09/04/2019.

Now my client and their son ASHOK KUMAR & daughter-in-law NAMRATA GUPTA with the mutual consent of the both parties are ready to make good relation. Hence due to natural love and affection and good faith and representation made by said debarred persons, my client Mrs. Sarla Devi cancelled the contents of Public Notice. dated 09/04/2019, notified in News Paper Rastria Sahara.

Sd/-
Kamal Singh
(Advocate)
Enrl. No. D-748/14

PUBLIC NOTICE

it is hereby informed to the general public that my clients Sh. Rajkumar S/o Sh. Chote Lal, R/o House No. CPO-132, Madangir, New Delhi-110062, has severed their relations and disowned & disinherited their son Sandeep and his wife Mamta from their all movable and immovable properties due to their cruel and rude behaviour towards my said clients. They are not in control of my clients. If any person deals with them, shall be doing so at his or her own risk, costs and consequences.

Sd/-
RAJ KUMAR
Advocate
Chamber No. 466, Saket District Courts, New Delhi-110017

PUBLIC NOTICE

This is to inform the general public at large that my clients Shri Amar Singh Ratawal, s/o Late Shri Kanhiya Lal Ratawal AND Smt. Vidya Devi Ratawal, w/o Shri Amar Singh Ratawal, both residents of 5A/141, Gali No.6, WEA, Karol Bagh, New Delhi, have severed all their relations with their son Ashok Ratawal and daughter-in-law, Smt. Udita Ratawal, who are residing separately at Gurugram since 2017. Since their behaviour towards my clients have turned hostile and due to their misconduct, errant & quarrelsome behaviour & non-cooperative attitude, my clients do hereby disown and debar them from their all movable and immovable properties. Any person dealing with them, shall deal with his own risk & responsibility & my clients shall not be responsible for their any act, deal or transaction, in any manner.

Sd/-
(RAJESH KUMAR LUTHRA)
ADVOCATE
5A/168-169, W.E.A. KAROL BAGH, NEW DELHI-110005

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

वायु प्रदूषण से दिल्ली को मामूली राहत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 अक्तूबर।

दिल्ली में चली हवा ने धूल की परतों को बुहार कर राजधानी वासियों को राहत दी। हालांकि यहां की औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ 249)के हिसाब से हवा खराब दर्जे की ही रही। मंगलवार को भी कमोबेस यही हाल रहेगा। मौसम व वायु गुणवत्ता का आंकलन करने वाले सफर के मुताबिक 24 अक्तूबर से हवा के बेहद खराब दर्जे में पहुंचने की आशंका है।

प्रज्ञा ठाकुर ने महात्मा गांधी को बताया राष्ट्रपुत्र

भोपाल, 21 अक्तूबर (भाषा)।

भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपुत्र बताया है। रविवार को भोपाल रेलवे स्टेशन के एक कार्यक्रम में प्रज्ञा ने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा, '(महात्मा) गांधीजी राष्ट्रपुत्र हैं। गांधीजी इस धरा के सपूत हैं। राम इस धरा के पुत्र हैं। महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज इस धरा के पुत्र हैं।' उन्होंने कहा, ''देश के लिए जिसने सराहनीय कार्य किया है, निश्चित रूप से वो हमारे लिए आदरणीय हैं। हम उनके कदमों पर चलते हैं।' साध्वी ने कहा कि वे देश के लिए जीती हैं।

गायत्री शक्तिपीठ में गर्भोत्सव संस्कार कार्यक्रम आयोजित

गाजियाबाद, 21 अक्तूबर (जनसत्ता)।

गाजियाबाद के हिंडन तट स्थित गायत्री शक्तिपीठ पर रविवार को गर्भोत्सव संस्कार कार्यक्रम किया गया। समारोह में 60 गर्भवती महिलाओं सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वैदिक मंत्रोच्चार विधि से यज्ञ हुआ। गीतों के साथ गर्भोत्सव संस्कार व पुष्प वर्षा के साथ आर्शीवाद कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में शांतिकुंज (हरिद्वार) से आए जयराम मोटलानी व डा, पूर्णिमा वाजपेयी ने बताया कि किस तरह पुष्ट शरीर, कुशाग्र बुद्धि, प्रतिभाशाली और श्रेष्ठ मूल्यों से संपन्न संवेदनशील संतान प्राप्त की जाए।

बस-ट्रक की टक्कर में तीन की मौत

पुणे, 21 अक्तूबर। महाराष्ट्र के मुंबई-पुणे राजमार्ग पर सोमवार तड़के एक बस और ट्रक की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि हादसे के समय इसमें 35 यात्री सवार थे। (भाषा)

The Indian EXPRESS Classifieds
FROM ANYTHING TO EVERYTHING

EXPRESS EDUCATION

McGraw-Hill writer Ramesh Singh's
Basics to Currents
GS ECONOMY
'PT-focus' PT+Main batch
New batch: Nov. 15-Dec. 30 (2.30-5.00pm)
Answer Writing Practice | Tests | Model Answers
Admission on 'first-come-first-served' basis
Next similar batch: Mar. 02-Apr. 15 (2.30-5.00pm)
4A/41, Old Rajinder Nagar, Bada Bazar Road, Near Shankar Road, N. Delhi- 60
www.rameshsingh.org | ph. 98182-44224; 80767-48812

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service
Ph.23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

पूर्वी दिल्ली नगर निगम

अधिशासी अभियंता (परि.)-I का कार्यालय
शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र, ई-1/12, कृष्णा नगर, दिल्ली-110051,
ईमेल: eeprshahsouth@gmail.com

निविदा आमंत्रण सूचना

सं. ईई (परि)-I/शाह.एस./2019-20/डी-517 दिनांक: 18.10.2019

आयुक्त, पू.दि.न.नि. की ओर से अधिशासी अभियंता (परि.)-I/शाहदरा दक्षिणी निम्नलिखित कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित करता है:

क्र.सं. 1, कार्य का नाम: एसी-60 शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र में म. सं. बी-3 ईस्ट बलदेव पार्क परवाना रोड से म. सं. 172 साउथ अनारकली तथा लिंक और म. सं. एफ-43 राधेपुरी से लक्ष्मी नारायण मंदिर राम नगर तक आरएमसी उपलब्ध कराकर सड़कों का सुधार एवं विकास। **निविदा सं.:** 316880, **क्र.सं. 2, कार्य का नाम:** एसी-60 शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र के ब्लॉक 11 गीता कॉलोनी में म. सं. 11/178 से 11/114, 11/203 से 11/280, 11/268 से 11/292, 11/320 से 11/338 एवं 11/205 से 11/226, ब्लॉक 6 गीता कॉलोनी म. सं. 6/249 से 6/262 एवं 6/270 से 6/256 और ओल्ड गीता कॉलोनी में म. सं. 52 से म. सं. 60 तथा पंजाब एंड सिंध बैंक से म. सं. 1ए/11, सामुदायिक भवन से म. सं. 8, म. सं. 1ए/20 से 1ए/1 तथा लिंक सड़क का सुधार एवं विकास। **निविदा सं.:** 316881, **क्र.सं. 3, कार्य का नाम:** वार्ड नं. 21-ई, एसी-60 शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र में म. सं. ए-5/27, कृष्णा नगर से झील तांगा स्टैंड (मैन मार्केट रोड) तक सड़क का सुधार एवं विकास। **निविदा सं.:** 316882, **क्र.सं. 4, कार्य का नाम:** एसी-60 कृष्णा नगर, शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र में म. सं. 9/61 से 9/34 तथा लिंक्स, ब्लॉक-9 गीता कॉलोनी, म. सं. एक्स/1 से एमसी प्राथमिक विद्यालय साउथ गांधी नगर , ब्लॉक 10 गीता कॉलोनी तथा म. सं. सी-1 से एच-1 राधेपुरी, जैन मार्केट से ई-24 राधेपुरी, म. सं. जी-2 से लाल मंदिर राधेपुरी म. सं जी-37 से जी-45, म. सं. जी-1 से जी-17 वेस्ट अर्जुन नगर, म. सं. जी-4 से दुर्गा माता मंदिर, वेस्ट अर्जुन नगर रोड नं. 57 तथा इसके लिंक्स का आरएमसी उपलब्ध कराकर सड़कों का सुधार एवं विकास। **निविदा सं.:** 316883, **क्र.सं. 5, कार्य का नाम:** एसी-60 शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र में म. सं. 2ए/8ए से म. सं. 2ए/2 तथा लिंक, म. सं. 2ए/24 से 91/31, 8 ब्लॉक ओल्ड गीता कॉलोनी, ओल्ड गीता कॉलोनी में म. सं. 8ए/9 से 8/93 एवं म. सं. 8/91 से 8/110 तथा 8ए से 23 से बीएसईएस ऑफिस और 8ए/23 से 8/35, म. सं. 8ए/46 से 8ए/16 एवं म. सं. 1ए/11 से 1ए/1 तथा लिंक का आरएमसी उपलब्ध कराकर लेन का सुधार एवं विकास। **निविदा सं.:** 316884, **क्र.सं. 6, कार्य का नाम:** एसी-60 शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र में म. सं. ई-5/25ए से विजय चौक तथा लिंक, गोयल नर्सिंग होम से मंदिर, कृष्णा नगर तक डेंस कार्पेटिंग उपलब्ध कराकर सड़क का मजबूतीकरण। **निविदा सं.:** 316885 **क्र.सं. 7, कार्य का नाम:** एसी-60 शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र में गुरुद्वारा ओल्ड गीता कॉलोनी, 2 ब्लॉक गीता कॉलोनी के निकट से पटपड़गंज रोड म. सं. डी-3/24 से डी-3/1, कृष्णा नगर तथा डी-2/2 से डी-2/10 तथा लिंक रूपा डेयरी के निकट, कृष्णा नगर तक डेंस कार्पेटिंग उपलब्ध कराकर सड़क का मजबूतीकरण। **निविदा सं.:** 316886, **क्र.सं. 8, कार्य का नाम:** एसी-62 शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र में पांडव रोड म. सं. 27/49 से म. सं. 6/8/एफ/5/1बी तथा सड़क म. सं. 486/ए से 498/ए/1-डी राशन कार्यालय के निकट तक डेंस कार्पेटिंग उपलब्ध कराकर सड़क का मजबूतीकरण। **निविदा सं.:** 316887

एनआईटी सं. ईई(परि.)-I/शाह.एस/टीसी/2019-20/11 और 12 दिनांक18.10.2019 निर्धारित तिथि 14.11.2019 एवं 06.11.2019 में दिये गये विवरण के अनुसार। विस्तृत विवरण वेबसाइट http://engineering.mcdetenders.com पर देखे जा सकते हैं।

आरओ न. 72/डीपीआई/पूर्वी/2019-20 अधिशासी अभियंता (परि.)-I

पूर्वी दि. न. निगम नागरिक हेल्पलाईन सेवा - 155303

‘मुख्यमंत्री चाहते हैं दिल्ली के लोग प्रदूषण से मरें’

ट्रामल मशीन के उद्घाटन पर मनोज तिवारी ने कहा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 अक्तूबर।

सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि भलस्वा कूड़े के पहाड़ को हटाना सराहनीय कार्य है। कूड़े के पहाड़ को शर्म की बात बताते हुए तिवारी ने मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े किए। तिवारी ने कहा कि निगम के फंड को दिल्ली सरकार निगम तक नहीं पहुंचने देती। साथ ही सफाई कर्मचारियों के वेतन का पैसा भी निगम को नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस पूरी परियोजना में उत्तरी दिल्ली नगर निगम का फंड लगा है। तिवारी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि दिल्ली के लोग प्रदूषण से मरें।

तिवारी ने सोमवार को उत्तरी निगम के भलस्वा कूड़ा घर में जैविक खनन हेतु लगाए गए ट्रामल मशीन का उद्घाटन करते हुए यह बाते कहीं। सोमवार को सांसद मनोज तिवारी व हंसराज हंस ने कूड़ा घर पर जैविक खनन व कूड़े को पृथक एवं निस्तारण करने के लिए चौथी ट्रामल मशीन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उत्तरी दिल्ली के मेयर अवतार सिंह, विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता, उपमेयर योगेश वर्मा व स्थायी समिति के अध्यक्ष जय प्रकाश मौजूद रहे। सांसद हंसराज हंस ने कहा भलस्वा लैंडफिल साइट पर निरंतर बढ़ता हुआ कूड़ा गंभीर विषय है।

कैसे काम करेगी ट्रामल मशीन

ट्रामल मशीन में चार भाग है जिनसे लगभग 300 मेट्रिक टन कूड़े को प्रतिदिन निस्तारित किया जाएगा। मशीन में लगे बैलेस्टिक सेपरेटर से कूड़े को तीन भागों में अलग किया जाएगा। प्रथम वर्ग में हल्के अपशिष्ट जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन तथा कपड़े आदि, दूसरे वर्ग में भारी अपशिष्ट जैसे शीशा एवं धातु से बने पदार्थ एवं तीसरे वर्ग में मिट्टी को अलग किया जाएगा। इसके बाद कुछ अपशिष्ट को ऊर्जा निर्माण हेतु नरेला और बुराड़ी स्थित मलबा संसाधन प्लांट भेजा जाएगा। जिससे ईंटें, टाइल्स आदि का निर्माण किया जाएगा।

मौत के लिए दोस्तों ने ‘दुर्भावनापूर्ण’ खबरों को जिम्मेदार ठहराया

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर (भाषा)।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के प्रोफेसर एलन स्टेनली और उनकी मां ने अपने सुसाइड नोट में केरल की पुलिस पर प्रताड़ित करने और मीडिया के एक धड़े द्वारा ‘दुर्भावनापूर्ण’ खबर को अपनी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

एलन स्टेनली

डीयू के सेंट स्टीफंस कॉलेज में 27 वर्षीय तदर्थ प्रोफेसर स्टेनली का क्षत–विक्षत शव शनिवार को सराय रोहिल्ला स्टेशन की रेल की पटरियों पर मिला था और उनकी मां लिस्सी पीतमपुरा में अपने फ्लैट में फंदे से लटकी पाई गई थीं। उनके मुंह में कपड़े का एक टुकड़ा ठूंसा हुआ था। डीयू प्रोफेसर एलन स्टेनली के दोस्तों और सहकर्मियों ने प्रोफेसर और उनकी मां की मौत के लिए उनके खिलाफ केरल की क्षेत्रीय मीडिया में छपी एक ‘दुर्भावनापूर्ण’ खबर को सोमवार को जिम्मेदार ठहराया। लिस्सी का पोस्टमार्टम यहां बाबू जगजीवन राम मेमोरियल अस्पताल में किया गया। वहीं स्टेनली का पोस्टमार्टम सब्जी मंडी शवगृह में किया गया। मंगलवार को अंतिम संस्कार होगा।

प्रदूषण मुक्त दिवाली के लिए दिल्ली सरकार का लेजर शो

कनॉट प्लेस में जगमग होगी शाम

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 अक्तूबर।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार लोगों को इस दिवाली पर पटाखे नहीं जलाने के लिए प्रेरित करने के मकसद से 26 अक्तूबर से 29 अक्तूबर चार दिन तक कनॉट प्लेस में लेजर शो आयोजित करेगी। केजरीवाल ने दिल्ली वालों से अपील की कि वे छोटी दिवाली के दिन पूजा करने के बाद मेगा लेजर शो का आनंद लें। सामूहिक रूप से दीवाली मनाने से त्योहार का आनंद भी बढ़ेगा और प्रदूषण भी कम होगा।

मुख्यमंत्री केजरीवाल व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने संवाददाताओं से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पड़ोसी राज्यों से पराली का धुआं आ रहा है, इसलिए शहर को आंतरिक प्रदूषण को कम रखने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी। इसमें जनता का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि लेजर शो का आयोजन शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक होगा। इसके लिए किसी तरह के पास या टिकट की आवश्यकता नहीं होगी। शो के तहत पूरे कनॉट प्लेस को लेजर शो व लाइट से सजाया जाएगा। फिर एक–एक घंटे का लेजर शो होगा। यह लगातार चलता रहेगा। लेजर शो हर घंटे का अलग होगा। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और लोगों के खाने पीने के लिए फूड कोर्ट में बेहतर व लजीज खाने का इंतजाम भी होगा। केजरीवाल ने बताया कि इस साल एक जगह ही लेजर शो का आयोजन हो रहा है। इसके बेहतर परिणाम आने के बाद अगले साल से दिल्ली में कई अन्य जगहों पर भी आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि लेजर शो का उद्घाटन उपराज्यपाल अनिल बैजल करेंगे।

प्रतीकात्मक चित्र

बसों के टिकट पर केजरीवाल की फोटो से नाराजगी

विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेन्द्र गुप्ता ने आज डीटीसी बसों में महिलाओं को दिए जाने वाले टिकट पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की फोटो लगाए जाने की मंजूरी की कड़ी भर्त्सना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा यह न केवल सत्ता का दुरुपयोग है अपितु यह आत्ममोह की पराकाष्ठा है। भाजपा विधायक कल सुबह 10 बजे उप राज्यपाल से मिलकर इसके विरुद्ध ज्ञापन सौंपेंगे। विपक्ष मांग करेगा कि मुख्यमंत्री की फोटो छापने की स्वीकृति को रद्द किया जाए। वे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग अपने राजनीतिक करियर को चमकाने के लिए नहीं कर सकते।

SALASAR REALCON PRIVATE LIMITED
REGD. OFFICE : OFFICE NO. 84A, KHASRA NO. 548, 1ST FLOOR, MAIN VASANT KUNJ ROAD, MAHIPALPUR NEW DELHI 110037
CIN : U45400DL2008PTC293116

NOTICE OF REDUCTION OF PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL
(CP.NO. 380/66/ND/2018 under Section 66 of the Companies Act, 2013)

The Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT), New Delhi Bench Court II, has vide its Order dated 24.09.2019 has approved the 'Reduction of Share Capital' of the above-mentioned Company by approving the Minutes set forth therein:

"The Share Capital of the Company is hence forth reduced to Rs. 4,40,000 (Rupees Four Lakh and Forty Thousand Only) divided into 44,000 Equity Shares of Rs. 10/- each (Rupees Ten Only) fully paid up from the existing Share Capital of Rs. 7,16,40,000 (Rupees Seven Crore, Sixteen Lakh and Forty Thousand Only) divided into 44,000 Equity Shares of Rs. 10/- each (Rupees Ten Only) fully paid up and 71,20,000 5% Non-Cumulative Redeemable Non-Convertible Preference Shares of Rs.10/- each (Rupees Ten Only) fully paid up"

This Advertisement is published as per the directions of the NCLT, New Delhi Bench, in its order dated 24.09.2019.

Date : 17.10.2019
Place : New Delhi

Sd/-
(SADANAND RAY)
Director

प्रपत्र ए
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

रोहित बाल डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	रोहित बाल डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	26/03/1999
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U18101DL1999PTC099036
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	सी–328, पहली मंजिल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली –110024
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	16 / 10 / 2019 (आदेश की प्रति 21 / 10 / 2019 को प्राप्त हुई)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	13 / 04 / 2020 (दिवाला प्रकिया आरम्भ होने की तिथि से 180वां दिन)
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	नाम : अमरपाल आईबीबीआई पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-001/IP-P01584/2018-2019/12411
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	401, चौथी मंजिल, डीडीए बिल्डिंग –2, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली – 110058 ईमेल आईडी : amarpal@icai.org
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई–मेल	बी–96, द्वितीय तल, उद्योग विहार फेस –5, गुरुग्राम, हरियाणा – 122016 ईमेल आईडी : ip.rohitbal@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	04/11/2019
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप–धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	लागू नहीं
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध हैं	(क) वेबलिंक: http://www.ibbi.gov.in/home/downloads (ख) भौतिक पता: 401, चौथी मंजिल, डीडीए बिल्डिंग –2, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली – 110058

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण ने दिनांक **16 अक्टूबर, 2019** को **रोहित बाल डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।

रोहित बाल डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण **04 नवंबर 2019** को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता / –
अमरपाल
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल

दिनांक : 21 अक्टूबर 2019
स्थान : नई दिल्ली

आईबीबीआई पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-001/IP-P01584/2018-2019/12411
रोहित बाल डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में

नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
सीआईएन: L74899DL1974GOI007417
पंजीकृत कार्यालय: स्कोप कॉम्प्लैक्स, कोर–III, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
वेबसाइट: http://www.nationalfertilizers.com

एन एफ एल
NFL

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के साथ पठित विनियम 47 के अनुपालन में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक **मंगलवार, 5 नवम्बर, 2019** को नोएडा (उत्तर प्रदेश) में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा परिणामों की समीक्षा करने के बाद **30 सितम्बर, 2019** को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिए कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन कर उन्हें रिकार्ड में लिया जाएगा।

सेबी (आंतरिक व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. द्वारा एनएसई / सीएमएल / 2019 / 11 दिनांक 2 अप्रैल, 2019 के माध्यम से जारी सर्कुलर के अनुसरण में कम्पनी के शेयरों के लेनदेन के लिए ट्रेडिंग विन्डो 1 अक्टूबर, 2019 से 30.09.2019 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा के बाद 48 घंटे अर्थात 7 नवम्बर, 2019 तक पदनामित व्यक्तियों, पदनामित कर्मचारियों एवं उनके नजदीकी संबंधियों के लिए बंद रहेगी।

कथित सूचना कम्पनी की वेबसाइट **www.nationalfertilizers.com** और क्रमशः बीएसई / एनएसई की वेबसाइट **www.bseindia.com** एवं **www.nseindia.com** क्रमशः पर भी देखी जा सकती है।

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 18.10.2019

हस्ता./–
(राज कुमार)
कम्पनी सचिव

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
बी1/21, कम्यूनिटी सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058
फोन: 011-25594284, ईमेल: iob0544@iob.in

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए) [नियम 8(1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 1.7.2019 जारी कर ऋणधारक/मार्टगैजर्स/गारन्टरों मै. आर.पी. एण्टरप्राईजेज (प्रॉपः श्री विक्रम भारद्वाज) (यहां के बाद ‘‘ऋणधारक’’ के रूप में वर्णित) निवासीः आरजेड–43, 2रा तल, ग्राम हस्तसाल, साउथ एक्स्टेंशन पार्ट–1, दयालसर रोड, उत्तम नगर 110059, श्री अशोक भारद्वाज निवासीः आरजेड–43, 2रा तल, ग्राम हस्तसाल, साउथ एक्स्टेंशन पार्ट–1, दयालसर रोड, उत्तम नगर 110059 एवं अनीता भारद्वाज निवासीः आरजेड–43, 2रा तल, ग्राम हस्तसाल, साउथ एक्स्टेंशन पार्ट–1, दयालसर रोड, उत्तम नगर 110059 की सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 30.6.2019 को रु. 26,72,231.01 (रुपये छब्बीस लाख बहत्तर हजार दो सौ इक्कतीस एवं पैसे एकमात्र) तथा अनुबंधित दरों एवं रेट्स पर आगे के ब्याज, चार्जेज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

1) ऋणधारक/गारन्टर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, दिनांक 14 अक्टूबर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।
2) विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय मांग सूचना जारी करने के बाद वसूली यदि कोई की गई हो, को घटाकर मांग सूचना में वर्णित उपरोक्त तिथि से भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं स्वीकृत रेट्स पर उस पर आगे के ब्याज, लागत के साथ 30.6.2019 को रु. 2672231.01 (रुपये छब्बीस लाख बहत्तर हजार दो सौ इक्कतीस एवं पैसे एक मात्र) के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक के चार्ज के अधीन होगा। कब्जा लेने की तिथि को बकाया राशि भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेट्स पर आगे के ब्याज, चार्जेज आदि के साथ 30.9.2019 को रु. 27,55,384.01 (रुपये सत्ताईस लाख पचपन हजार तीन सौ चौड़ासी तथा पैसे एक मात्र) है।
3) ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

अशोक भारद्वाज, पुत्र प्रेमलाल एवं अनीता भारद्वाज, पत्नी अशोक भारद्वाज के स्वामित्व में ग्राम हस्तसाल, साउथ एक्स्टेंशन–1 दयालसर रोड, उत्तम नगर, दिल्ली–110059 में स्थित खसरा नं. 89/23 तथा 90/2 में स्टिल्ट फ्लोर एरिया माप 100 वर्ग यार्ड्स (83.60 वर्ग मी. में आरजेड–43, 2रा तल, छत के अधिकार तथा एक कार पार्किंग स्लॉट के साथ में स्थित आवासीय सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। सम्पत्ति की चौहद्दी हैः उत्तर में रोड तथा दक्षिण पूर्व तथा पश्चिम दिशा में अन्य सम्पत्तियाँ।

तिथिः 14.10.201, **स्थानः** नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन ओवरसीज बैंक

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
India's International Bank
पूर्व विजया बैंक अब बैंक ऑफ बड़ौदा
ए–35, सैक्टर–5, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद

परिशिष्ट–IV नियम–8 (1) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के **अन्तर्गत**
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के अधीन **बैंक ऑफ बड़ौदा,** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियो के अंतर्गत ऋण धारक **श्री विपिन पुत्र श्री सतेन्द्र को मांग सूचना दिनांक 12.07.2019 को जारी किया था जिसमें सूचना मे उल्लेखित राशि रू 20,01,785.35 (रु. बीस लाख एक हजार सात सौ पिचासी और पैसे पैंतीस मात्र) प्लस अनापेक्षित ब्याज लागत और भुगतान की तिथि तक संविदात्मक दर पर ब्याज एवं लागत, खर्चे** इत्यादि सहित, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

ऋणधारक राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा ऋणधारक / गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **16.10.2019** को लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारक / गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्तियो के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन बैंक ऑफ़ बड़ौदा, **के प्रभार वास्ते रू 20,01,785.35 (रु. बीस लाख एक हजार सात सौ पिचासी और पैसे पैंतीस मात्र) प्लस अनापेक्षित ब्याज लागत और भुगतान की तिथि तक संविदात्मक दर पर ब्याज एवं लागत, खर्चे** इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

सम्पूर्ण द्वितीय तल, रिहायशी सम्पत्ति नं. 20 (खसरा नं. 595 / 1 मिन और 596 मिन में से, गाँव नासीरपुर) आर.के. पुरम कॉलोनी, राकेश मार्ग, परगना–लोनी, तहसील और जिला – गाजियाबाद (यू.पी) में स्थित, क्षेत्रफल 55.58 वर्ग मी. (कर्वड क्षेत्रफल) यह सम्पत्ति श्री विपिन पुत्र श्री सतेन्द्र सिंह के नाम पर है।

दिनांक : 16.10.2019, स्थान : साहिबाबाद, गाजियाबाद
प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
India's International Bank
पूर्व विजया बैंक अब बैंक ऑफ बड़ौदा
ए–35, सैक्टर–5, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद

परिशिष्ट–IV नियम–8 (1) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के **अन्तर्गत**
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के अधीन **बैंक ऑफ बड़ौदा,** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियो के अंतर्गत ऋण धारक **श्री राहुल कुमार पुत्र श्री राज कुमार को मांग सूचना दिनांक 12.07.2019 को जारी किया था जिसमें सूचना मे उल्लेखित राशि रू 20,14,624.15 (रु. बीस लाख चौदह हजार छः सौ चौबीस और पैसे पंद्रह मात्र) प्लस अनापेक्षित ब्याज लागत और भुगतान की तिथि तक संविदात्मक दर पर ब्याज एवं लागत, खर्चे** इत्यादि सहित, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

ऋणधारक राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **16.10.2019** को लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारक तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्तियो के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन बैंक ऑफ बड़ौदा, **के प्रभार वास्ते रू 20,14,624.15 (रु. बीस लाख चौदह हजार छः सौ चौबीस और पैसे पंद्रह मात्र) प्लस अनापेक्षित ब्याज लागत और भुगतान की तिथि तक संविदात्मक दर पर ब्याज एवं लागत, खर्चे** इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

सम्पूर्ण भूतल प्लॉट नं. बी–51, अशोक नगर, गाजियाबाद, क्षेत्रफल 136.03 वर्ग मी. (कवर्ड क्षेत्रफल) यह सम्पत्ति श्री राहुल कुमार पुत्र श्री राज कुमार सिंह के नाम पर है।

दिनांक : 16.10.2019, स्थान : साहिबाबाद, गाजियाबाद
प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
India's International Bank
पूर्व विजया बैंक अब बैंक ऑफ बड़ौदा
ए–35, सैक्टर–5, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद

परिशिष्ट–IV नियम–8 (1) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के **अन्तर्गत**
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के अधीन **बैंक ऑफ बड़ौदा,** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियो के अंतर्गत ऋण धारक **श्री बिजेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री रिच पाल सिंह को मांग सूचना दिनांक 12.07.2019 को जारी किया था जिसमें सूचना मे उल्लेखित राशि रू 20,06,123.00 (रु. बीस लाख छः हजार एक सौ तेईस मात्र) प्लस अनापेक्षित ब्याज लागत और भुगतान की तिथि तक संविदात्मक दर पर ब्याज एवं लागत, खर्चे** इत्यादि सहित, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

ऋणधारक राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा ऋणधारक / गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **16.10.2019** को लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारक / गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्तियो के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन बैंक ऑफ़ बड़ौदा, **के प्रभार वास्ते रू 20,06,123.00 (रु. बीस लाख छः हजार एक सौ तेईस मात्र) प्लस अनापेक्षित ब्याज लागत और भुगतान की तिथि तक संविदात्मक दर पर ब्याज एवं लागत, खर्चे** इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

सम्पूर्ण तृतीय तल, रिहायशी सम्पत्ति नं. 20 (खसरा नं. 595 / 1 मिन और 596 मिन में से, गाँव नासीरपुर) आर.के. पुरम कॉलोनी, राकेश मार्ग, परगना–लोनी, तहसील और जिला – गाजियाबाद (यू.पी) में स्थित, क्षेत्रफल 55.58 वर्ग मी. (कर्वड क्षेत्रफल) यह सम्पत्ति श्री बिजेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री रिचपाल सिंह के नाम पर है।

दिनांक : 16.10.2019, स्थान : साहिबाबाद, गाजियाबाद
प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
India's International Bank
पूर्व विजया बैंक अब बैंक ऑफ बड़ौदा
ए–35, सैक्टर–5, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद

परिशिष्ट–IV नियम–8 (1) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के **अन्तर्गत**
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के अधीन **बैंक ऑफ बड़ौदा,** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियो के अंतर्गत ऋण धारक **श्री अमित पुत्र श्री सतवीर को मांग सूचना दिनांक 13.05.2019 को जारी किया था जिसमें सूचना मे उल्लेखित राशि रू 19,86,319.69 (रु. उन्नीस लाख छियासी हजार तीन सौ उन्नीस और पैसे उनहत्तर मात्र) प्लस अनापेक्षित ब्याज लागत और भुगतान की तिथि तक संविदात्मक दर पर ब्याज एवं लागत, खर्चे** इत्यादि सहित, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

ऋणधारक राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **16.10.2019** को लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारक तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्तियो के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन बैंक ऑफ बड़ौदा, **के प्रभार वास्ते रू 19,86,319.69 (रु. उन्नीस लाख छियासी हजार तीन सौ उन्नीस और पैसे उनहत्तर मात्र) प्लस अनापेक्षित ब्याज लागत और भुगतान की तिथि तक संविदात्मक दर पर ब्याज एवं लागत, खर्चे** इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लॉट नं. बी–51, ब्लॉक–बी, प्रथम तल, जीएमपी रिहायशी कॉलोनी, अशोक नगर, गाजियाबाद, यू.पी –201001 में स्थित, यह सम्पत्ति श्री अमित पुत्र श्री सतवीर के नाम पर है।

दिनांक : 16.10.2019, स्थान : साहिबाबाद, गाजियाबाद
प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	31.8 डि.से.	31.8 डि.से.	31.3 डि.से.	31.3 डि.से.
न्यूनतम	17.2 डि.से.	17.2 डि.से.	17.1 डि.से.	17.2 डि.से.

इस बार मतदान का नहीं दिखा उत्साह

फरीदाबाद, 21 अक्तूबर (जनसत्ता)।

फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में 14वीं विधानसभा के लिए दोपहर दो बजे तक मतदान काफी धीमा रहा। नौ विधानसभा में औसतन 30 फीसद मतदाता ही मतदान केंद्र पर पहुंचे। यह पहला मौका है जब मतदाता में कोई उत्साह नहीं दिखा। खासतौर से शहरी मतदाता चुनावी चर्चाओं से इतर खामोशी से मतदान कर घर लौट आए।

बड़े गांव बहीन में राम सरूप रावत ने बताया कि इस बार मुद्दा किसान की अनदेखी और युवाओं की बेरोजगारी से जुड़ा था। धारा 370 और सर्जिकल स्ट्राइक बाद की बातें हैं। प्रदेश के लोग राष्ट्र प्रेम में दूसरों से कहीं आगे हैं। देहाती इलाके के मतदाताओं में जहां मतदान में रुझान दिखाई दिया। वहीं, शहरी मतदाता की दिलचस्पी मतदान को लेकर कम थी। हसनपुर कस्बे के गिरिराज किशोर ने बताया कि भाजपा ने हरियाणा एक हरियाणवी एक, सबका साथ-सबका विकास का नारा तो दिया पर इसे फलीभूत नहीं किया। पलवल में लोग मूलभूत समस्याओं और किसान की फसलों के वाजिब दाम न मिलने से नाराज नजर आए। कांग्रेस के उम्मीदवार को बैठे बिठाए इन लोगों की नाराजगी का फायदा मिलने की संभावना है। पृथला विधानसभा में मतदाता की नाराजगी भाजपा के उम्मीदवार को लेकर थी। राजेंद्र सिंह ठाकुर का कहना था कि पिछला विधानसभा चुनाव नयनपाल ने भाजपा की टिकट पर मात्र कुछ वोटों से हारा था। पर इस बार पार्टी ने नए उम्मीदवार को उतारकर लोगों को नाराज कर लिया। इसी के चलते नयनपाल रावत को पंचायती उम्मीदवार घोषित कर लोग उसके समर्थन में जुट गए।

बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मलेरना गांव में राम रिछपाल ने कहा कि कांग्रेस ने यहां से कमजोर उम्मीदवार को उतारा है। यहां से सेक्टर दो में रहने वाले हनुमंत चहल ने बताया कि भाजपा विधायक मूलचंद शर्मा ने आम लोगों की रहनुमाई की है। इसी के चलते लोगों ने पार्टी राजनीति से ऊपर उठकर उन्हें व्यक्तिगत तौर पर वोट दिया है।

फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से उद्योग मंत्री विपुल गोयल का टिकट कटने का असर साफ दिखा। हालांकि लोग भाजपा उम्मीदवार नरेंद्र गुप्ता के पक्ष में आए पर उत्साह कम था। समाजसेवी प्रमोद गुप्ता ने बताया कि कई बार पार्टी से भी ज्यादा उम्मीदवार की साख काम करती है और नरेंद्र गुप्ता इसमें खरे उतरे।

हथीन में ज्यादा और फरीदाबाद में कम दिखा मतदान का जोश

फरीदाबाद, 21 अक्तूबर (जनसत्ता)।

फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं ने नौ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे 104 उम्मीदवारों का भाग्य सोमवार को ईवीएम मशीन में बंद कर दिया। शाम सात बजे तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, फरीदाबाद जिले की छह विधानसभा सीटों पर 54.21 फीसद मतदान हुआ।

पलवल में तीन विधानसभा सीटों के लिए 67.59 फीसद मतदान हुआ। हथीन विधानसभा क्षेत्र के बड़े गांव रुपडाका में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के समर्थक आपस में भिड़ गए और हल्का पथराव हुआ। पलवल में पुलिस ने चुनाव आयोग की अनुमति के बिना चल रही दो गाड़ियों और इनमें बैठे 11 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद में करीब छह मतदान केंद्रों पर ईवीएम खराब होने की शिकायत मिली। फरीदाबाद जिले के निर्वाचन अधिकारी अतुल कुमार द्विवेदी के मुताबिक, 14वीं विधानसभा के लिए मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा हथीन और सबसे कम फरीदाबाद में मतदान हुआ।

मतदान फीसद
- फरीदाबाद- 48.20 फीसद
- तिगांव- 53.12 फीसद
- बल्लभगढ़- 52 फीसद
- एनआइटी फरीदाबाद- 61.42 फीसद
- बड़खल- 51.30 फीसद
- पृथला- 62.75 फीसद
- पलवल- 70.02 फीसद
- होडल (सुरक्षित)- 68.18 फीसद
- हथीन- 72.48 फीसद

'स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल' में विद्यार्थियों ने दिखाई कला
तीन किमी चित्रकारी के साथ खरीदारी

अमलेश राजू
नई दिल्ली, 21 अक्तूबर।

करोल बाग में सोमवार सुबह अजमल खां रोड पर 'स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल' का आयोजन किया गया। फेस्टीवल में सड़क पर बच्चों द्वारा बेहतरीन चित्रकारी की गई। आयोजन में निगम के स्कूल और नामी पब्लिक स्कूल-कॉलेजों के विद्यार्थियों ने सड़क को ऐसा पेंट किया कि अब वह केवल सड़क न लगकर एक प्रदर्शनी जैसी लग रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को सौंदर्य बोध का आभास कराना और चित्रकारी को देखकर जीवन में सकारात्मक सोच लाना है। इस प्रयोग से पर्यटकों और खरीदारों को यह बाजार अब ज्यादा आकर्षक लगेगा।

स्कूल और कालेज के बच्चों ने तीन किलोमीटर में फैली सड़क पर की गई चित्रकारी के माध्यम से सुरक्षा का आभास पैदा किया साथ ही प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ स्लोगन लिखे। दिल्ली के विभिन्न स्कूल व कॉलेजों के 800 विद्यार्थियों और 50 शिक्षकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। पांच घंटे चले इस फेस्टिवल के उद्देश्य के बारे में स्थायी समिति अध्यक्ष जयप्रकाश ने बताया कि इनमें से चुनिंदा पेंटिंग्स को निगम की वेबसाइट पर स्थायी रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। इस फेस्टिवल का नेतृत्व करोलबाग जोन की उपायुक्त और भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी (आइएएस) आकृति सागर ने की। उत्तरी निगम के निदेशक सूचना प्रचार योगेंद्र सिंह मान ने बताया कि करोलबाग को वाहन मुक्त कर-के पर्यटक और खरीदारों के लिए सुरक्षित बनाया गया और अब सड़क का सौंदर्यकरण किया गया है। इस फेस्टिवल का एक उद्देश्य यह भी है कि हमें हमारे समाज के लोगों को सड़क सुरक्षा के नियम और जानकारियों के विषय में साझा करना चाहिए।

दिल्ली में कई बाजार हैं लेकिन करोलबाग को अभी निगम ने वाहन मुक्त घोषित करने के बाद अब करोलबाग स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल आयोजित कर पर्यटकों को खरीदारी का मजा देने के साथ-साथ उन्हें सुंदर अहसास के रूप में इस चित्रकारी की खुशबू सौगात के रूप में साथ जाए इसीलिए इसकी शुरुआत की गई है। बुजुर्गों और महिलाओं को इस बाजार में आने के बाद अब सुरक्षा के साथ-साथ सुकून का अहसास होगा।

पॉलिथीन नहीं देने पर बेकरी कर्मचारी की हत्या, गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 अक्तूबर।

आरोपी फैजान सामान को कागज में देने से था गुस्सा

दयालपुर थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित पॉलीथीन (एकल इस्तेमाल) नहीं देने पर एक ग्राहक ने दुकान में काम करने वाले कर्मचारी पर ईंट से वार कर दिया। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने गंभीर रूप से घायल कर्मचारी खलील अहमद (45) को अस्पताल में भर्ती करा दिया था। पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी फैजान (50) के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई कर रही है।

जानकारी के मुताबिक खलील अहमद, नेहरू विहार, दयालपुर में परिवार के साथ रहते था। परिवार में पत्नी व एक बेटा कासिम हैं। खलील व उसका बेटा कासिम दोनों गली में ही मौजूद अपने एक रिश्तेदार की बेकरी की दुकान में काम करता था। कासिम ने पुलिस को बताया कि गत 15 अक्तूबर को सुबह करीब 10 बजे वह और उसे पिता दुकान पर मौजूद थे। उसी समय गली नंबर-छह में रहने वाला फैजान दुकान पर रस्क लेने आया। इस पर खलील आरोपी फैजान को कागज के थैले में रस्क डालकर देने लगा। फैजान ने कागज के थैले में रस्क लेने से मना कर दिया और वह पॉलीथीन मांगने लगा। खलील ने फैजान से कहा कि पॉलीथीन पर प्रतिबंध है।

इसी बात पर फैजान भड़क गया और उसने रस्क दुकान में फेंक दिए। वह गाली-गलौच करता हुआ दुकान से बाहर आ गया। फैजान ने गुस्से में ईंट उठाकर खलील के मुंह पर दे मारी। ईंट लगते ही खलील सड़क पर बेहोश होकर गिर गया। उसे जीटीबी में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान खलील ने दम तोड़ दिया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है।

खबरों में शहर

अयोध्या में बनेगी धर्मशाला : सतीश गर्ग

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 अक्तूबर।

निष्काम सेवा ट्रस्ट की दिल्ली के अशोक विहार, आदर्श भवन में हुई बैठक में अयोध्या में धर्मशाला बनाने का फैसला किया है। इस मौके पर पूर्व विधायक और चुनाव अधिकारी जय भगवान अग्रवाल ने सर्वसम्मति से सतीश गर्ग को पुनः अध्यक्ष बनाने की घोषणा की।

अध्यक्ष सतीश गर्ग ने कहा कि अयोध्या में एक धर्मशाला का निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। यह धर्मशाला सभी सुविधाओं से युक्त होगी। निष्काम सेवा ट्रस्ट ने प्रयागराज कुंभ में किए गए सेवा कार्य की प्रशंसा करते हुए आगामी कुंभ 2021 में और अत्यधिक सेवा के पथ पर अग्रसर होने के लिए तैयार रहने की बात कही गई।

मोबाइल ऐप से मिलेगा घर का खाना

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 21 अक्तूबर।

ई-कॉमर्स स्टार्ट अप होमफूडी ने सोमवार को सेक्टर-18 में भारतीय महिलाओं को समर्पित अपना मोबाइल ऐप लांच किया है। इस ऐप से जुड़कर पाक कला में दक्ष कोई भी महिला खाने का कारोबार शुरू कर सकती है। 27 अक्तूबर से ग्राहक भोजन आर्डर कर सकते हैं। खास बात यह है कि खाने के व्यंजन (मेन्यू) के बारे में होम शेफ ही निर्णय लेंगे। इसमें ई-कॉमर्स स्टार्ट अप होमफूडी का कोई दखल नहीं होगा। खाने की कीमत भी उसे बनाने वाली महिलाएं तय करने के लिए स्वतंत्र होंगी।

होमफूडी की निदेशक डॉ मोना दहिया ने प्रेसवार्ता में बताया कि जो भी इससे जुड़कर कारोबार करना चाहता है, उसे गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ऐप डाउनलोड करना होगा। कंपनी के पास दो मोबाइल ऐप्लिकेशन हैं, एक शेफ ऐप और दूसरा ग्राहक ऐप। जुड़ने वाले के घर होमफूडी की टीम जाएगी और खाने की गुणवत्ता, सफाई और रसोई की भी जांच करेगी।

रेहड़ी-पटरी हटाने के खिलाफ प्रदर्शन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 अक्तूबर।

पूरी दिल्ली में सड़क विक्रेताओं पर उत्पीड़न और बेदखली के खिलाफ, नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (नासवी) ने नगर निगम मुख्यालय सिविक सेंटर पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुआई कर रहे नासवी के संयोजक अरबिंद सिंह ने कहा कि नगर निगम द्वारा अंतिम निर्देश दिए हुए 19 साल बीत चुके हैं। सिंह ने बताया कि शहरी सड़क विक्रेताओं पर 2004 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय नीति लागू की गई थी। जिसे 2007 में एमसीडी द्वारा अधिसूचित किया गया लेकिन किसी भी आवेदक को लाइसेंस नहीं दिया गया। संसद द्वारा लागू किए गए स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 को 5 साल बीत चुके हैं लेकिन दिल्ली सरकार और नगर निगम के एकदूसरे पर दोषारोपण के खेल में अब तक विक्रेताओं को प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए हैं। सिंह ने कहा कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने नगर निगम चुनाव से पहले विक्रेताओं को लाइसेंस जारी करने का वादा भी किया था लेकिन स्थिति जस की तस है।

कनॉट प्लेस में पर्यटन कंपनी ने अमेरिकी पर्यटकों को ठगा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 अक्तूबर।

कनॉट प्लेस थाना क्षेत्र में टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी के एक प्रतिनिधि ने अमेरिका से आए एक पर्यटक से 1294 (करीब एक लाख रुपए) डॉलर की ठगी कर ली। पीड़ित पर्यटक ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि आरोपी समीर नामक प्रतिनिधि से वह एयरपोर्ट के बाहर मिले थे, जहां से कनॉट प्लेस के एक नामी होटल में ले जाने के लिए 400 रुपए शुल्क लिया था, जिसके बाद यूएसए के रहने वाले पर्यटक जार्ज वान मेटर उसके साथ होटल जाने के लिए वाहन में बैठ गए। कुछ दूरी चलने के बाद वह कनॉट प्लेस के एक अनजान स्थान पर ले गया, जहां पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई थी। एजंट ने बताया कि त्योहारों में कनॉट प्लेस में सुरक्षा बढ़ा दी है। अब होटल तक पहुंचना मुश्किल होगा। बाद में वह एक अन्य ट्रेवल्स दफ्तर में ले गया, जहां एक अन्य शख्स मिला, जिसने बताया कि दिल्ली में इस वक्त होटल में कमरा मिलने काफी मुश्किल होगा। यदि मिलेगा तो प्रतिदिन के हिसाब से 450 डॉलर के हिसाब से कमरा मिलेगा। फिलहाल कनॉट प्लेस थाना पुलिस ने पीड़ित पर्यटक की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। जानकारी के मुताबिक, जार्ज 18 अक्तूबर को भारत आए थे। आरोपी ने बताया कि वह चाहे तो आगरा जाकर एक होटल में रुक सकते हैं। यहीं से वहां ठकरने की व्यवस्था करवा देगा। पर इसके लिए 1294 डॉलर भी भुगतान करना होगा।

उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड से उसके बताए गए खाते में भुगतान कर दिया। वह आगरा पहुंचे, जहां आराम करने के बाद उन्होंने होटल मालिक से फोन मांगा और उस होटल में फोन किया, जिसे उन्होंने भारत आने से पहले फोन किया था तो उन्हें बताया गया कि होटल के आसपास कोई सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई है और उनका कमरा भी एक दिन तक खाली पड़ा रहा। इस पर उन्हें ठगी का एहसास हुआ। एक दिन गोवा में रुकने के बाद वह बीती 20 अक्तूबर को कनॉट प्लेस थाने पहुंचे, जहां उन्होंने आरोपी एजंट समीर के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस ने ठगी का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है।

भाई के फर्जी हस्ताक्षर कर 18 लाख रुपए निकाले

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 21 अक्तूबर।

विधवा भाभी को बच्चों सहित घर से निकालने और उनके पति के फर्जी हस्ताक्षर से 18 लाख रुपए निकालने के आरोप में दो साल बाद देवर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित महिला की शिकायत पर भी थाना फेज-दो पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया था।

कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी और अमानत में खयानत की धाराओं में देवर को आरोपी बनाया गया है। सेक्टर-128 स्थित सुल्तानपुर गांव की रहने वाली भावना शर्मा की शादी जनवरी, 2008 को मेरठ निवासी नीरज कुमार से हुई थी। नीरज ग्रेनो स्थित एक स्कूल में अंशकालिक शिक्षक के रूप में काम करते थे। इसके अलावा वे एक फाइनेंस कंपनी से भी जुड़े थे। भावना शादी के कुछ समय बाद ही भंगेल आकर रहने लगीं। 14 मार्च, 2009 में उन्हें एक बेटा हुआ। 2014 में नीरज को ब्रेन ट्यूमर हो गया। घातक बीमारी होने के बाद नीरज ने मदद के लिए छोटे भाई पवन को बुला लिया। उसे 15 हजार रुपए का वेतन देकर अपना काम करवाने लगे। आरोप है कि इसी दौरान पवन ने नीरज के एटीएम के पासवर्ड समेत अन्य जानकारी ली।

कीर्ति आजाद के ट्वीट से चढ़ा दिल्ली का सियासी पारा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 अक्तूबर।

दिल्ली के नए कांग्रेसी मुखिया की नियुक्ति को लेकर हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र और हरियाणा में नई विधानसभाओं के गठन के लिए मतदान संपन्न हो जाने के बाद माना जा रहा है कि पार्टी आलाकमान जल्द ही कोई निर्णय ले सकता है। इस पद के प्रबल दावेदार करार दिए जा रहे कीर्ति आजाद के एक ट्वीट के बाद अटकलों का बाजार गरमा गया। आजाद ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी पर पूर्वांचल के लोगों के मुद्दे पर निशाना साधा।

आजाद ने ट्वीट कर कहा-दिल्ली के बयानवीर नेता जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मनोज तिवारी पूर्वांचल के लोगों को घुसपैठिया अपराधी और दोषी मानते हैं। अरविंद केजरीवाल बेशर्मी से बोलते हैं कि पूर्वांचल के लोग 500 रुपए लेकर आते हैं और लाखों का इलाज करवाते हैं। दोनों को जनता सबक सिखाएगी। उनके इस ट्वीट के बाद ऐसे कयास लगाए जाने लगे कि कांग्रेस के बड़े नेताओं से इशारा मिलने के बाद ही उन्होंने दिल्ली की सियासत को लेकर टिप्पणी की।

हाल ही में आजाद को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त करने की संभावना संबंधी खबरें आई थीं जिसके बाद पार्टी नेताओं के एक धड़े ने इसका विरोध किया था। दिल्ली कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने किसी बाहरी व्यक्ति को दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाने का आग्रह करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक पत्र भी भेजा। इस बीच सूत्रों ने बताया कि पिछले दिनों दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी पीसी चाको की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल से मुलाकात हुई थी। बताते हैं कि पटेल ने चाको को दो टूक कह दिया था कि दिल्ली को लेकर कोई भी फैसला हरियाणा व महाराष्ट्र चुनाव के बाद ही लिया जाएगा। इसके बाद चाको अपने गृह प्रदेश केरल के लिए रवाना हो गए थे। वे सोमवार को ही दिल्ली लौटे। आजाद के सोमवार को किए गए ट्वीट के बाद अटकलों का दौर तेज हो गया है।

कैट के मुताबिक, बाजारों में रौनक नहीं
दिवाली पर ई-कॉमर्स कंपनियों ने निकाला दिवाला

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 अक्तूबर।

खुशियों के त्योहार दिवाली में महज 4 दिन बाकी बचे हैं लेकिन बाजारों से रौनक अब तक रूठी है। दिवाली पर बाजार में सुस्ती से व्यापारी परेशान हैं। देशभर के व्यापारियों के शीर्ष संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के मुताबिक, इसकी मुख्य वजह ई-कॉमर्स पर हो रहा व्यापार है। इंटरनेट पर ई-कॉमर्स वेबसाइट की बाढ़ ने दुकानदारों की कमर तोड़ दी है। तमाम वेबसाइट उत्पादों पर भारी छूट दे रही हैं। यही वजह है कि अब ग्राहक बाजारों में आने से कतराने लगे हैं। एसोसिएशन के मुताबिक, अभी हाल ही में अमेजन और फ्लिपकार्ट द्वारा लगाई गई त्योहारी छूट में दोनों कंपनियों ने केवल चार दिनों में ही लगभग 19 हजार करोड़ की बिक्री की है।

कैट के अध्यक्ष बीसी भरतिया ने कहा कि दिवाली के त्योहार पर अच्छे व्यापार की उम्मीद में व्यापारियों ने स्टॉक का अंबार लगाया हुआ है लेकिन लागत निकालना भी भारी है। पूरे महीने त्योहारों की भरमार रही फिर भी सभी प्रमुख खुदरा एवं थोक बाजार पूरी तरह सुनसान पड़े हैं। भरतिया ने बताया की देश में सालाना लगभग 45 लाख करोड़ का कारोबार होता है जिसमें से लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का व्यापार केवल दिवाली के त्योहारी मौसम में होता है। ई-कॉमर्स कंपनियों के अनैतिक व्यापार के विरोध में इस बार देशभर में दिवाली पर बाजार नहीं सजेंगे।

बाजारों को लेकर कैट के महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने भी चिंता जताई है। खंडेलवाल ने बताया की ऑनलाइन कंपनियों के अनैतिक व्यापार के कारण केवल मोबाइल सेक्टर के व्यापार में लगभग 60 फीसद की गिरावट है।

बाजार में गिरावट

कैट के मुताबिक, फैशन कपड़ों के बाजार में 40 फीसद, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, उपहार, किराना, बैग-लगेज और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान में 35 फीसद, विद्युत उपकरणों, किचन उपकरण,कंप्यूटर एवं कंप्यूटर के सामान, ब्यूटी एवं कॉस्मेटिक्स और खिलौनों में 30 फीसद, कपड़ों, फर्नीचर, सजावटी सामानों में 25 फीसद, जूतों में, घड़ियों में 20 फीसद और बिल्डिंग हार्डवेयर के बाजार में 15 फीसद गिरावट आई है।

यदि बाजार इसी प्रकार एक सप्ताह और चला तो इस दिवाली त्योहार पर ई-कॉमर्स कंपनियों की वजह से व्यापारियों के कुल व्यापार में लगभग 50 से 60 फीसद की गिरावट आने का अनुमान है। इस वर्ष अब तक ऑनलाइन कंपनियों के कारण व्यापारियों के कारोबार में लगभग 30 फीसद से ज्यादा का कारोबारी घाटा हो चुका है। यह परिस्थितियां बेहद चिंताजनक हैं।

भरतिया एवं खंडेलवाल ने कहा की देश में नवरात्र से 14 दिसंबर तक त्योहार के सीजन का पहला चरण होता है और उसके बाद 14 जनवरी से अप्रैल-मई तक शादियों का सीजन होने के कारण व्यापार का दूसरा चरण रहता है। बीते सालों में व्यापारियों की बिक्री में बेहद इजाफा होता था लेकिन इस साल कारोबार के अस्तित्व का संकट खड़ा है। उन्होंने बताया कि देशभर में लगभग 7 करोड़ व्यापारी हैं जो 45 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। बाजार में नकद की तरलता का बेहद अभाव है क्योंकि लोगों के पास खरीदारी के लिए अतिरिक्त धन नहीं है। करवाचौथ, धनतेरस जैसे महत्त्वपूर्ण त्योहार इस वर्ष महीने के आखिरी दिनों में पड़ रहे हैं।

पनीर से लदे चार ट्रक जांच में रोके गए

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 21 अक्तूबर।

थाना जारचा पुलिस ने सोमवार तड़के एनटीपीसी के पास चार कैंटर गाड़ियों में भरकर ले जाया जा रहे पनीर से भरे ट्रकों को रोक लिया। गाड़ियों में करीब पचास कुंतल (पांच टन) पनीर लदा था। जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस की सूचना पर खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। ट्रकों से पनीर के नमूने लेकर लखनऊ स्थित प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए हैं।

माल भेजने वालों का ब्योरा लेकर ट्रकों को छोड़ दिया गया। दीपावली के अवसर पर इतनी बड़ी मात्रा में पनीर में मिलावट के शक पर खाद्य सुरक्षा विभाग को सूचना दी गई। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक प्रथम दृष्टया जांच में पनीर देखने, सूंघने और खाने में सामान्य प्रतीत हुआ। पुष्टि के लिए चारों ट्रक से पनीर के नमूने लेकर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए हैं। ट्रक के एक कंटेनर में पनीर पर जंग आदि लगने की वजह नष्ट कराया गया है।

आज के कार्यक्रम

सभा/संगोष्ठी

इंडिया हैबीटाट सेंटर : 'द मिरैक्यूलस चाइनीज स्टोरीः लेसंस फॉर इंडिया' कार्यक्रम, गुलमोहर ऑडिटोरियम, लोधी रोड, शाम सात बजे।

फिल्म

इंडिया हैबीटाट सेंटर : इंडोनेशिया की फिल्म की प्रस्तुति, द स्टेन ऑडिटोरियम, लोधी रोड, शाम सात बजे।

मुसलिम पक्षकारों को नोट दाखिल करने की इजाजत

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड सहित मुसलिम पक्षकारों को राम जन्मभूमि–बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में अपने लिखित नोट दाखिल करने की अनुमति दे दी। मुसलिम पक्षकारों ने इसमें कहा है कि शीर्ष अदालत का निर्णय देश की भावी राज्य व्यवस्था पर असर डालेगा। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर के पीठ के समक्ष मुसलिम पक्षकारों के एक वकील ने कहा कि उन्हें राहत में बदलाव के बारे में लिखित नोट रिकार्ड पर लाने की अनुमति दी जाए ताकि इस मामले की सुनवाई करने वाली संविधान पीठ इस पर विचार कर सके।

प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले संविधान पीठ ने छह अगस्त से इस मामले में 40 दिन सुनवाई करने के बाद 16 अक्तूबर को कहा था कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा।

अयोध्या विवाद

मुसलिम पक्ष के वकील ने यह भी कहा कि विभिन्न पक्षकारों और शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री ने लिखित नोट सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने पर आपत्ति जताई है। मुसलिम पक्षकारों के वकील ने कहा, 'हमने अब रविवार को सभी पक्षकारों को अपने लिखित नोट भेज दिए हैं।' साथ ही उन्होंने अनुरोध किया कि रजिस्ट्री को उनके रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया जाए। हालांकि, पीठ ने इस लिखित नोट के विवरण के बारे में कहा कि सीलबंद लिफाफे में दाखिल यह नोट पहले मीडिया के एक वर्ग में खबर बन चुका है।

संविधान पीठ के समक्ष लिखित नोट दाखिल करने वाले मुसलिम पक्षकारों ने बाद में आम जनता के लिए एक बयान जारी किया था। मुसलिम पक्षकारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन द्वारा तैयार किए गए इस नोट में कहा गया है, 'इस मामले में न्यायालय के समक्ष पक्षकार मुसलिम पक्ष यह कहना चाहता है कि इस न्यायालय का निर्णय चाहे जो भी हो, उसका भावी पीढ़ी पर असर होगा। इसका देश की राज्य व्यवस्था पर असर पड़ेगा।'

इसमें कहा गया है कि न्यायालय का फैसला इस देश के उन करोड़ों नागरिकों और 26 जनवरी, 1950 को भारत को लोकतंत्रिक राष्ट्र घोषित किए जाने के बाद इसके सांविधानिक मूल्यों को अपनाने और उसमें विश्वास रखने वालों के दिमाग पर असर डाल सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि शीर्ष अदालत के निर्णय के दूरगामी असर होंगे, इसलिए न्यायालय को अपने ऐतिहासिक फैसले में इसके परिणामों पर विचार करते हुए राहत में ऐसा बदलाव करना चाहिए जो हमारे सांविधानिक मूल्यों में परिलक्षित हो।

आरे कालोनी में मेट्रो शेड परियोजना निर्माण नहीं रोका जा रहा : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि मुंबई के प्रमुख हरित क्षेत्र आरे कालोनी में मेट्रो की शेड परियोजना निर्माण पर रोक नहीं है। आरे कालोनी में पेड़ों की कटाई के विरूद्ध जबर्दस्त विरोध–प्रदर्शन हुआ था।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता के पीठ ने बृहन्नमुंबई नगर निगम की आरे कालोनी में वृक्षों की कटाई, वृक्षारोपण और वृक्षों को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने की तस्वीरों के साथ स्थिति रिपोर्ट मांगी है।

बृहन्न मुंबई नगर निगम की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को आश्वासन दिया कि आरे कालोनी में अब और वृक्षों की कटाई नहीं हो रही है और शीर्ष अदालत के पहले के आदेश के अनुरूप पूरी तरह से यथास्थिति बनाए रखी जा रही है। शीर्ष अदालत ने सात अक्तूबर को कानून के छात्र के पत्र को जनहित याचिका में तब्दील करते हुए आरे कालोनी में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था।

तीन तलाक : मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर (भाषा)।

ऑल इंडिया मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआइएमपीएलबी) ने एक बार में तीन तलाक को अपराध करार देने वाले कानून के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।

मुसलिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 तलाक–ए–बिद्दत या तलाक के ऐसे ही किसी अन्य रूप, जिसमें मुसलिम पति तत्काल तलाक देता है, को निरर्थक और अवैध करार देता है। यह कानून बोलकर, लिखकर, एसएमएस अथवा वाट्सऐप या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक बार में तीन तलाक को अवैध करार देता है।

कार्पोरेशन बैंक
सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक
अंचल कार्यालयः दिल्ली दक्षिण, प्रथम तल, कार्पोरेशन बैंक बिल्डिंग, 1, फैज रोड, झण्डेवालान, नई दिल्ली–110005, फोन : 011-28755514 / 28754642, 7042597411
ईमेल : cb8821rec@corpbank.co.in, वेबसाईट : www.corpbank.com

शुद्धिपत्र

दिनांक 20.10.2019 को इस समाचार पत्र के दिल्ली संस्करण में छपे विज्ञापन ई–नीलामी बिक्री सूचना के संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक शाखा गुड़गॉव के खाते के कर्जदार : मैसर्स स्टॉर वन पेरिशेबल की चल सम्पत्ति (वाहन) की ई–नीलामी दिनांक 21.11.2019 को होनी थी हम इस चल सम्पत्ति (वाहन) की ई–नीलामी को रद्द/निरस्त करते हैं। प्राधिकृत अधिकारी, कार्पोरेशन बैंक

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 के समक्ष

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियमावली) 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19 (4) के अंतर्गत सूचना

ओ.ए. नं. 390/2018 डीआरटी–III के मामले में

कॉर्पोरेशन बैंक बनाम **श्री फैजान फारुकी एवं अन्य**
आवेदक **प्रतिवादीगण**

सेवा में, डी–1 श्री फैजान फारुकी, पुत्र श्री शमीम फारुकी
डी–2 श्रीमती साइमा परवीण चौधरी पत्नी श्री फैजान फारुकी, दोनों निवासीः ई–604, एलेक्जेण्ड्रा टावर, ऑमैक्स ग्रैण्ड सेक्टर–93, नोएडा, उ.प्र.–201304
डी–3 मै. आम्रपाली स्मार्ट सिटी डेवलपर्स प्रा. लि., 307, 3रा तल, निपुण टावर्स, प्लॉट नं. 15, कम्युनिटी सेन्टर, कड़कड़डूमा, दिल्ली–110092 साथ हीः सी–56/40, सेक्टर–62, नोएडा, उत्तर प्रदेश

जैसा कि ऊपर नामित आवेदक ने आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है, तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिए यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 29.10.2019 को 10.30 पूर्वा. में इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर इस मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही की जाएगी।
मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 19 सित., 2019 को दी गई।

अधिकरण के आदेश से,
सहायक रजिस्ट्रार,
डीआरटी–III, नई दिल्ली

कॉर्पोरेशन बैंक
(सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक)
एम 41, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली–110001

सार्वजनिक सूचना

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि इस सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इस सम्पत्ति का किसी भी तरह का व्यवसाय वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज के लिये कॉर्पोरेशन बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

खाता/ऋणधारक का नाम एवं पता	प्रॉप्राइटर/पार्टनर्स/गारन्टर्स/सम्पत्ति के स्वामी आदि का नाम	गिरवी/चार्ज्ड सम्पत्ति का विवरण	बकाया राशि
मै. एप्पी डायमंड्स प्रा. लि. 2681–83ए, गली नं. 2, बेडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 साथ हीः बिल्डिंग नं. 415/3, 9, सदर बाजार, राम लीला ग्राउण्ड (मैन पोस्ट ऑफिस के निकट) गुड़गाँव, हरियाणा–122001	ऋणधारक कम्पनीः मै. एप्पी डायमंड्स प्रा. लि. सह–देनदारोंः 1. श्री कमल कुमार गुप्ता 2. श्री मोहित गुप्ता	मै. एप्पी डायमंड्स प्रा. लि. के नाम में रोशनपुरा रामलीला ग्राउण्ड, तहसील एवं जिला गुड़गाँव में स्थित बेस्मेन्ट, भूतल, प्रथम तल तथा दूसरे तल से शामिल फ्रीहोल्ड सम्पत्ति सं. 415/3, माप 114 वर्ग यार्ड्स जिसका कवर्ड एरिया 3700 वर्ग फीट है, का मार्टगैज	रु. 3666805.00 (ब्याज 30.9.2019 तक डेबिट की गई)

तिथिः 21.10.2019 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः दिल्ली कॉर्पोरेशन बैंक

GOLDEDGE ESTATE AND INVESTMENTS LIMITED
CIN- U70101DL1992PLC047541
Regd. Office: C-115, Mansarovar Garden Ground Floor New Delhi - 110015
E-mail: goldedgeestate20196@gmail.com Ph no. 011-25193568
www.goldedgeestate.in

Notice regarding Board Meeting to take on record the unaudited Financial Results for the Quarter and half year ended on 30th September, 2019

Pursuant to clause 29 of the SEBI (Listing Obligations And Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI Circular No. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated 05th July, 2016, Notice is hereby given that the meeting of Board of Directors of the Company will be held on Saturday, the 14th day of December, 2019 at 02.00 P.M. at the Registered Office of the company to consider and take on record the unaudited financial results with Ind-AS Compliance for the Quarter and half year ended on 30th September, 2019

For GOLDEDGE ESTATE AND INVESTMENTS LIMITED
Sd/-
Abhishek
(Company Secretary)
M. No. A47842

Place: New Delhi
Date: 18.10.2019

एटलस साइकल्स (हरियाणा) लिमिटेड
पंजी. कार्यालयः औद्योगिक क्षेत्र, एटलस रोड, सोनीपत–131001
CIN No. L35923HR1950PLC001614
टेली.: 0130–2200001–06, फैक्सः 0130–2200018
ई–मेलः companysecretary@atlascycles.co.in
वेबसाईटः www.atlasbicycles.com

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक मंगलवार, 29 अक्टूबर, 2019 को 5.00 बजे सायं में 3, औरंगजेब लेन, नई दिल्ली 110011 में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ अधोलिखित पर विचार एवं अनुमोदन कर उसे अभिलेख में लिये जाएंगेः
– 31.3.2019 को समाप्त तिमाही/ वर्ष के लिए कंपनी के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडएलॉन एवं समेकित)
– 30.06.2019 को समाप्त तिमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय विवरणों

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.atlasbicycles.com तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से
एटलस साइकल्स (हरियाणा) लिमिटेड के लिए
हस्ता./–
दिनांकः 21.10.2019 निलिखल बिन्दल
स्थानः सोनीपत कंपनी सचिव-सह-अनुपालन अधिकारी

FORM B
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) regulations, 2016)
FOR THE ATTENTION OF STAKEHOLDERS OF
RELIABLE INSUPACKS PRIVATE LIMITED

S.No.	Particulars	Details
1.	Name of Corporate Debtor	Reliable Insupacks Private Limited
2.	Date of Incorporation of corporate debtor	10 July 1998
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated/ registered	Registrar of Companies, Delhi
4.	Corporate Identity No. of the corporate debtor	U74999DL1998PTC094908
5.	Address of registered office and principal office of corporate debtor	House No. 9 & 10, Hailey Road, New Delhi – 110001 B - 2/7&8, Site - B, U. P. S. I. D. C. Industrial Area Surajpur Block E., UPSIDC Site B, Surajpur, Noida, Uttar Pradesh 201306
6.	Date of closure of Insolvency Resolution Process	5 October 2019
7.	Liquidation commencement date of corporate debtor	11 October 2019 as per NCLT order[received by liquidator on 18 October 2019]
8.	Name and registered number of insolvency professional acting as liquidator	Sumit Bansal IBBI/IPA-001/IP-P00111/2017-18/10218
9.	Address and e-mail of liquidator, as registered with the Board	B-11, I Floor, RDC, Court Road, Ghaziabad- 201002 sumibans@gmail.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with liquidator	B-11, I Floor, RDC, Court Road, Ghaziabad- 201002 ripl.cirp@gmail.com
11.	Last date for submission of claims	18 November 2019 *

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, New Delhi Bench has ordered commencement of liquidation of Reliable Insupacks Private Limited on 11 October 2019 (received on 18 October 2019) under section 33 of the code.
*The stakeholders of Reliable Insupacks Private Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 18 November 2019 to the liquidator at the address mentioned against item no. 10 above. Creditors whose claim were admitted under CIRP, may not submit the claim again, unless there is a revision in the claim.
The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or electronic means.
Submission of false or misleading proof of claims shall attract penalties.

Date: 19th Oct 2019 Sumit Bansal
Place: Ghaziabad Liquidator in the matter of Reliable Insupacks Pvt Ltd

---

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]
श्री अम्बिका इन्टरनेशनल फूड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण		
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	श्री अम्बिका इन्टरनेशनल फूड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	15.11.2006
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार– दिल्ली (कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत)
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U51109DL2006PTC155525
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजी. कार्याः 1008 डी मॉल, प्लॉट नं. ए 1, नेताजी सुभाष प्लेस, वजीरपुर डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, पीतमपुरा, दिल्ली–110054 वर्क्सः नदाना रोड तराउरी, करनाल, हरियाणा–13216
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	16 अक्टूबर, 2019 (आदेश 21.10.2019 को प्राप्त हुई)
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	13 अप्रैल, 2020 (दिवाला शुरू होने की तिथि से 180 दिन)
8.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के रूप में कार्यरत है	महेश बंसल IBBI/IPA-001/IP-P00785/2017-2018/11341
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल का पता एवं ईमेलः	महेश बंसल मै. महेश बंसल एंड एसोसिएट्स, चार्टड एकाउन्टैन्ट्स, एससीएफ 24, प्रथम् तल, भदौर हाउस, लुधियाना 141008 ई–मेलः emmbee.consulting@gmail.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	महेश बंसल मै. महेश बंसल एंड एसोसिएट्स, चार्टड एकाउन्टैन्ट्स, एससीएफ 24, प्रथम् तल, भदौर हाउस, लुधियाना 141008 ई–मेलः ip.shriambicainternational@gmail.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	4 नवम्बर, 2019
12.	क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल द्वारा सुनिश्चित किया गया	लागू नहीं
13.	किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेश्नल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र तथा (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	क) https://ibbi.gov.in/downloadform.html ख) एन/ए

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण नई दिल्ली पीठ, कोट IV ने 16 अक्तूबर, 2019 (आदेश 21.10.2019 को प्राप्त की गई) को मै. श्री अम्बिका का इन्टरनेशनल फूड कम्पनी प्रा. लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एतद्द्वारा को मै. श्री अम्बिका का इन्टरनेशनल फूड कम्पनी प्रा. लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि नं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के पास 4 नवम्बर, 2019 को या उससे पूर्व प्रमाणों के साथ अपने दावे जमा करें। फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रमाणों के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं।
प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष यथा सूचीबद्ध किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय क्रेडीटर प्रपत्र सीए में वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद को दर्शाएं।
दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

तिथिः 21 अक्टूबर, 2018 सीए महेश बंसल
स्थानः लुधियाना अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल
सेलः 9814117576

नियुक्तियां

भारत सरकार
लोक उद्यम चयन बोर्ड
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
में
निदेशक (तकनीकी)
पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।
लोक उद्यम चयन बोर्ड में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि **24 दिसम्बर, 2019 (15.00 बजे तक)** है।
जानकारी के लिए वेबसाइट
http://www.pesb.gov.in
में लॉग इन करें।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
प्रधान कार्यालय : चंद्रमुखी, नरीमन पॉइन्ट, मुम्बई – 400 021

विभिन्न धाराओं में विशेषज्ञ श्रेणियों के अधिकारियों की भर्ती

सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका अखिल भारतीय स्तर पर 4600 से अधिक की शाखाओं का नेटवर्क है एवं अपने 34500 से अधिक कर्मचारियों की प्रतिबद्ध समूह के साथ जिसका कुल कारोबार 4,80,000 करोड़ से अधिक है, विभिन्न धाराओं में **विशेषज्ञ श्रेणी** के अधिकारियों की भर्ती करना चाहता है, शैक्षणिक योग्यता/अनुभव इत्यादि के बारे में और अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार कृपया बैंक की वेबसाइट **https://www.centralbankofindia.co.in** विज़िट करें. सभी इच्छुक उम्मीदवार बैंक की वेबसाइट पर 30.10.2019 से 21.11.2019 तक (दोनों तिथियों को मिलाकर) आवेदन कर सकते हैं।

मुम्बई / दिनांक : 22.10.2019 महाप्रबंधक (मासंवि)

SBI भारतीय स्टेट बैंक
केंद्रीय भर्ती एवं पदोन्नति विभाग, कॉरपोरेट केंद्र, मुंबई
फोनः 022-2282 0427; फ़ैक्सः 022-2282 0411, ईमेलः crpd@sbi.co.in

विज्ञापन सं. CRPD/SCO/2019-20/16
एसबीआई में नियमित/अनुबंध आधार पर विशेषज्ञ संवर्ग के अधिकारियों की भर्ती

भारतीय नागरिकों से नियमित/अनुबंध आधार पर निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं

अनु. क्र.	पद	अनु. क्र.	पद
1	प्रबंधक (मार्केटिंग–रियल एस्टेट एवं हाउसिंग)	9	वरिष्ठ विशेष कार्यपालक (फेमा अनुपालन)
2	प्रबंधक (बिल्डर संपर्क)	10	कार्यपालक (वित्तीय समावेशन एवं एमएम)
3	प्रबंधक (उत्पाद विकास एवं अनुसंधान–आरईएच)	11	वरिष्ठ कार्यपालक (सामाजिक बैंकिंग एवं सीएसआर)
4	प्रबंधक (जोखिम प्रबंधन–आईबीजी)	12	प्रबंधक (एनीटाइम चैनल्स)
5	प्रबंधक (क्रेडिट एनालिस्ट–आईबीजी)	13	प्रबंधक (एनालिस्ट–एफआई)
6	वरिष्ठ विशेष कार्यपालक (अनुपालन)	14	उप प्रबंधक (कृषि विशेषज्ञ)
7	वरिष्ठ कार्यपालक–वित्तीय संस्था (प्रतिनिधि संपर्क)	15	प्रबंधक (विश्लेषक)
8	वरिष्ठ विशेष कार्यपालक (स्ट्रैटेजी–टीएमजी)	16	वरिष्ठ कार्यपालक (रिटेल बैंकिंग)

पात्रता संबंधी मापदंड (उम्र, अर्हता तथा अनुभव), कार्य का स्वरूप, केआरए, अपेक्षित शुल्क व अन्य विवरण बैंक की वेबसाइट https://bank.sbi/careers या https://www.sbi.co.in/careers पर विज्ञापन सं. CRPD/SCO/2019-20/16 के अंतर्गत, ऑनलाइन आवेदन जमा कराने तथा आवेदन शुल्क के भुगतान के लिंक के साथ उपलब्ध है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने तथा शुल्क का भुगतान करने से पहले विस्तृत विज्ञापन को अच्छी तरह पढ़कर अपनी पात्रता तथा अन्य विवरणों को सुनिश्चित कर लें.
ऑनलाइन आवेदन दर्ज करने तथा शुल्क का भुगतान करने की तिथिः 15.10.2019 से 06.11.2019 तक.
किसी भी पूछताछ के लिए, कृपया हमें "CONTACT US" → "Post Your Query" लिंक के माध्यम से लिखें जो बैंक की वेबसाइट (URL- https://bank.sbi/ careers या https://sbi.co.in/careers) पर उपलब्ध है

स्थानः मुंबई | दिनांकः 15.10.2019 महाप्रबंधक (सीआरपीडी)

बामर लॉरी एण्ड कं. लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उद्यम)
पंजी. कार्यालयः 21, एनएस रोड, कोलकाता-700 001
सीआईएनः: L15492WB1924GOI004835
फोनः 033 22225313, ई-मेलः bhavsar.k@balmerlawrie.com
वेबसाईटः www.balmerlawrie.com

सूचना

सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 29 एवं विनियम 47 के अनुसार एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 30 सितंबर, 2019 को समाप्त द्वितीय तिमाही के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडएलोन एवं एकीकृत) पर विचार एवं अनुमोदन करने हेतु सोमवार, 11 नवंबर, 2019 को कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक का आयोजन किया जाएगा।

यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट **www.balmerlawrie.com** तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट **www.bseindia.com** एवं **www.nseindia.com** पर भी उपलब्ध है।

कृते बामर लॉरी एण्ड कं. लिमिटेड
कविता भावसार
स्थान : कोलकाता कम्पनी सचिव
तिथि : 18 अक्तूबर, 2019 एफ-4767

परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये सूचना
एडवांस्ड नवोत्पद सर्फेक्टैन्ट्स लिमिटेड (परिसमापन में)

दिवाला एवं दिवालिया संहिता, 2016 के अंतर्गत परिसम्पत्तियों की बिक्री श्री सेथुरत्नम रवि, परिसमापक द्वारा परिसमापक का पंजी. पताः 505 ए, 5 वां तल, रेक्टेंगल-1, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, साकेत, दिल्ली–110017, ई–मेलः castravi.ip@gmail.com, liqansl@gmail.com, सम्पर्क नं. 011–40548860

ई–नीलामी की तिथि एंव समयः 12.11.2019 को 10 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप. (प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथिः 6.11.2019

एडवांस्ड नवोत्पद सर्फेक्टैन्ट्स लिमिटेड के परिसम्पत्तियों जो परिसमापन सम्पदा का भाग है, की बिक्री दिवाला तथा दिवालिय संहिता, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत माननीय एनसीएलटी, प्रधान पीठ द्वारा नियुक्त परिसमापक द्वारा आयोजित की जा रही है। परिसम्पत्तियों की बिक्री परिसमापक द्वारा ई–नीलामी प्लेटफार्म https://eauctions.co.in के माध्यम से की जायेगी। बिक्री की परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों का विवरण इस प्रकार हैः

परिसम्पत्तियाँ	ब्लॉक	आरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि	वृद्धि मूल्य
भिवाड़ी, अलवर में फैक्ट्री, प्लॉट नं. एफ-56, एफ-57, इंडस्ट्रियल एरिया, चोपंकी, भिवाड़ी, जिला अलवर, राजस्थान में स्थित भूमि, भवन, प्लान्ट एवं मशीनरी, फर्नीचर एवं साजो-सामान से शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा	ए	आईएनआर 814.21 लाख	आईएनआर 81.42 लाख	आईएनआर 5 लाख

परिसम्पत्तियों के विवरण, ऑन लाइन ई-नीलामी बोली प्रपत्र, उद्घोषणा तथा प्रतिज्ञा पत्र, ऑन लाइन ई-नीलामी के समान्य नियमों एवं शर्तों से शामिल सम्पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज वेबसाईट https://eauctions.co.in पर उपलब्ध है।
ई–नीलामी सेवा प्रदाता की ओर से सम्पर्क व्यक्तिः
दीक्षित प्रजापति–7874138237
परिसमापक की ओर से सम्पर्क व्यक्ति
ई–मेलः casravi.ip@gmail.com, liqansl@gmail.com

हस्ता/–
सेथुरत्नम रवि, परिसमापक
एडवांस्ड नवोत्पद सर्फेक्टैन्ट्स
तिथिः 22.10.2019
स्थानः दिल्ली IBBI पंजी सं. IBBI/IPA-001/IP-P00372/2017-18/10629

दि फेडरल बैंक लि.,
एलसीआरडी/नई दिल्ली डिविजन 2/2,
फेडरल टॉवर्स, अपर ग्राउंड फ्लोर,
वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली–110008

फेडरल बैंक
आपका सम्पूर्ण बैंकिंग भागीदार
पंजी. कार्यालयः अलवाये, केरल

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 का प्रवर्तन (यहां के बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत फेडरल बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (यहां के बाद नियम के रूप में संदर्भित) के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना, दिनांक 16.05.2019 जारी की थी, जिसके द्वारा कर्जदार **1. श्री अवधेश कुमार झा पुत्र श्री मनमोहन झा 2. श्रीमती सीमा झा पत्नी श्री अवधेश कुमार झा** दोनों निवासी फ्लैट नं. डी–21, एमआईजी, जी–1, भूतल, कौशाम्बी, गाजियाबाद, यूपी को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.13,22,033/– (तेरह लाख बाईस हजार तैंतीस रुपए)** का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा गया था। कर्जदार के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उपर्युक्त नियम के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले उपर्युक्त अधिनियम के अनुच्छेद 13(4) के अंतर्गत उन्हें को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का **कब्जा दिनांक 16 अक्टूबर, 2019 को ले लिया है। ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13)(8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।**
कर्जदार को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन–देन फेडरल बैंक लि. को **रु.13,84,784/– (तेरह लाख चौरासी हजार सात सौ चौरासी रुपए)** प्लस उस पर ब्याज तथा लागत एवं अन्य प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

आवासीय कॉलोनी जिसे कौशाम्बी के नाम से जाना जाता है, तहसील एवं जिला गाजियाबाद में स्थित एमआईजी फ्लैट नं. जी–1, भूतल, बिना छत अधिकार के साथ, सुपर कवर्ड एरिया परिमाप 700 वर्ग फीट अर्थात 65.029 वर्ग मीटर के सभी भाग एवं हिस्से सहित निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक स्वामित्व हिस्से के साथ प्लॉट नं. डी–21, ब्लॉक–डी में निर्मित पैसेज, सुविधा अधिकार, सम्पूर्ण भूमि परिमाप 418.50 वर्ग मीटर के साथ उस पर सभी सुधार जो घिरा हैः पूर्वः प्लॉट नं. डी–20, पश्चिमः प्लॉट नं. डी–22, उत्तरः प्लॉट नं. डी–32 एवं दक्षिणः 12 मीटर चौड़ी रोड।

दिनांक : 16.10.2019 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : नई दिल्ली दि फेडरल बैंक लि.

सिंडिकेट बैंक
SyndicateBank
सी-34, 3रा तल डीडीए ऑफिस कम शॉपिंग कॉम्प्लैक्स
मूलचंद हॉस्पीटल के सामने, लाजपत नगर, दिल्ली–110024,
ईमेलः samb.delhi@syndicatebank.co.in

तनावग्रस्त परिसम्पत्ति प्रबंध शाखा, दिल्ली
सरफैसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत ई–नीलामी बिक्री सूचना
वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (यहां के बाद अधिनियम के रूप में वर्णित) के अंतर्गत अचल/चल परिसम्पत्तियों की बिक्री

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि सिंडिकेट बैंक के पास गिरवी रखी गई अधोलिखित सम्पत्ति जिसका अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा किया गया है, की नीचे वर्णित रूप में अधोलिखित बकाये तथा लागू होने वाले ब्याज, चार्जेज तथा लागतों आदि की वसूली के लिये ई–नीलामी द्वारा बिक्री की जायेगी।
प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली (यहां के बाद नियमावली के रूप में वर्णित) के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये नीचे वर्णित सम्पत्ति की **''जैसा है जहां है, जो कुछ भी वहां है तथा उपचार–रहित आधार''** पर बिक्री की जायेगी।

ऋणधारक/गारन्टर का नाम एवं पता	1. मै. यूनीसन ओवरसीज, श्री सौरभ गुलाटी (प्रॉप.), डी–211, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली–110015 2. मै. एसएनजी एक्सपोर्ट्स (स्युरिटी/स्वामी) श्री अनिल गुलाटी (प्रॉप.) जे–001, एम्बिएंस हाइट्स, गुड़गाँव, हरियाणा–122002
कुल बकाया राशिः	19.8.2017 को रु. 5,18,70,706.58 (रुपये पांच करोड़ अठारह लाख सत्तर हजार सात सौ छः एवं पैसे अन्ठावन मात्र) तथा भुगतान की तिथि तक ब्याज एवं लागत वसूली जाएगी।
अचल/चल सम्पत्तियों का विवरण	मै. एसएनसी एक्सपोर्ट्स (गारन्टर तथा सम्पत्ति के स्वामी), प्रॉप्राइटर श्री अनिल गुलाटी के नाम में आवासीय मकान सं. 20, क्षेत्रफल माप 450 वर्ग मी., सेक्टर–1, आईएमटी मानेसर, जिला गुरुग्राम में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दी इस प्रकार हैः पूर्वः प्लॉट नं. 21, पश्चिमः अन्य सम्पत्ति, उत्तरः 40' चौड़ा रोड, दक्षिणः पार्क
बैंक की जानकारी में सम्पत्ति पर अधिभारों का विवरण	एन.ए.
ई–नीलामी से संबंधित विवरण नीचे दिये गये हैंः	
ई–नीलामी की तिथि एवं समय	6.11.2019 को 10.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. तक
सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य	रु. 1,58,95,000/– (रुपये एक करोड़ अन्ठावन लाख पंचानवे हजार मात्र)
ई–नीलामी वेबसाइट का पता	https://syndicatebank.auctiontiger.net
धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी)	रु. 15,89,500/–
बोली जमा करने की अंतिम तिथि	5.11.2019
न्यूनतम बोली वृद्धि राशि	रु. 50,000
इच्छुक बोलीदाता द्वारा सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	2.11.2019 को 10.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. तक
सेवा प्रदाता के सम्पर्क का विवरण तथा वेबसाईट का पता (नाम/टेलीफोन नं./ईमेल आईडी/पता)	मै. ई–प्रॉक्योरमेन्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड– Auction Tiger फोनः 9265562821, 79–61200594/598/568/587/538 delhi@auctiontiger.net ramprasad@auctiontiger.net support@auctiontiger.net

नियम एवं शर्तें

1. यह बिक्री सरफैसी अधिनियम/नियमावली, 2002 में निर्दिष्ट शर्तों तथा यहां नीचे वर्णित नियमों एवं शर्तों तथा साथ ही इच्छुक/भाग लेने वाले बोलीदाताओं द्वारा जमा की जाने वाली प्रस्ताव/बोली दस्तावेजों में शर्तों के अधीन होगी।
2. उपरोक्त सम्पत्तियों की बिक्री प्रक्रिया वेबसाइट अर्थात् https://syndicatebank.auctiontiger.net के प्लेटफार्म पर बैंक के ई–नीलामी सेवा प्रदाता मै. ई–प्राक्योरमेन्ट टेक्नोलॉजीज, बी–704, वाल स्ट्रीट–II ऑरिएण्ट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज के निकट, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद–380006, गुजरात (भारत) सम्पर्क व्यक्ति श्री राम प्रसाद–9265562821, 79–61200594/ 598/ 568/ 587/ 538 द्वारा उक्त तिथि अर्थात् 6.11.2019 को 10.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. तक केवल ई–नीलामी द्वारा संचालित की जायेगी। यदि जरूरी हो, ईएमडी जमा करने वाले बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता द्वारा ई–नीलामी पर प्रशिक्षण भी दी जायेगी।
3. धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान बोली जमा करने से पूर्व सिंडिकेट बैंक, खाता नं. 92083170000014, सिंडिकेट बैंक, लाजपत नगर शाखा, आईएफएससी कोडः SYNB0009035 की क्रेडिट के लिये आरटीजीएस/एनईएफटी/निधि अंतरण द्वारा किया जायेगा। ईएमडी का भुगतान सिंडिकेट बैंक के पक्ष में नई दिल्ली में देय पे आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भी किया जा सकता है।
4. संबंधित विवरणों के साथ बोली निर्धारित प्रारूप में जमा की जायेगी। विवरणों के लिये कृपया सम्पर्क करेंः मै. ई–प्राक्योरमेन्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, श्री राम शर्मा, मो.: 080000232, 9978591888, लैण्डलाइन नम्बर 079–41072409/41072410/441/442, ईमेल आईडीः delhi@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net, kushal@auctiontiger.net तथा support@auctiontiger.net, ए–201/208, वाल स्ट्रीट–II, गुजरात कॉलेज के निकट ओरिएण्ट क्लब के सामने, अहमदाबाद–380006 (गुज.) वेबसाइट अर्थात् https://syndicatebank.auctiontiger.net के प्लेटफार्म पर।
5. इच्छुक बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी, सी–34, 3रा तल, डीडीए कार्यालय–सह–शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, मूलचंद अस्पताल के सामने, लाजपत नगर, नई दिल्ली–110024 के पते से मुहरबंद लिफाफे में ईएमडी प्रेषण के डीडी/पीओ/एनईएफटी/आरटीजीएस के यूटीआर नं. के साथ विधिवत भरा गया बोली प्रपत्र (उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप में) इस तरह से जमा करें ताकि वह 5.11.2018 से पूर्व पहुंच जाये। मुहरबंद लिफाफे के ऊपर 'ई–नीलामी बिक्री ''मै. यूनीसन ओवरसीज की की खाता में'' भागीदारी के लिये बोली शीर्षांकित किया जायेगा।
6. उपरोक्त के अनुपालन के उपरांत बोलीदाताओं को इन्टर से नीलामी बोली में ऑनलाइन भागीदारी की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। ऑनलाइन बोली वेबसाईट delhi@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net वेबसाईट का पता पर होगी तथा यहां वर्णित नियमों एवं शर्तों के साथ ही साथ बोली दस्तावेज की शर्तों के अधीन होगी। पुनः यह बिक्री सरफैसी अधिनियम/नियमावली के अनुसार की जायेगी।
7. स्वयं इच्छुक बोलीदाता अथवा उनके विधिवत अधिकृत एजेन्ट को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को ई–नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
8. ई–नीलामी के इच्छुक बोलीदाता बिक्री सूचना, ई–नीलामी के नियमों एवं शर्तों, ई–नीलामी के प्रचालनात्मक भाग पर हेल्प मैन्युअल तथा ई–नीलामी से संबंधित प्रक्रिया अनुपालन प्रपत्र की प्रति सेवा प्रदाता अर्थात् delhi@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net वेबसाईट का पता से डाउनलोड कर सकते हैं, ई–नीलामी में भाग लेने के लिये इच्छुक बोलीदाता के पास वैध डिजीटल हस्ताक्षर, सक्रिय ई–मेल आईडी तथा पैन नम्बर होना चाहिए। ऐसे कोई भी इच्छुक बोलीदाता जिनके पास वर्तमान में डिजीटल हस्ताक्षर नहीं हो, वे उसे इस प्रकार का हस्ताक्षर जारी करने वाले पंजीकरण प्राधिकरण (भारत सरकार द्वारा प्रमाणित) से प्राप्त कर सकते हैं।
9. उक्त डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र तथा इन्टरनेट कनैक्शन से युक्त कम्प्यूटर टर्मिनल सिस्टम प्राप्त करने का एकाकी उत्तरदायित्व बोलीदाता का है ताकि वे बोली में भाग लेने में सक्षम हो सकें। ऑन–लाइन बोली प्रक्रिया के दौरान डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र तथा कनैक्टिविटी से संबंधित कोई भी विषय पर ध्यान देना बोलीदाता का एकाकी उत्तरदायित्व होगा तथा इस सिलसिले में बैंक अथवा ई–नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।
10. बोलीदाता किसी एक या सभी लॉटों के लिये बोली कर सकते हैं।
11. बोलीदाता को केवाईसी मानको को पूरा करना होगा तथा 5.11.2019 को या पूर्व ऑन लाइन के साथ ही साथ ऑफ लाइन स्वतः सत्यापित केवाईसी दस्तावेजों को उपलब्ध कराना होगा। केवाईसी दस्तावेजों की प्रमाणिकता बोलीदाता का एकाकी उत्तरदायित्व होगा।
12. विधिवत अपूर्ण भरी गई बोलियों अथवा ईएमडी से रहित प्रस्तावों अथवा निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं होगा। उसे वैध प्रस्ताव नहीं माना जाएगा एवं उसे तद्नुसार निरस्त कर दिया जाएगा।
13. ईएमडी के साथ बोली जमा करने की अंतिम तिथि की समाप्ति के बाद प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उन्हें प्राप्त बोलियों की जांच की जाएगी तथा ई–नीलामी बिक्री सूचना में वर्णित तिथि एवं समय पर ऑन लाइन इंटर–से बोली/नीलामी कार्यवाही में शामिल होने के लिए उन बोलीदाताओं को अनुमति देने के लिए सेवा प्रदाता मै. ई–प्रॉक्योरमेन्ट टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड के पास योग्य बोलीदाताओं (जिन्होंने आरक्षित मूल्य या उससे ऊपर अपनी बोली कोट किए हों तथा अन्य तथ्यों जैसे वैध केवाईसी आदि के साथ निर्धारित ईएमडी का भुगतान किए हों) के विवरणों की पुष्टि की जाएगी।
14. योग्य बोलीदाताओं के बीच इंटर–से बोली योग्य बोलीदाता द्वारा कोट की गई उच्चतम मूल्य से शुरू होगी तथा बोलीदाता (सम्पत्ति की मूल्य के आधार पर) रु. 50000/– के गुणकों में अपनी बोली दे सकते हैं।
15. नीलामी आरंभिक रूप से 60 मिनट की अवधि के लिए होगी जिसके बाद प्रति 5 मिनट का असीमित विस्तार होगा अर्थात शुरू में नीलामी 60 मिनट होगी तथा यदि अंतिम 5 मिनट में कोई वैध बोली प्राप्त होती है तो नीलामी अगले 5 मिनट के लिए आगे बढ़ जाएगी। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि अंतिम 5 मिनट में कोई बोली प्राप्त नहीं होती है।
16. किसी भी स्थिति में सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेचा जाएगा।
17. सम्पत्ति की बिक्री उच्चतम बोलीदाता को की जाएगी जो प्रतिभूत क्रेडीटर द्वारा बोली की स्वीकृति के अधीन होगी।
18. ई–नीलामी प्रक्रिया में सफल घोषित आवेदक को उपबंध (3) में वर्णित भुगतान की पद्धति में ई–नीलामी बिक्री प्रक्रिया की समाप्ति के तत्काल बाद 25% क्रय मूल्य (ईएमडी सहित) का भुगतान करना होगा। सफल बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि तकनीकी विषयों/ चूक से बचने के लिए बैंक के व्यावसायिक अवधि का ध्यान रखें।
19. शेष क्रय मूल्य का भुगतान ई–नीलामी की तिथि से 15वें दिन या उससे पूर्व अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित में स्वीकृत विस्तारित अवधि में बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के पास किया जाएगा। निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक करने पर यह बिक्री स्वतः रद्द हो जाएगी तथा धरोहर राशि के साथ बोलीदाता द्वारा जमा की गई सम्पूर्ण राशि बिना किसी सूचना के जब्त कर ली जाएगी तथा सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। चूक करने वाले क्रेता बैंक/ प्राधिकृत अधिकारी के विरुद्ध कोई उपचार/दावा नहीं कर सकेंगे।
20. असफल बोलीदाता की ईएमडी ई–नीलामी बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर उन्हें वापस कर दी जाएगी।
21. सफल बोलीदाता को स्टाम्प शुल्क, चार्जेज जिसमें बिक्री प्रमाणपत्र, पंजीकरण शुल्कों, सरकार को देय अन्य कोई सांविधिक देयता शामिल हैं, टैक्स एवं रेट्स तथा सम्पत्ति से संबंधित वर्तमान तथा भविष्य की देयताओं का वहन करना होगा।
22. बिक्री प्रमाणपत्र बिक्री मूल्य के रूप में सफल बोली राशि, सम्पूर्ण सफल बोली राशि/ अंतिम बोली राशि तथा अन्य चार्जेज, यदि कोई हो, के भुगतान पर केवल सफल बोलीदाता के नाम में ही जारी किया जाएगा।
23. चूक करने वाले बोलीदाता/ क्रेता सम्पत्ति अथवा उस राशि के किसी भाग जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी, के प्रति अपने सभी अधिकारों से वंचित हो जाएंगे।
24. सम्पत्ति की बिक्री सभी दृष्टियों से ''जैसा है जहां है, जो कुछ भी वहां है, तथा उपचार–रहित'' आधार पर तथा सांविधिक देयताओं, यदि कोई हो, के अधीन की जाएगी। अपनी बोली जमा करने से पूर्व इच्छुक बोलीदाता किसी प्रकार के दावे, सम्पत्ति पर चार्जेज/ अधिभारों, किसी भी प्राधिकरण से संबंधित के साथ ही साथ बैंक के चार्जेज के विषय में अपनी गोपनीय जांच कर लें तथा सम्पत्ति से संबंधित टाइटल, विस्तार, मात्रा एवं गुणवत्ता के विषय में स्वयं को संतुष्ट कर लें। सम्पत्ति में किसी भी प्रकार की असंगति के लिए बोली जमा करने की तिथि से भविष्य के सभी उपचारों के लिए भाग लेने वाले बोलीदाता ही एकाकी रूप से उत्तरदायी होंगे।
25. बोली जमा करने/बिक्री की पुष्टि के बाद बिक्री के लिए रखी गई सम्पत्ति, सम्पत्ति पर चार्जेज/ अधिभारों अथवा किसी भी अन्य विषय के लिए किसी भी दावे पर विचार नहीं होगा।
26. बिक्री के अधीन सम्पत्ति के मामले में किसी भी प्रकार के चार्ज, लिएन, अधिभार, सम्पत्ति कर के बकाए बिजली बिल आदि अथवा सरकार, स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी भी व्यक्ति को देय बकाए के लिए प्राधिकृत अधिकारी/ बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
27. संभावित बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि बैंक के पास उपलब्ध टाइटल डीड, यदि कोई हो को देख लें तथा साथ ही सम्पत्ति के टाइटल, मार्केटैबिलिटी, अधिकार, हित, अधिभार, देयता, सम्पत्ति पर यदि कोई हो के विषय में स्वयं को संतुष्ट कर लें।
28. प्राधिकृत अधिकार को बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या निरस्त करने अथवा बिक्री को स्थगित/ रद्द/ निलम्बित करने अथवा स्वामी, बोलीदाता, जनता आदि को बिना कोई पूर्व सूचना दिए किसी भी समय में बिक्री के नियमों एवं शर्तों में संवर्धन करने/ घटाने/ परिवर्तित करने का अधिकार है।
29. यह ई–नीलामी बिक्री प्रतिभूत क्रेडीटर/ बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है। यदि ऋणधारक/ गारन्टर बिक्री की तिथि से पूर्व बैंक को सम्पूर्ण बकाए का भुगतान कर देते हैं तो यह बिक्री नहीं की जाएगी। इस संदर्भ में सफल बोलीदाता का कोई दावा नहीं होगा तथा बिक्री/ नीलामी का स्थगन बैंक/ प्राधिकृत अधिकारी की स्वैच्छा पर निर्भर है।
30. सिंडिकेट बैंक ने मै. ई–प्राक्योरमेन्ट टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. को सेवा प्रदाता नियुक्त किया है जो नीलामी के संचालन में अधोहस्ताक्षरी की सहायता करेंगे।
31. संभावित बोलीदाता मै. ई–प्राक्योरमेन्ट टेक्नोलॉजीज प्रा. लि., फोन– 9265562821, 79–61200594/ 698/ 568/ 587/ 353, ईमेल आईडीः delhi@auctiontiger.net तथा support@auctiontiger.net ई–नीलामी पर ऑन लाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
32. इच्छुक बोलीदाता उपरोक्त तिथि एवं समय पर अपने स्वयं के खर्चे पर पूर्व अनुमति लेकर सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। सम्पत्ति के निरीक्षण के लिए कृपया हमारे एसएएमवी, दिल्ली, samb.delhi@syndicatebank.co.in (फोन नं. एवं ईमेल आईडी के साथ सम्पर्क का विवरण) अथवा मै. ई. प्रॉक्योरमेन्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (फोन नं. ईमेल आईडी के साथ सम्पर्क कर विवरण से सम्पर्क करें। सम्पत्ति के विवरण में निर्दिष्ट जानकारी बैंक के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान एवं जानकारी में सही है तथा किसी भी त्रुटि, गलती, खामियों के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
33. अधिक विवरणों के लिए प्राधिकृत अधिकारी एसएएमवी, दिल्ली, 022–24629222, samb.delhi@syndicatebank.co.in (एओ का पता तथा फोन नं.) से संपर्क करें।

महत्वपूर्ण निर्देश

बोलीदाता स्वयं के हित में अंतिम मिनट तथा सैकंड्स की बोली से बचें। न ही बैंक अथवा सेवा प्रदाता किसी व्यवधान/ चूक (पावर फैल्योर, इंटरनेट फैल्योर आदि) के लिए वेंडर की ओर से उत्तरदायी नहीं होंगे। इस प्रकार की आकस्मिक परिस्थितियों से बचने के लिए बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि सभी आवश्यक व्यवस्था/ विकल्पों जैसे पावर बैक अप आदि सुनिश्चित कर लें ताकि वे इस प्रकार की आकस्मिकताओं से बच सकें तथा सफलतापूर्वक नीलामी में भाग ले सकें। कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज (सीसीए) द्वारा निर्गत नए इंटरोपेरैबिलिटी गाइडलाइन्स के अनुसार ई–प्रापण अनुप्रयोग के लिए सिक्योर्ड सॉकेट लेयर (एसएसएल) प्रमाण पत्र एन नए एल्गोरिथ्म, SHA 2 पर निर्मित किया जाता है। साथ ही, इन प्लेटफार्म के लिए लागू होने वाले डिजीटल प्रमाण पत्र SHA2 पर एल्गोरिथ्य अनुपालक होना चाहिए। इसके लिए यूजर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके संबंधित पीसी/ लैपटॉप में विंडोज XP (SP 3)/ विंडोज विस्टा/ विंडोज 7 संस्थापित हो। विंडोज XP सर्विस पैक–3 के मामले में यदि आपको कोई ईस्यु मिले, आप एसएसएल पैच संस्थापित कर सकते हैं जो हमारी ई–नीलामी पोर्टल के डाउनलोड खंड में उपलब्ध है।
यदि वे पूरी तरह से अपनी बकाये का भुगतान नहीं करते हैं तो उपरोक्त तिथि को इस बिक्री के आयोजन के विषय में यह उपरोक्त ऋण के ऋणधारक/गारन्टर के लिये भी यह एक सूचना भी है।

स्थानः नई दिल्ली सिंडिकेट बैंक के लिए
तिथिः 19.10.2019 प्राधिकृत अधिकारी

जनसत्ता

पराली की सुध

दिल्लीवासियों के लिए फिलहाल परेशान करने वाली खबर यह है कि पराली के धुएं का राजधानी पर असर अब साफ नजर आने लगा है। गुजरे शनिवार को ये दावा किया गया था कि दिल्ली की हवा में कुछ सुधार हुआ है। लेकिन रविवार को यह दावा हवा हो गया। चौंकाने वाली बात यह है कि इसके अगले दिन यानी सोमवार के लिए इसमें चार फीसद की बढ़ोतरी की बात कही गई। एक दिन में अगर पराली का धुआं इतना ज्यादा बढ़ जाए, तो जाहिर है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तीनों ही राज्यों में किसान बेखौफ पराली जला रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि इन राज्यों की सरकारों ने किसानों की इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला है, इसलिए किसान भी मजबूर हैं। ऐसे में घूम-फिर कर यही सवाल बार-बार आ रहा है कि आखिर इस समस्या का हल है क्या! अब तक जो हालात है उनसे यह तो साफ हो चुका है कि यह काम शायद राज्य सरकारों के बूते का नहीं है।

ऐसा नहीं है कि इस समस्या का समाधान नहीं निकल सकता। इसके लिए इच्छाशक्ति की जरूरत है। ऐसी इच्छाशक्ति देश के प्रमुख उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) ने दिखाई है। पराली की समस्या से निपटने के लिए सीआइआइ ने हरियाणा और पंजाब के एक सौ गांवों को गोद लिया है। सीआइआइ का यह कदम स्वागतयोग्य इसलिए है कि सालों से चली आ रही इस समस्या से निपटने के लिए कोई उद्योग संगठन आगे आया है। हालांकि यह कवायद पिछले साल ही शुरू कर दी गई थी और पंजाब के उन्नीस गांवों में इस दिशा में काम शुरू कर दिया गया था। उत्साहजनक नतीजे मिलने से उम्मीदें और बढ़ीं और इस बार सीआइआइ ने सौ गांवों में अपने अभियान की शुरुआत की। इस प्रयास के तहत सीआइआइ इन गांवों के किसानों को सस्ती दरों पर पराली काटने की मशीनें मुहैया करा रहा है। जो किसान मशीन खरीद पाने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें मामूली किराए पर ये मशीनें दी जा रही हैं। कायदे से ये काम राज्य सरकारों को करना चाहिए, लेकिन अब उद्योग जगत की भागीदारी से यह हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कवायद को सीआइआइ ने एक व्यापक अभियान का रूप दे डाला है, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं, शोध छात्रों, स्कूली बच्चों तक को शामिल किया गया है जो पराली जलाने से होने वाले नुकसान और वायु प्रदूषण के खतरों के बारे में किसानों को आगाह कर रहे हैं।

पराली की समस्या से निपटने का दूसरा बड़ा प्रयास यह है कि इसे अब जलाने के बजाय इससे बायोगैस तैयार करने का रास्ता निकाल लिया गया है। इसके लिए हरियाणा के करनाल जिले में संयंत्र लगाने का काम शुरू हो चुका है। पराली से बायोगैस बनाने वाला यह देश का पहला संयंत्र होगा। यह कारखाना तीन साल में काम करने लगेगा। हालांकि इस तरह के प्रयास पहले भी किए जा सकते थे। लेकिन पराली जलाने को लेकर सरकारें कभी गंभीर नहीं रहीं। लेकिन पिछले कुछ सालों में जब दिल्ली सहित उत्तर भारत के ज्यादातर राज्य वायु प्रदूषण की चपेट में आने लगे, इससे लोगों में सांस और फेफड़े संबंधी बीमारियां तेजी से फैलने लगीं और सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में सख्त कदम उठाए, तब कहीं जाकर सरकारों की आंख खुली है। सीआइआइ ने जो प्रयास किए हैं, ऐसे ही कदम सरकारें अपने स्तर पर पहले ही उठा लेतीं तो आज स्थिति इतनी नहीं बिगड़ती।

अपराध के पांव

किसी भी सरकार की कार्यकुशलता की कसौटी मुख्य रूप से यह मानी जाती है कि उसने कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर कितनी ठोस पहलकदमी की है और उससे नागरिकों के बीच सुरक्षा की भावना कितनी मजबूत हुई है। उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार ने इस मामले में सख्त रुख अपनाने के दावे तो किए हैं, लेकिन इसके समांतर बढ़ती आपराधिक घटनाएं यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि जमीनी स्तर पर स्थिति संतोषजनक नहीं है। हालांकि राज्य सरकार ने यह भरोसा देने में कोई कमी नहीं की है कि वह अपराधों पर काबू पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुलिस स्मृति दिवस परेड के मौके पर कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ कर जनमानस में सुरक्षा की भावना पैदा करना और अपराधियों के भीतर कानून का खौफ बनाना उनकी सरकार की प्रमुख नीति है। उनके मुताबिक राज्य सरकार ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई है, जिसके चलते बहुत सारे अपराधी पुलिस की कार्रवाई में मारे गए या फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो निश्चित रूप से सरकार अपराधियों के खिलाफ सक्रिय दिख रही है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि इसके बावजूद अपराधों की रोकथाम के मामले में कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल पा रही है?

करीब तीन महीने पहले विधानसभा में खुद सरकार ने स्वीकार किया था कि इस साल पंद्रह मार्च से लेकर नौ मई यानी महज दो महीनों के दौरान राज्य में बलात्कार की आठ सौ तीन, हत्या की सात सौ उनतीस, अपहरण की ढाई हजार से ज्यादा और लूट की करीब आठ सौ घटनाएं हुईं। ये वाकये उस दौरान सामने आए जब सरकार यह दावा करने में लगी थी कि उसने अपराध के खात्मे के लिए हर स्तर पर ठोस कार्रवाई की है और अपराधियों को बख्शा नहीं जा रहा है। आखिर वे कौन-सी वजहें हैं कि इतनी सख्ती और बहुत सारे अपराधियों के मारे जाने के बावजूद अपहरण, लूट, डकैती के साथ-साथ बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराध भी बेलगाम जारी रहे? वे कौन अपराधी थे जो सरकार के सख्त रवैये से बेखौफ अपराधों को अंजाम दे रहे थे? हाल में राज्य में हिंदू महासभा के एक नेता कमलेश तिवारी की हत्या को जिस तरह अंजाम दिया गया, उससे यही लगता है कि अपराधी इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि उन्हें अपनी मंशा पूरी करने में बाधा नहीं पेश आएगी।

दूसरी ओर, अपराध पर काबू पाने के नाम पर मुठभेड़ों में अपराधियों को मार गिराने को सबसे अहम उपाय मान लिया गया। करीब एक पखवाड़े पहले कथित मुठभेड़ में एक युवक की मौत पर काफी विवाद सामने आया। पहले भी ऐसी मुठभेड़ों पर सवाल उठे थे। इस तरह की मुठभेड़ों को राज्य सरकार ने जिस तरह अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई के रूप में पेश किया, उस पर मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट भी नोटिस जारी कर चुका है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के सत्ता से बाहर होने की सबसे बड़ी वजह कानून-व्यवस्था का ही मुद्दा थी। उसके बाद नई सरकार ने इस बात का भरोसा दिलाया था कि वह राज्य में कानून का राज स्थापित करेगी। लेकिन अपराधों की रोकथाम के दावों की हकीकत इस बात आंकी जानी चाहिए कि वास्तव में आपराधिक घटनाओं में कितनी कमी आई। इस लिहाज से देखें तो कानून-व्यवस्था के मामले में राज्य सरकार को दावे करने के बजाय जमीनी स्तर पर कुछ ठोस करने की जरूरत है।

कल्पमेधा

अपनी प्रसिद्धि और स्मृति के लिए मैं दूसरों की दया और कृपा पर निर्भर हूं।
– बेकन

वायु प्रदूषण से निपटने की चुनौती

पंकज चतुर्वेदी

यदि दिल्ली को झुग्गियों का शहर बनने से बचाना है तो सबसे जरूरी है यहां बढ़ रही आबादी को रोकना। इसके अलावा दिल्ली में कई स्थानों पर सरे राह कूड़ा जलाया जा रहा है जिसमें घरेलू ही नहीं, अस्पतालों और कारखानों का कचरा भी शामिल है। न तो दिल्ली और न ही उसके विस्तारित शहरों के पास कूड़ा-प्रबंधन की कोई व्यवस्था है। इसलिए कचरे को ठिकाने लगाने का सबसे आसान तरीका उसे जलाना ही माना जाता है।

मानसून अभी विदा हुआ भी नहीं था, सरकार ने राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पच्चीस फीसद कम होने के दावे शुरू दिए थे। हालांकि न तो इसका कोई मापदंड था, न ही आकलन, लेकिन यह बात सरकार में बैठे सभी जिम्मेदार लोगों को पता थी कि अक्तूबर के दूसरे सप्ताह से हवा जहरीली होगी। फिर भी सभी इंतजार करते रहे कि हालात काबू से बाहर हों। दिल्ली और उसके आसपास घनी धुंध क्या छाने लगी, सारा दोष पंजाब और हरियाण के किसानों पर डाल दिया गया कि वे पराली जला रहे हैं। हवा का जानलेवा जहर दिल्ली से ज्यादा तो उसके करीबी महानगरों- गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद आदि में है। अब पंद्रह दिन के लिए सम-विषम व्यवस्था लागू करने और निर्माण कार्य रोकने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। इन अस्थायी उपायों से फिलहाल तो हवा की गुणवत्ता कुछ सुधारी जा सकती है, लेकिन वास्तव में दिल्ली-एनसीआर को 'मरता इलाका' बनने से यदि बचाना है तो अब प्यास लगने पर कुआं खोदने वाली प्रवृति से काम चलेगा नहीं। कुछ ही दिनों पहले ही विश्व स्वास्थ संगठन ने दिल्ली को दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित वायु वाले शहर के तौर पर चिन्हित किया है। इसके बावजूद यहां का यातयात प्रबंधन, निर्माण कार्य जैसी गतिविधियां न तो जन स्वास्थ्य की परवाह कर रहे हैं, न ही पर्यावरण कानूनों की।

यह जानना जरूरी है कि दिल्ली एनसीआर में पूरे साल, बरसात के पंद्रह से पच्चीस दिन छोड़ कर, वायु प्रदूषण के यही हालात रहते हैं। गरमी में फेंफड़ों में जहर भरने का दोष तापमान व राजस्थान-पाकिस्तान से आने वाली धूल को दिया जाता है तो ठंड में इसका दोषी पराली जलाने को दिया जाता है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की हवा पूरे साल देश में सर्वाधिक दूषित रही। अभी तक को कोई युक्ति नहीं बनी है जो वायु प्रदूषण को भौगोलिक इकाई के अनुरूप रोक ले। यदि पड़ोसी गाजियाबाद की हवा जहरीली है तो दिल्ली इससे अछूता रह नहीं सकता।

यदि राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला के आंकड़ों पर भरोसा करें तो दिल्ली में हवा के साथ जहरीले कणों के घुलने में सबसे ज्यादा तेईस फीसद योगदान धूल और मिट्टी के कणों का है। सत्रह फीसद प्रदूषण वाहनों के वाहनों से निकलने वाले धुएं से हो रहा है। इसके अलावा जनरेटर जैसे उपकरणों से सोलह फीसद, कारखानों से होने वाले उत्सर्जन से सात प्रतिशत और पराली या अन्य जैव पदार्थों के जलाने से बारह फीसद जहरीला धुआं निकल रहा है। सबसे ज्यादा प्रदूषण का कारण धूल और मिट्टी को माना जा रहा है और इनका सबसे बड़ा हिस्सा दिल्ली एनसीआर में दो सौ से अधिक स्थानों पर चल रहे बड़े निर्माण कार्यो, जैसे कि मेट्रो, फ्लाई ओवर आदि हैं।

दरअसल, इस खतरे के मुख्य कारण 2.5 माइक्रो मीटर व्यास वाला धुएं में मौजूद एक कण और वाहनों से निकलने वाली गैस नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जिसके कारण वायु प्रदूषण से हुई मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस खतरे का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वायु प्रदूषण करीब पच्चीस फीसद फेंफड़े के कैंसर की वजह है। यह स्पष्ट हो चुका है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का बड़ा कारण यहां बढ़ रहे वाहन, जगह-जगह होने वाले यातायात जाम और राजधानी से सटे जिलों में पर्यावरण के प्रति बरती जा रही कोताही है। हर दिन बाहर से आने वाले कोई अस्सी हजार ट्रक और बसें यहां के हालात को और गंभीर बना रहे हैं। कहने को तो पार्टिकुलेट मैटर या पीएम के मानक तय हैं कि पीएम 2.5 की मात्रा हवा में पचास पीपीएम और पीएम-10 की मात्रा सौ पीपीएम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन दिल्ली का कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां इन कणों की मात्रा तय मानक से कम से कम चार गुना ज्यादा न हो। पीएम ज्यादा होने का अर्थ है कि आंखों में जलन, फैंफडे खराब होना, अस्थमा, कैंसर व दिल के रोग।

हवा में जहरीले कण ज्यादा होने का अर्थ है कि आंखों में जलन, फेंफड़े खराब होना, अस्थमा, कैंसर व दिल के रोगों को न्योता। जाहिर है, यदि दिल्ली की सांस थमने से बचाना है तो यहां न केवल सड़कों पर वाहन कम करने होंगे, दिल्ली के आसपास सौ किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी शहर-कस्बों में भी वही मानक लागू करने होंगे जो दिल्ली शहर के लिए हैं। अब करीबी शहरों की बात कौन करे, जब दिल्ली में ही जगह-जगह चल रही ग्रामीण सेवा के नाम पर क्षमता से ज्यादा भरे वाहन, मेट्रो स्टेशनों तक लोगों को लाने-ले जाने वाले दस-दस सवारी लादे तिपहिए, पुराने स्कूटरों से बने जुगाड़ वाले रिक्शे हवा को जहरीला करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। सनद रहे कि वाहन सीएजी से चलें या फिर डीजल या पेट्रोल से, यदि उसमें क्षमता से ज्यादा वजन होगा तो उससे निकलने वाला धुआं जानलेवा ही होगा। यदि दिल्ली को झुग्गियों का शहर बनने से बचाना है तो सबसे जरूरी है यहां बढ़ रही आबादी को रोकना। इसके अलावा दिल्ली में कई स्थानों पर सरे राह कूड़ा जलाया जा रहा है जिसमें घरेलू ही नहीं, अस्पतालों और कारखानों का कचरा भी शामिल है। न तो दिल्ली और न ही उसके विस्तारित शहरों के पास कूड़ा-प्रबंधन की कोई व्यवस्था है। इसलिए कचरे को ठिकाने लगाने का सबसे आसान तरीका उसे जलाना ही माना जाता है। इससे उपजा धुआं पराली से कई गुना ज्यादा और हानिकारक होता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रोजाना कम से कम दो सौ जगहों पर जाम के चलते कोई अस्सी करोड़ रुपए का ईंधन जल रहा है। इससे दिल्ली की हवा में कितना जहर घुलताजा रहा है, इसका अंदाजा खौफ पैदा करने वाले आंकड़ों से ज्यादा डाक्टरों के एक संगठन के उस बयान से लगाया जा सकता है जिसमें बताया गया है कि देश की राजधानी में बारह साल से कम उम्र के पंद्रह लाख बच्चे ऐसे है, जो अपने खेलने-दौड़ने की उम्र में पैदल चलने पर ही हांफ रहे हैं।

दिल्ली की दो करोड़ आबादी के लिए चाहे मेट्रो चलाना हो या पानी की व्यवस्था करना, हर काम में लग रही ऊर्जा का उत्पादन, दिल्ली की हवा को विषैला बनाने की ओर एक कदम होता है। दिल्लीवासी इतना प्रदूषण खुद फैला रहे हैं और उसका दोष किसानों पर मढ़ कर महज खुद को ही धोखा दे रहे हैं। बेहतर कूड़ा प्रबंधन, सार्वजनिक वाहनों को एनसीआर के दूरस्थ अंचल तक पहुंचाने, राजधानी से भीड़ को कम करने के लिए यहां की गैरजरूरी गतिविधियों और प्रतिष्ठानों को कम से कम दो सौ किलोमीटर दूर शिफ्ट करने, कार्यालयों व स्कूलों के समय और उनके बंदी के दिनों में बदलाव जैसे दूरगामी कदम ही दिल्ली को मरता शहर बनाने से बचा सकते हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए कदम तो उठाए हैं लेकिन उनका खास असर नजर नहीं आ रहा। प्रदूषण रोकने के ये उपाय यों तो हर साल उठाए जाते हैं, लेकिन इससे निपटने की दीर्घकालीन योजनाएं नहीं बनाई जातीं। यही वजह है समस्या हर साल बनी रहती है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से आने वाला पराली का धुआं भी दिल्ली के लिए गंभीर संकट है, लेकिन पराली को जलाने से रोकने का काम तो इन प्रदेशों की सरकारों को ही करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद ये सरकारें किसानों को पराली का विकल्प मुहैया करा पाने में नाकाम रही हैं। ऐसे में पराली जलाने से किसानों को कैसे रोका जाए, यह बड़ी चुनौती है।

पराए सपनों का बोझ

नरपत दान चारण

दुनिया मेरे आगे

नए जमाने के रिश्ते भी एक अजीब शय हैं। भावनाओं तले रिश्तों की अपनी ख्वाहिशें भी दबी पड़ी हैं। युवा सपने अपनों के अधूरे सपने साकार करने को मजबूर हो रहे हैं। माता-पिता और बच्चों के संबंधों के विचित्र मायने निकल रहे हैं। एक तरफ माता-पिता संतान से अपनी बेपनाह उम्मीदें पाले हैं और दूसरी तरफ हर बच्चे की भी अपनी ख्वाहिश होती है। अभिभावकों के भीतर अपने सपने दबे होते हैं और बच्चे के भीतर अपना एक सपना मचलता है। कहा जाता है कि हरेक इंसान में कोई न कोई एक हुनर होता है। महान लेखक पाउलो कोएलो ने अपनी किताब 'अल्केमिस्ट' में लिखा है कि 'जब आप किसी चीज को बड़े शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कवायद करती है।' ठीक उसी तरह कायनात सबको एक न एक हुनर बख्शती है और वह उसी के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करता है।

लेकिन आज के दौर में भला कितने खुशकिस्मत बच्चे हैं जो अपने अंतस में मचलते अपने ही सपने को खुद साकार कर सकें। दरअसल, आज के बच्चों के सपने उनके अपने नहीं हैं। कई माता-पिता अपने बच्चों पर यह बोझ लाद देते हैं कि आपको वही करना है, जैसा हम चाहते हैं। ऐसा अक्सर उन बच्चों के साथ होता है, जिनका मन किसी अलग काम में लगा होता है। एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा गीत गाना चाहता है, एक बच्चा खेल खेलने के लिए लालायित रहता है, कोई अन्य बच्चा नृत्य के प्रति दीवानगी लिए हुए है, कोई कोरे कागज पर चित्र उकेरना पसंद करता है और चित्रकार बनना चाहता है।

मगर उनसे यह सब अपनी मर्जी से करने का हक आज के समाज और परिवार ने छीन लिया है। आज जब बच्चा दसवीं कक्षा को पास कर उच्च कक्षाओं में जाता है, तब वह अपने जेहन में पाले सपने और हुनर को लेकर खुश होता है। उसे कविताएं और कहानियां अच्छी लगती हैं या उसे चित्रकार और कलाकार बनना है, इसलिए अब वह कला विषय लेना चाहता है। उसे विश्वास होता है कि शायद अब वह अपने मन के अनुसार कुछ करेगा। लेकिन उसके माता-पिता, उसके रिश्तेदार उस पर यह दबाव डालते हैं कि नहीं, तुम्हें विज्ञान या फिर गणित विषय से पढ़ना है। डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, वैज्ञानिक बनने के मकसद थोपे जाते हैं। फिर अभिभावक भावनाओं की चाशनी में डूबे लफ्ज में कहते हैं कि बचपन में हम भी यही बनना चाहते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए। इसलिए अब हम चाहते हैं कि हमारी संतान हमारा वह अधूरा सपना पूरा करे।

बेचारे बच्चे की क्या मजाल कि इसका कुछ जवाब दे सके और कह सके कि यह मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरे भीतर एक कलाकार है, लेखक है, खिलाड़ी है। मैं वहां जाना चाहता हूं। मेरा आसमान वहां है। आप मुझसे किस आसमान की बात कर रहे हैं? मैंने नहीं देखा वह आसमान जो आप दिखा रहे हैं। लेकिन घर वाले दुनिया की होड़ में अपने बच्चों पर जबरन कोई और रास्ता थोप देते हैं। एक समय ऐसा आता है कि बच्चे के अपने सपने भीतर से टूटने लगते हैं। दूसरों के थोपे सपने देख वह इतना डर जाता है कि उसे विज्ञान और इंजीनियरिंग या मानविकी के विषय किसी डरावने शैतान से लगते हैं। उसके भीतर का हुनर तड़पने लगता है।

आखिर में जब पारिवारिक रिश्तों की भावनाओं और मां-बाप के अज्ञात डर की वजह से वह अपनी ख्वाहिश के इतर विषय चुनने को मजबूर हो जाता है, बुझे मन से समूचा सत्र कक्षाओं में जाता है। कभी-कभी कक्षा छोड़ कर दोस्तों के संग खेलने चला जाता है, तो कभी चोरी-छिपे किसी संगीत के 'रियलिटी शो' में शामिल होने की परीक्षा में चला जाता है। उसका सपना उसे अपनी ओर खींच रहा होता है। फिर जब परिणाम आता है उसकी परीक्षा का और वह अपने ऊपर थोपे गए विषयों में फेल हो जाता है तो समाज और परिवार उसे ताने देने लगता है उसकी कमियां एक पल में उसकी आंखों के सामने रख दी जाती है, मानो वहीं सबसे बड़ा आवारा है। लेकिन परिवार वालों को शायद नहीं ध्यान रहता कि बच्चे पर थोपे हुए सपने किसके थे।

फिर एक वक्त ऐसा आता है, जब उसे यह कह कर जलील किया जाने लगता है कि हमने तुम पर इतना खर्च कर डाला और तुम निकले नालायक। बेचारा बच्चा जिसे खुद सपने देखने का हक नहीं मिला, वह इस दुनिया में अकेला रह जाता है और घुटने लगता है। ख्वाबों को कुचल कर जीता है या फिर घर से भाग जाता है या खुदकुशी कर लेता है। हर हाल में उसे ही कसूरवार ठहराया जाता है, लेकिन वास्तव में गलती अभिभावकों की होती है। माता-पिता को अपने बच्चों को आसमान छूने के सपने देखने और पूरा करने की कोशिश करने देना चाहिए। अपना सपना उस पर नहीं थोपना चाहिए। बच्चों को खुले आसमान में उड़ने दिया जाए... परिंदों को नहीं सिखाया जाए परवाज। वे अपनी परवाज खुद भरेंगे।

भुखमरी की मार

अभूतपूर्व औद्योगिक और आर्थिक विकास के साथ-साथ पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन और भूख और कुपोषण से निपटने के लिए विश्व की सर्वाधिक महत्त्वाकांक्षी योजनाओं के बाबजूद भारत की बहुत बड़ी आबादी का भूख से जूझना बेहद चिंताजनक है। हाल में आए वैश्विक भूख सूचकांक में एक सौ सत्रह देशों की सूची में भारत का स्थान एक सौ दो वें पायदान पर आया है। इससे पता चलता है कि देश में भुखमरी की स्थिति क्या है। इस सूचकांक में विभिन्न देशों की रैंकिंग वहां के अल्प पोषण, बाल मृत्यु दर, पांच साल तक के कमजोर बच्चों और बच्चों के अवरुद्ध शारीरिक विकास के आधार पर तय की जाती है। भारत इस सूची उन पैंतालीस देशों के समूह में शामिल है जहां भुखमरी की स्थिति काफी गंभीर है। इस सूचकांक में भारत का स्थान अपने पड़ोसी देशों चीन (पच्चीसवें), श्रीलंका (छियासठवें), म्यांमा (उनहत्तरवें), नेपाल (तिहत्तरवें) और बांग्लादेश (अट्ठासीवें) से काफी नीचे है। यहां तक कि पहली बार पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी भारत से बेहतर स्थिति में है। वर्ष 2014 से इस सूचकांक में भारत की स्थिति खराब ही होती जा रही है। सरकार को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, वरना विश्व की सर्वाधिक भूखी आबादी के बल पर कैसे हम विश्वगुरु और वैश्विक महाशक्ति बन पाएंगे?

● *अंकित कुमार मिश्रा, बंगलुरु*

भरोसा खोते ट्रंप

अमेरिका महाशक्ति होने के दम पर हर तरह के अंतराष्ट्रीय विवादों में दखल देता रहा है। लेकिन हाल में तुर्की को परोक्ष रूप से मदद करना उसका वास्तविक चेहरा दिखलाता है कि वह स्वार्थ की राजनीति करता है। हालांकि दबाव के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की को चेताया और पांच दिन के लिए युद्ध विराम भी करवाया, पर वह भी अपने चरित्र को उजागर करने के बाद। सीरिया के कुर्द आइएस जैसे आतंकी समूह को खत्म करने में अमेरिका के साथ प्रमुख सहयोगी रहे हैं। कुर्दों ने लगभग ग्यारह हजार कुर्द लोगों का बलिदान दिया। ट्रंप अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए कुर्दों को बलि का बकरा बनाने पर तुले हैं। बहरहाल ट्रंप की सोच कुछ भी हो, लेकिन वे अपनी विश्वसनीयता जरूर खोते जा रहे हैं।

● *कृष्ण चंद्र त्रिपाठी, उज्जैन*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

कहां है कानून-राज

उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था चरमरा गई है। प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं बचा है जहां आए दिन हिंसक घटनाएं न हो रही हों, हत्या और बलात्कार की घटनाओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में योगी सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बेहतर कानून-व्यवस्था की बात कही थी, लेकिन उसका यह वादा हकीकत से कोसों दूर है। सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि प्रदेश के जिलों में अगर दुष्कर्म पीड़ित महिलाएं और बच्चियां शिकायत के लिए थानों में जाती है तो उनको थानों से भगा दिया जाता है, उनकी कोई सुनवाई नही होती हैं। हाल में उन्नाव जनपद का एक मामला स्थानीय मीडिया की सुर्खियों में है, लेकिन इसके बावजूद थाना पुलिस दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने से कतरा रही है, जबकि मामला एक नाबालिग बच्ची के दुष्कर्म का है। लखनऊ में एक हिंदू संगठन के बड़े नेता की गोली मारकर और गला रेत कर हत्या कर देने वाली घटना कानून-व्यवस्था के मुंह पर तमाचा है। झांसी पुलिस के ऊपर एक निर्दोष व्यक्ति के फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगा है। इस तरह की घटनाओं से प्रदेश में भय का माहौल व्यापत है। सरकार हर मोर्चे में विफल साबित हुई है। सरकार सिर्फ कागजों में उत्तम प्रदेश की बात कह सकती है, लेकिन जमीनी स्तर पर जनता इसे जंगराज मान चुकी है।

● *योगेंद्र गौतम, उन्नाव*

कचरा खातीं गायें

कूड़े-कचरे मे फेंकी गई पॉलिथिन की थैलियां और प्लास्टिक की वस्तुएं कितनी घातक हो सकती हैं, इसका बड़ा उदाहरण हाल में तमिलनाडु के एक पशु चिकित्सालय में गाय के पेट से पचास किलो से ज्यादा प्लास्टिक निकलने की घटना है। यह तो एक गाय की कहानी है, लेकिन देश में लाखों गायें और अन्य पालतु पशु रोजाना पॉलिथिन और कूड़ा-कचरा खा रहे हैं। इसमें कुछ गलती पशुपालकों की भी है जो अपने पशुओं को सड़कों पर आवारा छोड़ देते हैं। इससे आए दिन सड़क दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं और ये मवेशी कचरा भी खाते हैं। हाल ही मे गोवा के मंत्री माइकल लोबो ने एक कार्यक्रम में कहा कि गोवा की गायें ढाबों और होटलों का बचा मांसाहारी खाना खाकर मांसाहारी होने लगी हैं। यह बहुत ही चिंताजनक और दुख की बात है कि गाय जैसे शाकाहारी पशु के मांसाहारी बनने का कारण उसके पेट की भूख है जो उन्हें पालने वाले दे नहीं रहे हैं। पशुपालक जब अपने जानवरों को आवारा छोड़ देंगे तो भूख से परेशान वह कुछ भी खाने को मजबूर होंगे ही।

● *संजय डागा, हातोद*

जवाबदेही की जरूरत

बांग्लादेश में किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति ने शरारतपूर्ण तरीके से किसी अन्य धर्म से संबंधित व्यक्ति का फेसबुक अकाउंट हैक कर आपत्तिजनक धार्मिक टिप्पणी कर दी। इस कथित टिप्पणी के बाद प्रतिक्रिया में इनके धर्मानुयायियों ने हिंसक विरोध प्रदर्शन किया और सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया। इस घटना के बाद भड़की हिंसा में कुछ लोगों की जान भी चली गई।

सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव के मामले प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। न्यूजीलैंड, अमेरिका और इंग्लैंड जैसे विकसित देश भी सोशल नेटवर्किंग साइटों के दुरुपयोग से बचे नहीं हैं। विकसित देशों में सोशल मीडिया को लेकर विकासशील देशों से ज्यादा कठोर कानून हैं और शिक्षा दर भी ज्यादा होते हुए साइबर अपराध तो होते ही हैं। नेटवर्किंग साइटों का आपराधिक मंशा के लिए इस्तेमाल भी चिंताजनक स्तर तक पहुंच चुका है।

सोशल नेटवर्किंग का संचालन करने वाली कंपनियां तभी सक्रियता दिखाती हैं जब कोई आपराधिक मामला सामने आता है। विश्वस्तर पर इन नेटवर्किंग साइटों के लिए एक जैसा कानून और नियमन आज अत्यंत आवश्यक है। अमेरिका और भारत के लिए सोशल नेटवर्किंग साइटों के नियमन में दोहरापन नहीं होना चाहिए। सोशल नेटवर्किंग कंपनियों को भी इसके सामाजिक दुरुपयोग की जिम्मेदारी लेकर इसके बचाव के उपाय तुरंत करने चाहिए।

● *बिजेंद्र कुमार, दिल्ली विवि*

epaper.jansatta.com

जरा हट के

बैंकाक की चाओ फ्राया नदी पर शाही नौका समारोह के लिए नाविक पूर्वाभ्यास करते हुए। यह कार्यक्रम राजा के राज्याभिषेक का हिस्सा है।

बोल

तुर्की ने सीरिया में सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और शांतिपूर्ण समाधान खोजने की जो कोशिश की है वह पूरी तरह से सफल हो।
-इमरान खान,
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री

विवाद

अगर चीन के किसी भी हिस्से में मुल्क को बांटने की कोशिश की तो उसकी हड्डियां तोड़ दी जाएंगी। किसी बाहरी ताकत ने ऐसी कोशिशों का समर्थन किया वो चीन की नजर में दिन में सपने देखने वाले लोग हैं।
-चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग

सम-सामयिक

अभिजीत, डुफ्लो व क्रेमर: गरीबी उन्मूलन का प्रयोगधर्मी नजरिया

जनसत्ता संवाद

अर्थशास्त्र का नोबेल पाने वाले भारतीय-अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजीत विनायक बनर्जी को एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर के साथ वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए उनके प्रयोगधर्मी दृष्टिकोण के लिए दिया गया है। बनर्जी और डुफ्लो के आलोचक और समर्थक समान रूप से इस बात पर सहमत हैं कि दोनों ने साबित कर दिया कि गरीब कोई निरर्थक हो चुके लोगों का समूह नहीं है।

बनर्जी ने एक बार बताया था कि अत्यंत गरीबों की एक आम छवि यह है कि उनके पास वास्तव में बहुत कम विकल्प होते हैं। कुछ लोग निश्चित रूप से उतनी ही कठिन मेहनत करते हैं, जितना वे कर सकते हैं। वे अल्पपोषित और कमजोर होते हैं और अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने करने के लिए मुश्किल से कमा पाते हैं, जिसे वे कम से कम खर्चीले तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं।

उन्होंने अपने शोध में कहा है कि बेहद गरीबों के लिए यह जरूरी नहीं है कि वे ज्यादा कैलोरी (आहार) खरीदने के लिए अपना सारा पैसा खर्च कर डालें। त्योहारों पर पैसे खर्च करना कई अत्यंत गरीब परिवारों के लिए बजट का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।

इस तरह का शोध उदयपुर में किया गया था और उसके आधार पर इन अर्थशास्त्रियों ने कहा कि सूक्ष्म अनुसंधान परियोजना के नतीजे उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि वे हमें जमीनी हकीकत की बारीक समझ देते हैं।

अभिजीत बनर्जी को उनकी सर्वाधिक बिकने वाली किताब 'पुअर इकोनोमिक्स : ए रेडिकल रिथिंकिंग ऑफ दे वे टू फाइट ग्लोबल पावर्टी' के लिए जाना जाता है। 2011 में आई इस किताब की सह लेखिका मेसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआइटी) की प्रोफेसर और साथ में नोबेल पाने वाली उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो हैं। दोनों को अब्दुल लतीफ जमील पावर्टी ऐक्शन लैब (जे-पीएएल) की स्थापना के लिए जाना जाता है। दुनिया के कई देशों में उन्होंने जे-पीएएल के जरिए प्रयोग किए। इसके लिए सार्वजनिक नीति में रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स (आरसीटी) विधि का इस्तेमाल किया। आरसीटी यानी आकस्मिक तरीके या बिना किसी वरीयता से लोगों के बीच परीक्षण।

आम तौर पर यह माना जाता है कि अर्थव्यवस्था और समाज में संरचनात्मक बदलाव के बिना गरीबी खत्म नहीं की जा सकती। गरीबी हटाने के बनर्जी, डुफ्लो और क्रेमर के नुस्खे की आलोचना भी हो रही है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्हें नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा ने आज की सबसे चुनौतीपूर्ण समस्या की ओर दुनिया का ध्यान खींचा है। भारतीय संदर्भ में इसका मतलब यह जानना है कि जाति, लिंग, सामाजिक बहिष्करण के कारण होने वाली बाधाएं स्वतः या केवल कानून के जरिए खत्म नहीं होतीं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हम तब तक कुछ न करें, जब तक कि संरचनात्मक बदलाव नहीं होते।

इसका पहला उदाहरण वर्ष 2013 से 2014 के बीच उत्तर प्रदेश के दो जिलों (सीतापुर और उन्नाव) में किए गए शोध से संबंधित है। इसमें 17,000 से ज्यादा छात्रों से साक्षात्कार किया गया। नीति एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा था। जब बच्चे एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जा रहे थे, तो कुछ ही छात्रों को अपेक्षा के अनुसार कक्षा स्तर की दक्षता हासिल थी।

गरीबी : शोध से निकले कुछ सुझाव

- गरीबी हटाने वाले कार्यक्रमों में कम पैसे खर्च हुए हैं। कुल जीडीपी का 40 फीसद कॉरपोरेट सेक्टर में जा रहा है।
- गरीबी रेखा कम से कम दो डॉलर प्रतिदिन की आय के हिसाब से तय होनी चाहिए।
- लोगों की क्रय शक्ति की क्षमता के स्तर को भी बढ़ाना चाहिए और इसी आधार पर गरीबी उन्मूलन का कार्यक्म चलाना चाहिए।
- सबके लिए न्यूनतम आय योजना (यूनिवर्सल बेसिक इनकम) चलाने की जरूरत है।

शोध-अनुसधान

अब हो सकेगा हड्डियों के कैंसर का इलाज

जनसत्ता संवाद

आइआइटी रुड़की के शोधकर्ता और वीजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में इस बात का दावा किया है कि एक विशेष हार्मोन संकेत को कम करने से कैंसर को बढ़ने और फैलने से रोका जा सकता है।

आइआइटी रुड़की की शोधकर्ता डॉ. स्वाति श्रीवास्तव ने इजरायल में वीजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के प्रोफेसर योसेफ यार्डेन और अन्य शोधकर्ताओं के साथ मिलकर इविंग सारकोमा में अंतर्निहित आणविक इंटरैक्शन की खोज की है। इविंग सरकोमा हड्डी का कैंसर है जो मुख्य रूप से किशोरों में दिखाई देता है। एक दोषपूर्ण जीन के कारण, एक बार जब यह दूर के अंगों में फैल जाता है तो इसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है। शोधकर्ताओं ने बच्चों में हड्डी के कैंसर को रोकने के लिए संभावित इलाज के नए तरीके को ढूंढ निकालने का दावा किया है। यह शोध चूहों पर आजमाया गया। शोध के अंत में चूहों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिले, इसी आधार पर डॉ. स्वाती ने कैंसर के इलाज का एक तरीका सुझाया है, जिससे कैंसर को फैलने से रोका जा सकता है। डॉ. स्वाति श्रीवास्तव ने आइआइटी रुड़की से पीएचडी पूरी की है और वर्तमान में वीजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से पोस्ट डॉक्टरल कर रही हैं।

इविंग सारकोमा हड्डी के कैंसर का एक रूप है जो किशोरों और युवा वयस्कों में पाया जाता है। इसमें हड्डी या नरम ऊतक में एक ट्यूमर बन जाता है। यह शोध 'ग्लूकोकॉर्टीकॉइड्स' कहे जाने वाले स्टेरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर्स पर केंद्रित था। परीक्षण से इस बात का खुलासा हुआ कि रिसेप्टर्स काफी हद तक इविंग सरकोमा के विकास को बढ़ाते हैं। ये रिसेप्टर्स मानव शरीर के सभी कोशिकाओं में उपस्थित होता है, जो तनाव और कई महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित हार्मोनल संदेश को भेजने का कार्य करते हैं। लेकिन कभी-कभी ग्लूकोकॉर्टीकॉइड रिसेप्टर्स कोशिका के नाभिक पर जाकर, जहां वे जीन को चालू या बंद करने वाले अणुओं के साथ अंतःक्रिया करके घातक वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं।

प्रोफेसर योसेफ यार्डेन के साथ डॉ. स्वाति श्रीवास्तव

रिसेप्टर्स और प्रोटीन के बीच स्थूल संबंध से इविंग सारकोमा कोशिकाओं के विकास और प्रवासन में वृद्धि होती है और प्रयोगशाला के चूहों में सरकोमा के प्रसार को बढ़ावा दिया। बाद में, शोधकर्ताओं ने इविंग सारकोमा कोशिकाओं को चूहों में प्रत्यारोपित किया और उन्हें ऐसी दवा दी जो ग्लूकोकॉर्टीकॉइड के संश्लेषण को अवरुद्ध कर सकती थी। शोधकताओं ने पाया कि दवा के साथ, ट्यूमर दवा की बदौलत पहले की तुलना में धीमी दर से बढ़ने लगा, इस तरह से यह उतना मजबूत नहीं बन पाता जितना कि उसके पास होता है।

हड्डियों में ट्यूमर का होना सामान्य है। ये ट्यूमर ही आगे चलकर कैंसर का रूप ले लेते हैं। बोन कैंसर हड्डी का कैंसर होता है। यह शरीर के किसी भी अंग से शुरू होकर हड्डियों में फैल जाता है। यह हड्डियों में सूजन और दर्द पैदा करता है। बच्चों में होने वाले कैंसर के तीन फीसद मरीज हड्डी के कैंसर से पीड़ित होते हैं। बोन कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है लेकिन कमर के पास का हिस्सा, हाथ और पैरों की हड्डी शरीर के ऐसे हिस्से हैं जहां इसके होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। हालांकि ज्यादातर ट्यूमर्स में कैंसर नहीं होता यानी वे शरीर के दूसरे हिस्से में नहीं फैलते। वैसे बाकी कैंसरों की तुलना में बोन कैंसर यानी हड्डी के कैंसर के मामले कम देखने को मिलते हैं। शोध के निष्कर्ष हाल ही में सेल रिपोर्ट वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित किए गए थे। शोध की इस सफलता के बाद शोधकर्ता अब मानव रोगियों पर जल्द ही इसका परीक्षण करने की योजना बना रहे हैं। शोधकर्ताओं को इसके सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है। शोधकर्ताओं का कहना है कि अगर इस शोध के परिणाम मानव रोगियों पर भी सकारात्मक रहे तो यह उन रोगियों के लिए एक आशा की किरण बन कर आएंगे जो कैंसर खासकर हड्डी के कैंसर से पीड़ित हैं। डॉ. स्वाति ने कहा कि 'हमारे निष्कर्ष इविंग सरकोमा के उपचार के लिए एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण के लिए आधार प्रदान करते हैं।'

विश्व परिक्रमा

कैलिफोर्निया के जंगल में आग से लाखों लोग बेघर

रविवार, 13 अक्तूबर : दक्षिणी कैलिफोर्निया के जंगल में हवा से फैलती जा रही। इसकी वजह से शुक्रवार को करीब 1,00,000 लोगों को वहां से निकलना पड़ा। आग में दर्जनों घर भी नष्ट हो गए। आग बुझाने में कई दिन लग सकते हैं।

नेपाल को 56 अरब रुपए की मदद देगा चीन

सोमवार, 14 अक्तूबर : चीन दो साल में नेपाल को उसके विकास कार्यक्रमों और उसे जमीनी संपर्क मार्ग से जुड़ा देश बनाने के लिए 56 अरब नेपाली रुपए की सहायता देगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शनिवार को इसकी घोषणा की।

रूस ने खारिज की बमबारी की खबर

मंगलवार, 15 अक्तूबर : रूसी युद्धक विमानों द्वारा सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र में इस साल मई में 12 घंटे के भीतर चार अस्पतालों पर बमबारी किए जाने की अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट को रूस ने खारिज किया।

बोरिस जॉनसन

अमेरिका ने तुर्की पर लगाए प्रतिबंध

बुधवार, 16 अक्तूबर : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर पूर्वी सीरिया में तुर्की की सैन्य कार्रवाई के विरोध में नए प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए कहा कि यदि तुर्की तबाही की राह पर बढ़ता चला गया तो हम उसकी अर्थव्यवस्था को तेजी से बर्बाद करने को तैयार है। अमेरिका ने 100 अरब डॉलर के व्यापार सौदे पर बातचीत भी बंद कर दी है।

संदिग्धों की सूची में पाकिस्तान : एफएटीएफ

गुरुवार, 17 अक्तूबर : बहुपक्षीय वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) ने पाकिस्तान को धनशोधन और आतंकवादियों के वित्त पोषण के मुद्दे पर फरवरी 2020 तक 'संदिग्ध देशों की सूची' में बनाए रखने का निर्णय किया है।

जॉनसन-जुंके का एलान, ब्रेग्जिट पर सहमति

शुक्रवार, 18 अक्तूबर : ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुरुवार को कहा कि ब्रसेल्स में यूरोपीय नेताओं की बैठक से पहले ब्रिटेन और यूरोपीय संघ (ईयू) के वार्ताकारों के बीच ब्रेग्जिट समझौते पर सहमति बन गई है। ईयू आयोग के अध्यक्ष ज्यां क्लोद जुंके ने भी करार पर सहमति बनने की पुष्टि की।

तीन सौ से ज्यादा भारतीय दिल्ली भेजे गए

शनिवार, 19 अक्तूबर : अमेरिका जाने के लिए अवैध तरीके से मेक्सिको में घुसे 300 से ज्यादा भारतीयों को वापस दिल्ली भेज दिया गया। ये सभी भारतीय शुक्रवार तड़के पहुंचे। भारतीय नागरिकों को तोलुका सिटी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से बोइंग 747 विमान से नई दिल्ली भेजा गया।

जानें-समझें

भारत-अमेरिकी रक्षा व कारोबार सहयोग

रूस से संबंधों पर कितना दबाव

दीपक रस्तोगी

दिल्ली में भारत-अमेरिका रक्षा तकनीक एवं व्यापार पहल (इंडिया-यूएस डिफेंस टेक्नोलॉजिज एवं ट्रेड इनीशिएटिव या डीटीटीआइ) की होने जा रही बैठक को लेकर दोनों देशों के राजनयिक काफी उम्मीदें जता रहे हैं। अमेरिका रक्षा विभाग पहले ही उम्मीदें जता चुका है कि इस साल के आखिर तक भारत और अमेरिका के बीच रक्षा कारोबार 18 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का आंकड़ा छू लेगा। इसके बाद पेंटागन ने उम्मीद जताई कि भारत और अमेरिका के बीच सैन्य सहयोग और भागीदारी में इजाफा होगा। बैठक से पहले आए इन बयानों का भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्वागत तो किया, लेकिन साथ में रूस के साथ प्रस्तावित रक्षा सहयोग सौदों को लेकर सधी हुई प्रतिक्रियाएं भी विभिन्न गलियारों से सामने आईं। खासकर, रूस के साथ प्रस्ताव एस-400 ट्रायम्फ मिसाइल रक्षा प्रणाली के सौदे को लेकर। अमेरिका इस सौदे से पीछे हटने के लिए भारत पर दबाव बना रहा है। हालांकि, भारत सरकार कई स्तरों पर कह चुकी है कि मिसाइल रक्षा प्रणाली हो या परमाणु रिएक्टर निर्माण सहयोग- किसी से पीछे हटने का सवाल नहीं।

नॉटो में जापान जैसे सहयोगी का दर्जा

अगस्त 2018 में अमेरिका ने भारत को एसटीए-1 (स्ट्रेटजिक ट्रेड अथॉरिटी टीयर 1) का दर्जा दिया। शर्त थी कि भारत अमेरिकी रक्षा कंपनियों को ही तरजीह देगा। भारत का यह दर्जा जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया की तरह है। भारत में जिस डीटीटीआइ पहल की बैठक हो रही है, उसमें अमेरिका का प्रतिनिधित्व अमेरिकी रक्षा अवर सचिव एलेन एम लॉर्ड एवं भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा उत्पादन सचिव अपूर्व चंद्र कर रहे हैं। एलेन ने कहा है कि हम भारत के साथ रक्षा उत्पादन में नई ऊंचाइयां हासिल करना चाहते हैं।

डीटीटीआइ पहल कोई संधि या कानून नहीं है, जो भारत या अमेरिका के लिए बाध्यतामूलक हो। यह ऐसा उपादान है, जिसके तहत दोनों देशों के नेता और अधिकारी रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बात करते रहेंगे। इसके तहत भारत का रक्षा उद्योग तंत्र विकसित और मजबूत किया जाना है। भारत रक्षा उपकरणों और हथियारों के उत्पादन में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहता है और इस नाते भारत में रक्षा उद्योग में तेज बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है, जिसके मद्देनजर अमेरिका ने कारोबारी कवायद शुरू की है।

रूस के साथ संबंधों का क्या होगा

डीटीटीआइ की कवायद शुरू होने से पहले भारत और रूस के बीच पांच अक्तूबर, 2018 को रूसी ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली खरीदने के प्रस्ताव पर दस्तखत किए गए। उसी समय अमेरिकी कांग्रेस ने काट्सा कानून (काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रो सैंक्शंस एक्ट) पारित किया, जिसके बाद से भारत के सामने रूस के साथ द्विपक्षीय सौदों में त्रिपक्षीय संतुलन बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 5.4 अरब डॉलर के ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली सौदे के समझौते के एक साल बाद ही भारत-अमेरिकी संबंधों पर छाया दिखने लगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वाशिंगटन जाकर अपने अमेरिकी समकक्ष माइक पोंपिओ से जब भी मुलाकात की, अमेरिकी अधिकारियों ने भारत को 'रूसी सौदे के खतरों के प्रति आगाह' किया। जब वाशिंगटन से डीटीटीआइ के बारे में 18 अरब अमेरिकी डॉलर के रक्षा सौदों की उम्मीद जताई जा रही थी, उसके कुछ दिन पहले ही उसके विदेश विभाग ने एक बयान में कहा, 'हम अपने सभी सहयोगी और भागीदारी से निवेदन कर रहे हैं कि वे रूस के साथ कारोबार से बाज आएं और काट्सा के तहत प्रतिबंधों की आशंका से बचें।' यह बयान जयशंकर के उस भाषण की त्वरित प्रतिक्रिया में था, जिसमें उन्होंने कहा कि हम किसी भी देश से यह सुनना पसंद नहीं करेंगे कि हम रूस या अमेरिका से क्या खरीदें और क्या नहीं।

अमेरिकी काट्सा कानून और ट्रायम्फ सौदा

भारत के लिए ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली की खरीद पाकिस्तान और चीन की सीमा पर आसन्न खतरों के मद्देनजर बेहद जरूरी मानी जा रही है। भारतीय वायुसेना ने इसकी जरूरत पर जोर दिया है। अमेरिका ने रूस से इस मिसाइल प्रणाली की खरीद पर चीन के उपकरण विकास विभाग (ईडीडी) और तुर्की पर काट्सा के तहत प्रतिबंध लगाए। अमेरिकी ने तुर्की को एफ-35 विमान बेचने से बना कर दिया। तुर्की इस सौदे से पीछे हट गया। चीन पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू हैं। काट्सा के नियमों में जिक्र है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चाहें तो प्रतिबंधों से छूट का ऐलान कर सकते हैं। भारत की राजनयिक स्तर पर इसी की कोशिश चल रही है।

क्या है जानकारों की राय

माइक पोंपिओ और एस जयशंकर। *(फाइल फोटो)*

भारत का प्रमुख उद्देश्य अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ाना है। पूर्वी और पश्चिमी सीमा एवं हिंद महासागर में खुद को मजबूत करना है। इसके लिए एक ओर हमें अमेरिका से नवीनतम तकनीक भी चाहिए, दूसरी ओर बनी-बनाई रक्षा प्रणालियां भी। भारत को संतुलन कायम करना होगा।
- सुजन आर चिनॉय, पूर्व राजदूत

भारत-अमेरिकी रक्षा संबंधों में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन सरकार को ध्यान रखना होगा कि क्या इससे देश के सार्वभौम हितों को नुकसान पहुंच रहा है? भारत में यह धारणा बढ़ रही है कि अमेरिका की ओर रणनीतिक झुकाव से देश की छवि को नुकसान हो रहा है।
-पी. स्टोब्दन, पूर्व राजनयिक

व्यक्तित्व

चित्रसेन साहू : पैर नहीं पर कर ली 5685 मीटर ऊंची चोटी फतह

जनसत्ता संवाद

भारतीय ब्लेड रनर छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही चित्रसेन साहू ने अफ्रीका के तंजानिया के सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट किलिमंजारो को फतह कर लिया है। उन्होंने अफ्रीका महाद्वीप के पहाड़ किलिमंजारो की 5685 मीटर ऊंची चोटी गिलमंस पर पहुंच कर इतिहास रच दिया है। चित्रसेन ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने दोनों पैर न होने के बावजूद ऐसा किया है।

चित्रसेन ने माउंट किलिमंजारो पर 26 सितंबर सुबह 11 बजे स्थानीय समयानुसार (भारतीय समय लगभग 2:00 बजे) फतह किया। उन्होंने यह चढ़ाई 12 घंटे में पूरी की है। चित्रसेन साहू ने 12 घंटे की यह चढ़ाई -5 से -10 डिग्री तापमान में धूल वाले ठंडे तूफान के बीच लगातार मुश्किलों से जूझते हुए पूरी की है। इस चढ़ाई के दौरान उनके पैर में कई चोटे भी आईं, लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि वे हार नहीं मानेंगे। किलिमंजारो की चढ़ाई उन्होंने प्रोस्थेटिक पैर से की।

यह मुकाम हासिल करने वाले वे देश के पहले माउंटेनियर हैं जिन्होंने डबल लेग एंप्युटी यानी दोनों पैर के बिना किलिमंजारो पर तिरंगा लहराया है। इस पर्वतारोहण अभियान में उनका मार्गदर्शन राज्य अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोही और माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले राहुल गुप्ता ने की। 27 साल के चित्रसेन साहू मूलरूप से अम्बिकापुर के रहने वाले हैं। उनकी पढ़ाई-लिखाई बालोद जिले के बेलौदी गांव में हुई। 2014 में उन्होंने बिलासपुर के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। सात साल पहले एक ट्रेन दुर्घटना में अपना दोनों पैर खो चुके चित्रसेन साहू ने जिंदगी के आगे घुटने नहीं टेके। पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा की कहानी पढ़कर उनका हौसला बढ़ा और वे अपनी शर्तों पर जिंदगी जीते रहें। चित्रसेन छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड में इंजीनियर है। इस युवा इंजीनियर और भारतीय ब्लेड रनर चित्रसेन साहू को 'हाफ ह्यूमन रोबो' के नाम से भी जाना जाता है।

वे किलिमंजारो की फतह की तैयारी पिछले डेढ़ साल की इसकी तैयारियों कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 'अफ्रीका के तंजानिया किलिमंजारो में जाने के लिए धीरे-धीरे तैयारियां की और छत्तीसगढ़ के आसपास ट्रैक ट्रेनिंग की। दस दिन हिमाचल में रहकर ट्रेनिंग ली और 72 किलो मीटर ट्रैक कंप्लीट किया।' वे 16 सितंबर को दक्षिण अफ्रीका पहुंचें और उन्होंने 19 सितंबर को चढ़ाई शुरू की और 26 सिंतबर को किलिमंजारों की चोटी पर पहुंचकर देश का तिरंगा लहराया। चित्रसेन साहू को हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन और मोर रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने प्लास्टिक फ्री अभियान का ब्रांड एंबेसडर भी बनाया है।

इसलिए जब चित्रसेन किलिमंजारो की चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने लोगों को प्लास्टिक फ्री अभियान का संदेश भी दिया। अपनी इस सफलता पर उन्होंने कहा कि 'चढ़ाई के दौरान एक वक्त तो हिम्मत टूटने लगी थी। फिर मन पर काबू पाया और लक्ष्य की तरफ बढ़ चला। मैंने इस मिशन का नाम 'पैरों पर खड़े हैं' नाम दिया था। मेरा मानना है कि जो व्यक्ति जन्म से या किसी हादसे में शरीर का कोई अंग गंवा दे तो उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। शरीर के किसी अंग का न होना कोई शर्म की बात नहीं, न ही ये हमारी सफलता के आड़े आता है।

बदले कांग्रेस के सुर

सावरकर देश के लिए जेल गए : सिंघवी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 अक्तूबर।

महाराष्ट्र की नई विधानसभा चुनने के लिए जारी मतदान के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सोमवार को वीर सावरकर की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई और देश के लिए जेल गए। संघवी ने स्पष्ट किया कि वह निजी तौर पर सावरकर की विचारधारा से सहमत नहीं हैं।

महाराष्ट्र में भाजपा के चुनाव घोषणापत्र में वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग का कांग्रेस ने कड़ाई से विरोध किया। पार्टी के सांसद व प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा था कि यदि सावरकर को भारत रत्न दिया जाता है तो देश का भगवान ही मालिक है। लेकिन समझा जा रहा है कि महाराष्ट्र की सियासी हकीकत के मद्देनजर पार्टी ने अपने तेवर कुछ नरम किए और उसके बाद ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मुंबई में सावरकर पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के डाक टिकट जारी किए जाने की बात कही थी।

सिंघवी ने ट्वीट कर कहा–मैं व्यक्तिगत तौर पर सावरकर की विचारधारा से सहमत नहीं हूं लेकिन इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि वह निपुण व्यक्ति थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाई, दलित अधिकारों की लड़ाई लड़ी और देश के लिए जेल गए। यह कभी नहीं भूलना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारतीय सोच की ताकत उसका समावेशी होना है।

3300 करोड़ से ज्यादा की रक्षा खरीद को मंजूरी

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर (भाषा)।

रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को सशस्त्र बलों के लिए 3300 करोड़ रुपए से अधिक के सैन्य उपकरणों की खरीद की मंजूरी दे दी जिनमें स्वदेशी डिजाइन और विकसित टैंक रोधी निर्देशित मिसाइलें भी शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) की एक बैठक में किया गया। पहली दो परियोजनाओं में तीसरी पीढ़ी की एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (एटीजीएम) और टी-72 और टी-90 युद्धक टैंकों के लिए आक्जलरी पावर यूनिट (एपीयू) की खरीद शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि जहां तीसरी पीढ़ी की एटीजीएम बख़्तरबंद लड़ाई में सैनिकों को 'दागो और भूल जाओ' और 'शीर्ष हमले' की क्षमता प्रदान करेगी, एपीयू 'फायर कंट्रोल सिस्टम' में विभिन्न उन्नयनों और टैंकों में रात में लड़ने की क्षमता जोड़ने में सक्षम बनाएगी।

भाजपा में भी बढ़ेगा दिल्ली के मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित करने का दबाव

भाजपा का कोई सर्वमान्य नेता नहीं होने के कारण मुश्किल है किसी एक नाम पर सहमति

मनोज मिश्र
नई दिल्ली, 21 अक्तूबर।

हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा समेत दो लोकसभा और 51 विधानसभा उपचुनावों के सोमवार को हुए मतदान के 24 अक्तूबर को नतीजे आने के बाद भाजपा नेतृत्व पर दिल्ली में भी मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने का दबाव बढ़ने वाला है। दिल्ली के भाजपा नेता इस भरोसे बैठे हैं कि दिल्ली के चुनाव आते-आते राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा और तीनों विधानसभा चुनावों में भाजपा की भारी जीत हो चुकी होगी। माना जा रहा है कि दिल्ली वैसे ही देश की राजधानी होने के चलते राष्ट्रीय मुद्दों से ज्यादा प्रभावित रहेगी, ऊपर से प्रधानमंत्री के प्रयासों से पार्टी जीत जाएगी। भाजपा का एक वर्ग इसीलिए आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की दनादन घोषित हो रही मुफ्त योजनाओं को कम असरदार मान रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली और बिहार ही ऐसे प्रभावशाली राज्य थे जहां भाजपा को जीत हासिल नहीं हुई। अन्यथा शिवसेना से गठबंधन टूटने के बावजूद 288 विधानसभा सीट वाली महाराष्ट्र विधान सभा में 122 सीटें लेकर भाजपा के तब के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने सरकार बनाई। इस बार भाजपा-शिव सेना साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस और एनसीपी को पहले से कमजोर माना जा रहा है इसलिए भाजपा महाराष्ट्र में बड़ी जीत की उम्मीद में है।

यही हाल हरियाणा का माना जा रहा है। पांच साल मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर इस बार भी भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा हैं। विपक्ष के बिखराव और कांग्रेस के झगड़ों के चलते इस बार भाजपा की बड़ी जीत के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी आधार पर दिल्ली में भी भाजपा नेता जीत के दावे कर रहे हैं। भाजपा के लिए नकारात्मक बातें यह हुई है कि गैर भाजपा वोटों को बांटने वाली कांग्रेस और आप में से कांग्रेस बेहद कमजोर हुई है। लगता नहीं कि वह लोकसभा वाला वोट फीसद इस चुनाव में जुटा ले। दूसरे लोकसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर पहुंचने के बाद से आप नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिजली -पानी फ्री देने बाद घोषणाओं की झड़ी लगा दी है।

दिल्ली भाजपा में कोई सर्वमान्य नेता नहीं होने के कारण पहले से ही पांच बार मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करके चुनाव लड़ने वाली भाजपा इस बार केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आगे करके चुनाव लड़ने की तैयारी में थी। भाजपा का एक वर्ग काफी समय से इसी के लिए सक्रिय है। उसका मानना है कि किसी नेता को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने पर उस नेता के विरोधी नेता या तो घर बैठ जाते हैं या ठीक से काम नहीं करते। अन्यथा यह कैसे संभव था कि 2015 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री की उम्मीदवार किरण बेदी भाजपा का गढ़ माने जाने वाली कृष्णा नगर सीट से खुद हार जाएं। दिल्ली में भाजपा 1998 में सत्ता से बाहर होने के बाद कभी सत्ता में नहीं लौटी। इसका एक बड़ा कारण भाजपा का वोट समीकरण भी है। गैर भाजपा मतों का ठीक से विभाजन होने पर ही वह विधानसभा या नगर निगम चुनाव जीत पाती है। 1993 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव में उसे करीब 43 फीसद वोट मिले तब वह सत्ता में आई। उसके बाद उसका वोट औसत लोकसभा चुनावों के अलावा कभी भी 36-37 फीसद से बढ़ा ही नहीं। इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा को रेकार्ड 56.6 फीसद वोट मिले हैं।

इस बार प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल के अलावा केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन आदि को मुख्यमंत्री का दावेदार माना जा रहा है। हर्षवर्धन की स्थानीय राजनीति में सक्रियता कम हो गई और बाकी नामों के पक्ष से ज्यादा विपक्ष में लोग सक्रिय हैं। ऐसे में भाजपा के लिए कोई नाम मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाते तय करना कठिन लग रहा है लेकिन तीन राज्यों के नतीजों के बाद पार्टी नेतृत्व पर इसके लिए दबाव तो बढ़ेगा ही।

'अपहरण की घटनाएं बढ़ीं, हत्या के मामलों में कमी'

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर (भाषा)।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के नए आंकड़ों के मुताबिक 2017 में देश भर में संज्ञेय अपराध के 50 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। इस तरह 2016 में 48 लाख दर्ज प्राथमिकी की तुलना में 2017 में 3.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

करीब एक साल की देरी के बाद 2017 के लिए वार्षिक अपराध का आंकड़ा जारी किया गया है। वर्ष 2017 में हत्या के मामलों में 5.9 प्रतिशत की गिरावट आई। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में हत्या के 28653 मामले दर्ज किए गए जबकि 2016 में 30450 मामले सामने आए थे।

इसमें कहा गया कि हत्या के अधिकतर मामले में 'विवाद' (7898) एक बड़ा कारण था। इसके बाद 'निजी रंजिश' या 'दुश्मनी' (4660) और 'फायदे' (2103) के लिए भी हत्याएं हुईं। वर्ष 2017 में अपहरण के मामलों में नौ प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। उससे पिछले साल 88008 मामले दर्ज किए गए थे जबकि 2017 में अपहरण के 95893 मामले दर्ज किए गए थे।

पुंछ में पाकिस्तान की गोलाबारी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 अक्तूबर।

सोमवार को पाकिस्तानी सेना ने जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में कस्बा कीरनी सेक्टर में संघर्षविराम का उल्लंघन किया। इस दौरान पाकिस्तान की ओर से मोर्टार दागे गए। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया।

रविवार को जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तंगधार सेक्टर में पाकिस्तान ने संघर्षविराम उल्लंघन किया था। इसमें जो जवान शहीद हो गए थे। भारतीय सेना ने करीब दो घंटे में ही तंगधार में शहीद अपने दो जवानों की शहादत का बदला ले लिया। आतंकियों के तीन शिविरों को तबाह कर दिया, जबकि चौथे कैंप को भी नुकसान पहुंचा है। छह से 10 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए गए।

बड़ी जीत संग भाजपा की वापसी का अनुमान

पेज 1 का बाकी

हरियाणा में दो-तिहाई बहुमत मिलने जा रहा है।

इंडिया टुडे-एक्सिस के एग्जिट पोल में 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा-शिवसेना को 166-194 सीटें और कांग्रेस-राकांपा गठबंधन को 72-90 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। न्यूज18-इप्सॉस के एग्जिट पोल में भाजपा को 142 सीटें और उसकी सहयोगी शिवसेना को 102 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इस सर्वे के अनुसार कांग्रेस और राकांपा को केवल 17 और 22 सीटें ही मिल पाएंगी।

एबीपी-सी वोटर ने भाजपा-शिवसेना को 204 सीटें और कांग्रेस-राकांपा को 69 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। 2014 में अलग-अलग साथ चुनाव लड़ने वाली भाजपा-शिवसेना को इस बार साथ आने का फायदा हुआ है। 2014 की तुलना में शिवसेना-भाजपा को कुल 44 सीटों का फायदा हो रहा है। वहीं, राकांपा-कांग्रेस के साथ आने के बावजूद इस गठबंधन को 35 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। अन्य पार्टियों को भी नौ सीटों का नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है।

अनुमान लगाया जा रहा है कि हरियाणा में भाजपा की जीत और बड़ी होगी। एबीपी-सी वोटर ने हरियाणा में भाजपा को 72 सीटें और कांग्रेस को आठ सीटें मिलने की भविष्यवाणी की है। सीएनएन-इप्सॉस का अनुमान है कि भाजपा और कांग्रेस को क्रम से 75 और 10 सीटें मिलेंगी। टाइम्स नाउ की मानें तो हरियाणा में भाजपा को 71, कांग्रेस को 11 और अन्य के खाते में आठ सीटें जा सकती हैं।

इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो), जननायक जनता पार्टी (जजपा) और निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। इनके अलावा बहुजन समाज पार्टी (बसपा), आम आदमी पार्टी, स्वराज इंडिया और बागी भाजपा विधायक राजकुमार सैनी की लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी भी चुनावी मैदान में हैं।

टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल के मुताबिक, आदमपुर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार सोनाली फोगाट जीत सकती हैं। वहीं, कुलदीप बिश्नोई और राजेश गोदारा को शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। बड़ौदा विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार योगेश्वर दत्त भी चुनाव जीत सकते हैं। श्रीकृष्ण हुड्डा और जोगिंदर मलिक को शिकस्त झेलनी पड़ सकती है। फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी नसीम अहमद चुनाव जीत सकते हैं। वहीं, मम्मान खान को हार का सामना करना पड़ सकता है। गढ़ी सांपला किलोई से कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव जीत सकते हैं। टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल के मुताबिक, कैथल विधानसभा सीट से लीला राम गुर्जर चुनाव जीत सकते हैं। वहीं, रणदीप सिंह सुरजेवाला को शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है।

देश में हिंदू नेता असुरक्षित नहीं : भैयाजी जोशी

नागपुर, 21 अक्तूबर (भाषा)।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह भैयाजी जोशी ने सोमवार को कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि देश में हिंदू नेता असुरक्षित हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। जोशी ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में यह भी कहा कि हिंदूवादी विचारक विनायक दामोदर सावरकर को उचित सम्मान मिलना चाहिए।

हिंदू नेताओं की सुरक्षा के संबंध में उनका बयान पिछले सप्ताह लखनऊ में हिंदू महासभा के एक घटक संगठन के पूर्व नेता कमलेश तिवारी की हत्या की पृष्ठभूमि में आया है। जोशी यहां महल इलाके में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। जब पूछा गया कि क्या संघ को लगता है कि देश में हिंदू नेता असुरक्षित हैं तो उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि वे असुरक्षित हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा जरूरी है।' वीर सावरकर को भारत रत्न देने की भाजपा की मांग और इस प्रस्ताव पर कुछ कांग्रेस नेताओं के विरोध के सवाल पर जोशी ने कहा, 'हमें नहीं पता कि कांग्रेस क्या कह रही है। हम चाहते हैं कि एक व्यक्ति (सावरकर) जो देश के लिए प्रेरणास्रोत हैं उन्हें उचित सम्मान मिलना चाहिए।'

तीन घंटे देरी से चली तेजस, यात्रियों को डेढ़ लाख से ज्यादा का मुआवजा

पेज 1 का बाकी

12:25 बजे के स्थान पर दोपहर बाद 3:40 बजे राष्ट्रीय राजधानी पहुंची। इसी तरह दिल्ली से लखनऊ रवाना होने का इसका निर्धारित वक्त दोपहर बाद 3:35 बजे का था, लेकिन यह यहां से शाम 5:30 बजे रवाना हुई। तेजस एक्सप्रेस लखनऊ अपने निर्धारित वक्त रात 10:05 बजे के स्थान पर रात 11:30 बजे पहुंची। लखनऊ से दिल्ली के लिए 450 यात्री थे, जिनमें से प्रत्येक को 250 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। वहीं, दिल्ली से लखनऊ के लिए 500 यात्री थे, जिन्हें प्रति व्यक्ति 100 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। प्रत्येक यात्री यह मुआवजा बीमाकर्ता के लिंक के जरिए प्राप्त कर सकता है। यह लिंक तेजस एक्सप्रेस के प्रत्येक टिकट पर दिया गया है।

हमें 90 वर्षों से निशाना बनाया जा रहा : भागवत

पेज 1 का बाकी

हमले किए जा रहे हैं। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि समाज एक है और हमेशा एक ही रहेगा। यह तो राजनीति है और यह सब उसी का हिस्सा है। लेकिन समाज एक है और हमेशा एक ही रहेगा।' राज्य विधानसभा चुनाव के परिणाम के बारे में पूछे जाने पर भागवत ने कहा, 'मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं इसलिए इसका अनुमान मैं नहीं लगा सकता। तीन दिन में परिणाम आ जाएगा तब सभी को पता चल जाएगा।' भागवत ने लोगों से मतदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि यह नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वह अपने जन प्रतिनिधियों को चुनें। उन्होंने कहा, 'हम 100 फीसद मतदान पर जोर देते हैं। किसी व्यक्ति या माहौल को देखकर वोट न दें बल्कि मुद्दों के आधार पर मतदान करें।' भागवत मतदान के लिए सुबह सात बजे ही महल इलाके में स्थित मतदान केंद्र पर पहुंच गए थे।

दोपहर तक धीमी रही मतदान की रफ्तार

पेज 1 का बाकी

मतदान हुआ था, वहीं इस साल के लोकसभा चुनाव में राज्य के 70.36 फीसद लोगों ने वोट डाले। सूबे में वर्ष 2000 के चुनाव में 69 फीसद, 2005 में 71.9 फीसद, 2009 में 72.3 फीसद तथा 2014 के विधानसभा चुनाव में 76.6 फीसद मतदाताओं ने वोट डाले थे। मतदान कम होने को लेकर जानकारों का कहना है कि हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों में नई विधानसभाओं के गठन को लेकर लोगों में उत्साह बेहद कम नजर आया। विशेषकर, शहरी क्षेत्र के लोग घरों से नहीं निकले। सुबह 10 बजे तक गुरुग्राम के डीएलएफ इलाके में महज दो फीसद वोट डाले गए थे। इस पूरे शहर में सुबह 11 बजे तक करीब 15 फीसद मतदान ही हो पाया था। यही हाल फरीदाबाद का भी रहा जहां, सुबह 11 बजे तक केवल 17 फीसद वोट ही डाले गए थे जबकि मेवात में इस समय तक करीब 25 फीसद लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके थे। महाराष्ट्र में 60.46 फीसद मतदान हुआ जो 2014 के राज्य विधानसभा चुनावों में हुए 63.38 फीसद के स्तर पर ही है। यहां भी राज्य के ग्रामीण इलाकों में ज्यादा मतदान हुए जहां मतदाताओं ने शहरी वोटर की तुलना में ज्यादा उत्साह दिखाया। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार सूबे में शाम पांच बजे तक 54.53 फीसद मतदाताओं ने वोट डाला। हालांकि सुबह से दोपहर तक मतदान की रफ्तार इतनी धीमी रही कि कई नेताओं को ट्वीट कर और वीडियो जारी कर लोगों से घरों से बाहर निकल कर मतदान करने की अपील जारी करनी पड़ी।

सेना पीओके में आतंकी शिविरों को नष्ट करेगी

पेज 1 का बाकी

रविवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर स्थित नीलम घाटी में चार आतंकवादी शिविरों और कई पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए भारी गोलाबारी की। इसमें पाकिस्तान के छह से 10 सैनिक और इतने ही आतंकवादी मारे गए।

मलिक ने साथ ही कश्मीर के भीतर 'शरारती तत्वों' से भी कहा कि वे अपनी गतिविधियां छोड़ दें और राज्य के विकास में अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा, 'जो युवा इधर उधर घूम रहे हैं (जबर्दस्ती बंद कराने के लिए) वे यह सब बंद कर दें। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्हें अभी तक क्या प्राप्त हुआ है।' उन्होंने कहा, 'उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। एक नवंबर से एक नया कश्मीर होगा और लोगों को राज्य के विकास में योगदान करना चाहिए।'

'लोकतंत्र को इंटरनेट से हो सकता है अकल्पनीय नुकसान'

पेज 1 का बाकी

संबंधित तीन उच्च न्यायालयों में दाखिल मामलों को स्थानांतरित करने की मांग की थी।

मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव पंकज कुमार की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया, 'लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में इंटरनेट अकल्पनीय विनाश का शक्तिशाली हथियार बनकर उभरा है, ऐसे में लगता है कि इंटरनेट सुविधा प्रदान करने वाली कंपनियों के प्रभावी नियंत्रण के लिए नियमों में बदलाव की जरूरत है जिसमें लोगों के अधिकार व राष्ट्र की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा को बढ़ते खतरे को ध्यान में रखा जाए।'

निशाना बनाने की बात छोड़िए, वहां कोई शिविर ही नहीं : पाकिस्तान

इस्लामाबाद, 21 अक्तूबर (भाषा)।

पाकिस्तान की सेना ने अपने देश के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में कम से कम तीन आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाने के भारतीय सेना के दावे को झूठा करार देते हुए खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने कहा कि भारत अपने दावों को 'सही साबित' करने के लिए किसी भी विदेशी राजनयिक या मीडिया को घटनास्थल पर ला सकता है।

भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने रविवार को कहा था कि जम्मू-कश्मीर के तंगधार और केरन सेक्टर के दूसरी तरफ भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में छह से 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और तीन आतंकवादी शिविर नष्ट कर दिए गए। इसके बाद पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने आधी रात को ट्वीट करके भारतीय सेना प्रमुख के दावे पर निराशा जताते हुए कहा, 'तीन कथित शिविरों को ध्वस्त करने का दावा करने संबंधी भारतीय सेना प्रमुख का बयान निराशाजनक है क्योंकि वह बहुत जिम्मेदारी वाले पद पर हैं।' उन्होंने कहा, 'निशाना बनाने की बात छोड़िए, वहां कोई शिविर ही नहीं है। पाकिस्तान में भारतीय दूतावास का स्वागत है कि वह किसी भी विदेशी राजनयिक/मीडिया को लाकर इस बात को 'साबित' कर सकता है।'

'संस्थाओं की नीतियों पर निर्णय देना आरटीआइ कानून के दायरे में नहीं'

पेज 1 का बाकी

छात्रों के चयन की वर्तमान नीति में बदलाव करने के लिए केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने आयोग के 11 नवंबर, 2018 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को दिए आदेश को खारिज करते हुए कहा कि यह निर्देश सीआइसी की शक्तियों और वैधानिक ढांचे के परे हैं। अदालत ने यह आदेश मंत्रालय की उस अपील पर दिया जिसमें कहा गया था कि सीआइसी का आदेश कानून के अनुरूप नहीं है और जो निर्देश दिए गए हैं, वे आरटीआइ अधिनियम के दायरे से परे हैं। मंत्रालय की ओर से यह याचिका अधिवक्ता राहुल शर्मा और सी के भट्ट ने दाखिल की थी। सीआइसी ने यह आदेश राष्ट्रीय बाल भवन में दाखिल आरटीआइ कार्यकर्ता की अपील पर दिया था जिसमें बाल भवन की सदस्यता के लिए आयु सीमा का ब्योरा मांगा गया था और यह पूछा गया था कि क्या 'बाल श्री पुरस्कार' की पात्रता के लिए यह जरूरी है। सीआइसी ने अपने आदेश में कहा था कि मेधावी छात्रों के चयन के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्टता, पारदर्शिता और निर्णय की घोर कमी है और नीति में पूरी तरह बदलाव की जरूरत है।

करतारपुर गलियारे पर 23 को दस्तखत की तैयारी

पेज 1 का बाकी

में पवित्र गुरूद्वारा करतारपुर साहिब की यात्रा कर सकें। मंत्रालय ने कहा, 'यह निराशा की बात है कि भारत के तीर्थयात्रियों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए कई मुद्दों पर सहमति बनने के बावजूद पाकिस्तान प्रति तीर्थयात्री प्रति यात्रा 20 डॉलर सेवा शुल्क लगाने पर जोर दे रहा है।' उसने कहा कि सरकार ने पाकिस्तान से लगातार अनुरोध किया है कि तीर्थयात्रियों की इच्छाओं का सम्मान करते हुए उसे इस तरह का शुल्क नहीं लेना चाहिए। बयान में कहा गया है कि भारत किसी भी समय स्थिति के अनुसार समझौते में संशोधन को तैयार होगा।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने लगातार पाकिस्तान को तीर्थ यात्रियों की इच्छा के बारे में बताया है। यात्रियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए पाकिस्तान से सेवा शुल्क वसूली के फैसले पर पुनर्विचार की अपील की जा रही है।

गौरतलब है कि करतारपुर के गुरुद्वारा दरबार साहिब जाने के लिए रविवार से ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत की गई थी, लेकिन पाकिस्तान द्वारा 20 डॉलर प्रति यात्री फीस वसूलने पर अड़े रहने के कारण पंजीकरण रोकना पड़ा।

पाकिस्तान के साथ जिन मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी थी, उनमें करतारपुर साहिब के दर्शन का समय का मुद्दा भी शामिल है। सोमवार को पाकिस्तान इस मुद्दे पर भारत के प्रस्ताव पर सहमत हो गया। इसके अलावा पाकिस्तान रोजाना 10,000 यात्रियों को दर्शन की अनुमति देने की मांग पर भी राजी हो गया है। भारत ने हर दिन भारतीय प्रॉटोकॉल ऑफिसर के दौरे की अनुमति मांगी थी, यह व्यवस्था भी लागू की जाएगी।

भारत की ओर प्रधानमंत्री आठ अक्तूबर को गलियारे का उद्घाटन करेंगे। पाकिस्तान की ओर से वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान नौ नवंबर को करतारपुर गलियारा औपचारिक तौर पर खोले जाने का ऐलान करेंगे।

यह गलियारा करतारपुर के दरबार साहिब को पंजाब के गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक धर्मस्थल से जोड़ेगा, जिससे उससे भारतीय श्रद्धालु वीजा मुक्त आवाजाही कर पाएंगे। श्रद्धालुओं को करतारपुर साहिब जाने के लिए सिर्फ एक परमिट लेना होगा।

घुसपैठ नहीं रुकी तो मुंहतोड़ जवाब देते रहेंगे : राजनाथ

पेज 1 का बाकी

को हटाने के बाद लद्दाख क्षेत्र के सिर्फ दोस्त बनेंगे और दुश्मनों के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी। उन्होंने कहा, 'हमारे सशस्त्र बल कभी भी पाकिस्तानी पक्ष पर हमलावर नहीं हुए हैं। हमने कभी भी पहली गोली नहीं चलाई है।' सिंह ने कहा कि लेकिन दूसरी ओर से आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन कर भारत की अखंडता को अस्थिर और कमजोर करने तथा संकट में डालने की कोशिशें की गई हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने उन्हें 'मुंहतोड़ जवाब' दिया है। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने रविवार को कहा था कि जम्मू कश्मीर के तंगधार सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से अकारण संघर्षविराम उल्लंघन के जवाब में भारतीय सेना ने तीन आतंकी अड्डों को नष्ट कर दिया है। सिंह ने कहा, 'अगर वे घुसपैठ कराना बंद नहीं करते हैं, तो हमारे सशस्त्र बल उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना जारी रखेंगे जबतक वे (पाकिस्तान) ऐसी गतिविधियों को बंद नहीं करते हैं।' अधिकारियों ने बताया कि देश में सबसे ऊंचाई पर बनाए गए कर्नल चेवांग रिंचेन पुल का निर्माण सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने किया है। यह पुल दुर्बुक और दौलत बेग ओडली के बीच बनाया गया है जो चीन के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा से करीब 45 किलोमीटर दूर है। इस मौके पर सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत, उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह, लद्दाख के सांसद जाम्यांग सेरिंग नामग्याल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

तिवारी की हत्या के आरोपियों पर ढाई-ढाई लाख का इनाम

पेज 1 का बाकी

है। हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी (45) की नाका हिंडोला थानाक्षेत्र स्थित उनके आवास पर शुक्रवार को हत्या कर दी गई थी।

पुलिस महानिदेशक सिंह ने बताया था कि होटल स्टाफ के मुताबिक, हत्या वाले दिन दोनों आरोपियों ने अपने नाम क्रमशः शेख अशफाकुल हुसैन और मुइनुद्दीन पठान बताए थे। दोनों ही होटल से बाहर चले गए। उन्होंने भगवा कुर्ता पहन रखा था और उनके हाथ में मिठाई का डिब्बा था।

जांच के दौरान पता लगा कि हत्यारे 17 अक्तूबर को होटल में आए थे और 18 अक्तूबर को दोपहर में होटल छोड़कर चले गए। पुलिस ने होटल के उस कमरे से खून से सना भगवा कुर्ता बरामद किया है, जहां हत्यारे रुके थे। होटल के कमरे में एक नए मोबाइल फोन का डिब्बा भी मिला है।

मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआइटी) पहले ही बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतक तिवारी के परिवार वालों से रविवार को मुलाकात कर हत्यारों को पकड़ने में हरसंभव मदद का आश्वासन दिया था ।

दूसरी ओर तिवारी की लखनऊ में हत्या के सिलसिले में नागपुर से गिरफ्तार 29 साल का व्यापारी इस मामले में पकड़े गए दूसरे लोगों से लगातार संपर्क में था। एटीएस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

पुलिस को यह भी शक है कि सैयद आसिम अली ने इस अपराध में बड़ी भूमिका निभाई है जिसे महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने नागपुर के मोमिनपुरा इलाके से पकड़ा था। हिंदू समाज पार्टी के प्रमुख तिवारी (45) की 18 अक्तूबर को लखनऊ के नाका हिंडोला में उनके घर में हत्या कर दी गई थी। वह पहले हिंदू महासभा से जुड़े थे। महाराष्ट्र एटीएस के पुलिस उपाधीक्षक विक्रम देशमाने ने कहा कि अली से पूछताछ में पता चला है कि उसने तिवारी की हत्या में बहुत अहम भूमिका निभाई। उसके मोबाइल फोन कॉल रिकार्ड और अन्य जांच में पता चला है कि वह अन्य आरोपियों से संपर्क में था।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एक दल सोमवार को नागपुर पहुंचा था। एक अधिकारी के अनुसार अली को नागपुर की एक अदालत में पेश किया गया जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस को आगे पूछताछ के लिए लखनऊ ले जाने के लिहाज से ट्रांजिट रिमांड की अनुमति दे दी। अली के अलावा पांच अन्य लोगों को हत्या के सिलसिले में हिरासत में लिया गया है जिनमें तीन गुजरात से हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोमवार को दो और संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए 2.5-2.5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी।

epaper jansatta com

ताइवान का फिर से एकीकरण कोई नहीं रोक सकता : चीन

बेजिंग, 21 अक्तूबर (एएफपी)।

चीन के रक्षा मंत्री ने सोमवार को मुख्य भूमि के साथ ताइवान के 'फिर से एकीकरण' के लिए आह्वान किया। उन्होंने रक्षा मंच से कहा कि एककीरण को कोई ताकत रोक नहीं सकती है। स्वशासित ताइवान को चीन अलग हो चुका प्रांत मानता है। दोनों पक्ष 1949 में गृह युद्ध के बाद अलग हो गए थे।

रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगहे ने बेजिंग में जियांगशान फोरम में एशिया के रक्षा मंत्रियों और अधिकारियों से कहा कि चीन 'मातृभूमि के पूर्ण पुनः एकीकरण को साकार करने की दिशा में' अपने प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा, 'चीन दुनिया का एकमात्र बड़ा देश है, जिसने अभी तक पूर्ण पुनः एकीकरण का लक्ष्य हासिल नहीं किया है।'

चीन लेकर आया वाणिज्यिक रॉकेट

बेजिंग, 21 अक्तूबर (भाषा)।

चीन ने अपनी नई पीढ़ी के वाणिज्यिक संवाहक रॉकेटों का अनावरण किया है जो 1.5 टन तक का भार ले जा सकते हैं। चीन वैश्विक अंतरिक्ष प्रक्षेपण बाजार को आकर्षित करने के लिए भारत के साथ अपनी प्रतिस्पर्धा तेज कर रहा है। चीन के सरकारी मीडिया ने सोमवार को बताया कि नई 'लॉन्ग' रॉकेट श्रृंखला में ठोस ईंधन वाले रॉकेट शामिल हैं और इनका सांकेतिक नाम 'स्मार्ट ड्रैगन परिवार' रखा गया है। देश की शीर्ष रॉकेट निर्माता 'चाइना एकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल्स टेक्नालॉजी' की वाणिज्यिक इकाई 'चाइना रॉकेट' ने रविवार को 'टेंगलोंग लिक्विड-प्रोपेलेंट रॉकेट' का अनावरण किया।

जॉनसन ने ब्रेग्जिट पर फिर मतदान कराने का किया प्रयास

लंदन, 21 अक्तूबर (एपी)।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूरोपीय संघ से अलग होने के अपने समझौते पर समर्थन जुटाने के लिए सोमवार को दूसरी बार कोशिश की। इस अनुरोध के दो दिन पहले ब्रेग्जिट समझौते में देरी के लिए सांसदों ने मतदान में हिस्सा लिया था। हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर वोटिंग की अनुमति देने से इनकार कर सकते हैं क्योंकि संसदीय नियम एक ही सत्र में दूसरी बार एक ही प्रावधान को विचार के लिए लाए जाने पर रोक लगाता है, जब तक कि उसमें बदलाव न हो।

ब्रिटेन के ईयू से अलग होने में देरी हित में नहीं : फ्रांस

पेरिस, 21 अक्तूबर (एएफपी)।

फ्रांस का मानना है कि ब्रिटेन के यूरोपीय संघ (ईयू) से अलग होने में हो रही देरी किसी के हित में नहीं है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नए समझौते पर संसद का समर्थन मांगा है। इस पृष्ठभूमि में फ्रांस सरकार की प्रवक्ता की यह टिप्पणी आई है। कैबिनेट की बैठक के बाद सिबेथ नेडिआये ने पत्रकारों से कहा कि अब यह ब्रिटेन की संसद पर है कि वह समझौते के बारे में क्या सोचते हैं न कि यूरोपीय संघ पर। इस मामले पर मतदान की जरूरत है तो मतदान होना चाहिए न कि यह सिर्फ समय हासिल करने के लिए रणनीति हो।

गुप्ता बंधुओं के अमेरिका में रखे धन को जब्त करने के प्रयास शुरू

जोहानिसबर्ग, 21 अक्तूबर (भाषा)।

दक्षिण अफ्रीका के अधिकारियों ने भारतीय मूल के गुप्ता बंधुओं के अरबों रेंड (दक्षिण अफ्रीकी मुद्रा) की धनराशि को जब्त करने के प्रयास नए सिरे से शुरू कर दिए हैं।

गुप्ता बंधुओं ने यह पैसा कथित तौर पर सरकारी विभागों की मिलीभगत से गैरकानूनी सौदों से कमाया और फिर देश से गैर कानूनी ढंग से बाहर भेजा था। संडे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसेट फोरफीटर यूनिट ने अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजंसियों की सहायता प्राप्त करने का जिक्र किया है। इससे पहले अमेरिकी वित्त विभाग ने गुप्ता बंधुओं अजय, अतुल और राजेश तथा उनके सहयोगी सलीम एस्सा पर पिछले हफ्ते पाबंदियां लगाई थी। अमेरिकी वित्त विभाग ने कहा कि गुप्ता परिवार भ्रष्ट नेटवर्क के सदस्य हैं और उन्होंने सरकारी ठेकों, रिश्वत व अन्य भ्रष्ट गतिविधियों के जरिए अधिक भुगतान लिया।

श्रीराम पिस्टन्स एण्ड रिंग्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : तीसरी मंजिल, हिमालय हाउस, 23, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110001, फोन : +91 11 23315941 फैक्स : +91 11 23311203, Website : www.shrirampistons.com, E-mail : spr.fdcell@shrirampistons.com, CIN : L29112DL1963PLC004084, PAN : AAACS0229G

प्रपत्र डी.पी.टी. – 1

परिपत्र या जमा आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन के रूप में परिपत्र

[धारा 73 (2)(a) के अनुसार और धारा 76 और नियम 4 (1) एवं 4 (2) कम्पनीज़ (जमा स्वीकृति) नियम, 2014]

1. सामान्य जानकारी

a. कम्पनी का नाम, पता, वेबसाईट और अन्य सम्पर्क विवरण : श्रीराम पिस्टन्स एण्ड रिंग्स लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय : तीसरी मंजिल हिमालय हाउस, 23, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली–110001

b. कम्पनी के निगमन की तिथि : 09 दिसम्बर, 1963

c. कम्पनी एवं उसकी सहायक कम्पनियों द्वारा किया जाने वाला व्यवसाय, शाखाओं और ईकाइयों का विवरण, यदि कोई हो तो : सभी प्रकार के इंजिनों के पिस्टन, पिस्टन रिंग,पिस्टन पिन और इंजिन वॉल्वस् का निर्माण और विक्रय।कम्पनी का पंजीकष्त कार्यालय नई दिल्ली में है, निर्माण इकाई गाजियाबाद और पथरेड़ी 'राजस्थान' में और असेम्बली इकाई गुड़गांव; हरियाणा) साहिबाबाद (उ.प्र). पूणे (महाराष्ट्रा), होसुर (तमिलनाडू) और बेचारजी (गुजराज) में है।

d. कम्पनी के प्रबंधन का संक्षिप्त विवरण : प्रबंध निदेशक कम्पनी का प्रबंध करते हैं लेकिन कुल निगरानी, नियंत्रण और निर्देश, निदेशक मण्डल का रहता है।

e. निदेशकों के नाम, पते, डिन और व्यवसाय :

नाम	डिन	व्यवसाय	पता
मि. प्रदीप डिनोडिया (अध्यक्ष)	00027995	चार्टड एकाउन्टेन्ट	ए–9ए, महारानी बाग, नई दिल्ली – 110065
मि. हरि एस. भरतीया	00010499	उद्योगपति	2, अमृता शेरगिल मार्ग, नई दिल्ली– 110003
मिसेज फरीदा चोपड़ा	08415847	सर्विस	232, जोर बाग, नई दिल्ली – 110003
मिसेज मीनाक्षी दास	00524865	कम्पनी निदेशक	27, औरंगजेब रोड, नई दिल्ली – 110011
मि. रविन्द्र नारायण	00059197	एडवोकेट	55, सुन्दर नगर, नई दिल्ली – 110003
डॉ. पीटर नेयू	00324469	सर्विस	एएम. जकरवर्ग 40 लुडवीगसबर्ग, जर्मनी 71640
मि. सी. वाई. पाल	00106536	कम्पनी निदेशक	11बी, वैभव अपार्टमेन्ट, 80, भुलाभाई देसाई रोड़, मुम्बई–26
मि. अलोक रंजन	08254398	सर्विस	1/83, विवेक खंड–1, गोमजी नगर, लखनऊ–2260803
मि. एम. सेकिमोतो	00452082	सर्विस	4–3–2–406, कौयूडी, ईनागी– सिटी, टोक्यो, जापान 2060803
मि. इन्द्रदीप सिंह	00173538	कम्पनी निदेशक	20–ए, औरंगजेब रोड़, नई दिल्ली – 110011
मि. कियोटो टोने	08154738	सर्विस	2–1–4, इसीबोटेके – चाओ, शोवा – कू, नगोया शी आईची, जापान 000 जे पी.
मि. ए. के. तनेजा (प्रबंध निदेशक)	00124814	सर्विस	सी–6/9, सफदरजंग डवलपमेन्ट एरिया, नई दिल्ली – 110016
मि. आर. श्रीनिवासन (संयुक्त प्रबंध निदेशक)	00124760	सर्विस	सी–512, सुशान्त लोक, फेस–1, गुड़गांवा (हरियाणा) – 122002
मि. लव. डी. श्रीराम (पूर्णकालीन निदेशक)	00051065	सर्विस	26, सरदार पटेल मार्ग, नई दिल्ली – 21
मि. नोरिटाडा ओकानो (वैकल्पिक निदेशक–मि. एम सेकिमोतो)	02005759	सर्विस	2–1–4, चुओ – मिनामी, इंजाई–शि, चिबा केन 270–1340, जापान
डॉ. रालफ बुशबेक (वैकल्पिक निदेशक–डॉ. पीटर नेयू)	08247923	सर्विस	बुचैनवेग 11, 74861 नुडिनु, जर्मनी

f. जोखिम वाले कारकों के बारे में प्रबंधन की धारणा : OEMS द्वारा गुणवक्ता पर अधिक ध्यान देना व OEMS के बीच कम लागत प्रतिस्पर्धा, विदेशी विनिमय दर में अस्थिरता से कम्पनी के बिक्री एवं लाभ को प्रभावित कर सकती है।

g. चूक का विवरण, शामिल राशि सहित, चूक की वर्तमान स्थिति, पुनर्भुगतान के सम्बन्ध में, : – इनकी अदायगी में कोई चूक नहीं है :
- i) वैधानिक देय राशि : - वैधानिक देय राशि
- ii) ऋणपत्र एवं उस पर ब्याज : - ऋणपत्र एवं उस पर ब्याज
- iii) किसी बैंक या वित्तीय सस्था से त्रण और उसका ब्याज : - किसी बैंक या वित्तीय सस्था से त्रण और उसका ब्याज

2. जमा योजना का विवरण

a. बोर्ड से प्रस्ताव पारित होने की तिथि : 09.07.2019

b. आम बैठक में जमा योजना के प्रस्ताव के पारित होने की तिथि : 29.07.2014

c. जमा का प्रकार – सुरक्षित अथवा असुरक्षित : असुरक्षित

d. राशि जो अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत ले सकती है– जमा की कुल वास्तिविक राशि वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन और परिपत्र या विज्ञापन जारी करने की तारीख और जमा की प्रस्तावित राशि और अगली 12 महीनों के भीतर जमा देय राशि : राशि जो कम्पनी ले सकती है :- **a)** चुक्ता पूंजी एवं मुक्त रिजर्व का **10%** अपने शेयर धारको से जमा – रु. 977.71 मिलियन **b)** चुक्ता पूंजी एवं मुक्त रिजर्व का 25% अपने शेयर धारकों के अलावा से जमा – रु. 2444.27 मिलियन **c)** कुल राशि जो कम्पनी ले सकती हैं रु. 3421.98 मिलियन **d)** 31.03.2019 को जमा की कुल राशि रु. 637.14 मिलियन **e)** परिपत्र या विज्ञापन जारी करने की तिथि पर जमा राशि रु. 638.58 मिलियन **f)** प्रस्तावित जमा राशि परिपत्र जारी करने की तिथि से ले सकती हैं रु. 900 मिलियन **g)** जमा राशि अगले 12 महीनों के भीतर प्रतिदेय – 09.07.2019 से 08.07.2020 रु. 251.81 मिलियन

e. जमा योजना की शर्त, अवधि, ब्याज, भुगतान और भुगतान का तरीका :

योजना क : गैर संचयी*			** योजना ख : संचयी **		
अवधि	ब्याज की दर (वार्षिक)	न्यूनतम जमा राशि (रु.)	न्यूनतम जमा राशि (रु.)	जमा राशि की परिपक्वता मूल्य (रु.)	वास्तविक लाभ (वार्षिक)
एक वर्ष	7.50%	50000	21000	22630	7.76%
दो वर्ष	8.50%	50000	21000	24876	9.22%
तीन वर्ष	9.00%	50000	21000	27482	10.28%

निम्नलिखित श्रेणी के लिए संचयी, गैर संचयी योजनाओं की ब्याज की समान्य दर के अतिरिक्त प्रतिवर्ष से देय है : **(1)** 0.50% वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष और उससे ऊपर) **(2)** 0.50% कम्पनी के कार्यरत कर्मचारी **(3)** 0.50% कम्पनी के शेयरधारक

* गैर–संचयी योजना के तहत जमा राशि पर ब्याज हर तिमाही की समाप्ति जैसे जून, सितम्बर , दिसम्बर और मार्च में भुगतान किया जायेगा, लेकिन स्रोत पर कर की कटौती की जायेगी जहां भी लागू हो.

** संचयी योजना के तहत जमा राशि पर मासिक अंतराल पर चक्रवृद्धि ब्याज दर लगाया जायेगा और स्रोत पर कर की कटौती की जायेगी, जहां भी लागू हो। उच्च मूल्य जमा राशियों पर मासिक ब्याज भुगतान करने का निर्णय का अधिकार कम्पनी के पास सुरक्षित है। जमा/ब्याज का भुगतान केवल एनईएफटी/आरटीजीएस के द्वारा किया जायेगा। जमा के बारे में अन्य सभी शर्ते कम्पनी के निर्धारित फार्म में दी गई हैं, जो कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध हैं।

f. जमा योजना के खोलने की अनुमानित तिथि और समय अवधि के लिये परिपत्र व विज्ञापन वैध है। : योजना की शुरुआत की प्रस्तावित तिथि 22.08.2019 और विज्ञापन अगली वार्षिक आम बैठक तक मान्य होगा।

g. जमा स्वीकार करने का कारण एवं उद्देश्य : लघु एवं मध्यम अवधि के लिये वित्त आवश्यकता को पूरा करना।

h. क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी का नाम, रेटिंग का अर्थ, तारीख जिस पर रेटिंग प्राप्त हुई है। : क्रेडिट रेटिंग IND TAA+/Stable पुनः पुष्टि, इंडिया रेटिंग्स एवं रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड से 05-07-2019 को प्राप्त किया है। जो कि कम्पनी की वित्तीय प्रतिबद्धताओं का समय पर भुगतान करने की मजबूत क्षमता दर्शाता है।

i. जमा बीमा की हद, बीमा कम्पनी का नाम, बीमा कवरेज की अवधि, हद, दावे की प्रक्रिया, डिफाल्ट आदि के मामले मे। : कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 551 दिनांक 12.02.2018 के अनुसार जमा बीमा की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।

j. सुरक्षित जमा के लिये चार्ज क्रिएटिड अथवा चार्ज क्रिएट करने के लघु विवरण : लागू नहीं

k. निवेशकों, पर्वतकों या प्रमुख प्रबंधन कर्मियों का जमा में किसी प्रकार का वित्तीय या अन्य सामग्री, रूचि और अब तक इस प्रकार के रूचि में अन्य लोगों से भिन्न रूचि : निवेशकों, पर्वतकों या प्रमुख प्रबंधन कर्मियों का जमा में किसी प्रकार का वित्तीय या अन्य सामग्री, रूचि और अब तक इस प्रकार के रूचि में अन्य लोगों से भिन्न रूचि नहीं है।

3. किसी भी बकाया जमा राशि का विवरण (31 मार्च, 2019)

a. बकाया राशि : रू. 637.14 मिलियन

b. स्वीकृति की तिथि : 29.05.2010 से 31.03.2019 तक

c. कुल स्वीकृत राशि : रू. 637.19 मिलियन

d. ब्याज दर : 7.5 % से 11 % प्रति वर्ष

e. जमाकर्ताओं कुल संख्या : 838 संख्या

f. डिफाल्ट यदि कोई है, जमा और ब्याज के भुगतान की अदायगी में जमाकर्ताओं की संख्या, राशि और शामिल डिफाल्ट की अवधि : शुन्य

g. जमाकर्ताओं से कोई छूट, जमा पर अर्जित ब्याजं : शुन्य

4. कम्पनी की वित्तीय स्थिति

a. कम्पनी का मुनाफा, कर के प्रावधान से पहले व बाद में, तीन वित्तीय वर्षों का परिपत्र :

वित्तीय वर्ष	2018-19 मिलि./रू.	2017-18 मिलि./रू.	2016-17 मिलि./रू.
- मूल्यह्रास एवं कर से पूर्व लाभ	3035.65	3011.71	2608.23
- कर पूर्व लाभ	2092.38	2108.37	1708.80
- कर पश्चात लाभ	1384.50	1388.82	1180.98
- अन्य समग्र आमदनी	17.63	15.81	(55.93)
कुल समग्र आमदनी	1402.13	1404.63	1125.05

b. कम्पनी द्वारा घोषित तीन वर्षों का लाभांश व ब्याज कवरेज अनुपात (नकद लाभ कर से पहले प्लस ब्याज का भुगतान या ब्याज भुगतान)

वित्तीय वर्ष	2018-19 मिलि./रू.	2017-18 मिलि./रू.	2016-17 मिलि./रू.
- इक्विटी शेयरों पर लाभांश कर सहित	269.74	269.56	188.51
- लाभांश दर	100%	100%	70%
- ब्याज कवरेज अनुपात (बार)	16.03	13.84	9.37

c. कम्पनी की वित्तीय स्थिति की तीन वर्षों का लेखजोखा, परिपत्र या विज्ञापन के तुरन्त पहले :

विवरण (परिसम्पत्तियां)	31.3.2019 मिलि./रू.	31.3.2018 मिलि./रू.	31.3.2017 मिलि./रू.
गैर–मौजूदा संपत्तियॉ			
a) सम्पति, सयंत्र और उपकरण	5843.14	5511.95	5735.03
b) पूजीगत कार्य प्रगाति	164.76	112.27	93.47
c) अमूर्त संपत्ति	14.85	–	–
d) अन्य अमूर्त संपत्ति	268.83	41.96	32.44
e) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति।	1.77	–	–
f) **वित्तीय संपत्तियॉ**			
(i) निवेश	0.50	0.50	0.50
(ii) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियॉ	39.31	103.90	144.73
g) अन्य मौजूदा संपत्तियॉ	1045.92	715.18	632.49
	7379.08	**6485.76**	**6638.66**
वर्तमान संपत्तियॉ			
a) इन्वेंटरीज	3471.37	2810.37	2403.82
b) वित्तीय संपत्तियॉ			
(i) निवेश	55.07	200.36	80.05
(ii) व्यापार प्राप्तियॉ	3558.38	3210.99	2378.09
(iii) नगद व नगद समकक्ष	22.25	25.69	20.60
(iv) अन्य बैंक शेष उपरोक्त (iii) के सिवाय	808.66	1785.65	1530.30
(v) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियॉ	112.52	123.86	163.35
c) मौजूदा कर संपत्तियॉ (शुद्ध)	–	–	4.37
d) अन्य मौजूदा संपत्तियॉ	276.78	266.72	325.25
	8305.03	**8423.64**	**6905.83**
कुल परिसम्पत्तियॉ	**15684.11**	**14,909.40**	**13,544.49**

विवरण (इक्विटी एवं देयताएं)	31.3.2019 मिलि./रू.	31.3.2018 मिलि./रू.	31.3.2017 मिलि./रू.
इक्विटी			
a) इक्विटी शेयर पूंजी	223.75	223.75	223.75
b) अन्य इक्विटी	10040.85	8908.94	7720.09
देयतायें	**10264.60**	**9132.69**	**7943.84**
गैर मौजूदा देनदारियॉ			
a) वित्तीय देयतायें			
(i) उधार	424.42	657.95	1205.38
ii) गैर परिवर्तनीय वरीयता शेयर पूंजी	288.58	–	–
b) प्रावधान	346.83	315.04	308.46
c) डिफर्ड कर देयतायें (शुद्ध)	319.40	323.89	340.33
d) अन्य गैर मौजूदा देयताऐं	28.25	2.33	1.88
	1407.48	**1299.21**	**1856.05**
वर्तमान देनदारियॉ			
a) वित्तीय देयतायें			
(i) उधार	39.36	414.93	348.46
(ii) व्यापार देयतायें	–	–	–
सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया	64.36	54.50	2093.20
लेनदारों की कुल बकाया राशि एवं सूक्ष्म व लघु उद्यमों के अलावा	2646.98	2575.07	–
(iii) अन्य वित्तीय देयतायें	686.33	910.52	849.79
(b) अन्य वर्तमान देयतायें	435.80	411.11	368.05
c) प्रावधान	91.63	89.04	85.10
d) वर्तमान कर देयतायें (शुद्ध)	47.57	22.33	–
	4012.03	**4477.50**	**3744.60**
कुल शेयर निधि व देनदारियॉ	**15684.11**	**14909.40**	**13544.49**

d. परिपत्र या विज्ञापन देने से ठीक पहले तीन वर्षों का नकदी प्रवाह विवरण।

विवरण (वर्ष समाप्त)	मार्च 31, 2019 मिलि./रू.	मार्च 31, 2018 मिलि./रू.	मार्च 31, 2017 मिलि./रू.
A) परिचालन गतिविधियों से नगदी प्रवाह			
वर्ष का मुनाफा	**1384.50**	**1388.82**	**1180.98**
समायोजन :			
लाभ व हानि में मान्यता प्राप्त कर व्यय	707.88	719.55	527.82
मूल्य ह्रास/परिशोधन	943.26	903.34	899.43
वित्त लागत	139.19	164.19	204.12
डूबत ऋण/अग्रिम बट्टे	1.06	2.91	0.74
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान (शुद्ध)	8.76	2.19	(0.02)
ब्याज आय	(132.41)	(120.86)	(125.05)
वर्तमान निवेश की बिक्री/वैल्युवेशन पर शुद्ध लाभ	(7.75)	(23.95)	(19.93)
अप्राप्त विनिमय दर भिन्नता (शुद्ध)	(5.29)	(23.70)	(5.32)
बिक्री पर नुकसान/स्थायी सम्पत्ति की सेवा निवृति	14.84	7.71	(3.14)
नकदी प्रवाह हेजेज में उचित मूल्य परिवर्तन (कर शुद्ध)	14.54	(1.85)	(12.02)
पोस्ट रोजगार के पुर्नमुन्यांकन लाभ योजनाएं (कर शुद्ध)	3.09	17.66	(43.92)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	**3071.67**	**3036.01**	**2603.69**
समयोजन :			
इन्वेन्टरीज़	(660.99)	(406.55)	(320.35)
व्यापार प्राप्तियां	(366.23)	(808.25)	(159.57)
ऋण एवं अग्रिम (छोटी एवं लम्बी अवधि)	186.28	45.46	274.48
अन्य परिसम्पत्तियाँ (वर्तमान एवं गैर–मौजूदा)	(179.02)	(24.26)	(75.44)
व्यापारिक देनदारियां	98.18	530.15	214.44
अन्य वित्तिया देनदारियाँ (वर्तमान और गैर–मौजूदा)	359.80	79.07	(176.50)
अन्य देनदारियाँ एवं प्रावधान (वर्तमान और गैर–मौजूदा)	35.85	14.53	(21.51)
गतिविधियों से उत्पन्न नकद	**2545.54**	**2466.16**	**2339.24**
आयकर का भुगतान	(688.60)	(717.66)	(511.17)
ऑपरेटिंग गतिविधियों से शुद्ध नकद (A)	**1856.94**	**1748.50**	**1828.07**
B) निवेश गतिविधि से उत्पन्न नकद प्रवाह			
ब्याज प्राप्तियां	119.94	119.25	87.85
मूर्त सम्पत्ति की बिक्री	24.22	10.02	15.28
समामेलन के तहत नकद विचार के लिए भुगतान	(111.82)	–	–
मूर्त सम्पत्ति की खरीद	(1479.31)	(677.49)	(734.63)
अमूर्त सम्पत्ति की खरीद	(294.56)	(44.53)	(32.14)
मौजूदा निवेश की खरीद	(5532.22)	(7616.36)	(6826.66)
मौजूदा निवेश की बिक्री से आय	5685.26	7520.00	6941.75
बैंक के साथ मार्जिन मनी में वृद्धि /कमी	(29.69)	(3.08)	0.09
जमा में वृद्धि/कमी 12 महीने से अधिक	39.55	39.54	0.05
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद (प्रयुक्त) (B)	**(1578.58)**	**(652.65)**	**(548.41)**
C) वित्तीय गतिविधि से नकदी प्रवाह			
ब्याज भुगतान	(164.15)	(150.52)	(200.62)
लाभांश भुगतान (लाभांश कर सहित)	(269.74)	(215.44)	(134.65)
लंबी अवधि उधार भुगतान	(444.00)	(614.58)	(847.63)
बैंकों से अल्पावधि ऋणों का कुल आगम/(भुगतान)	–	–	223.96
जमा से आगम	277.35	229.89	215.56
जमा का भुगतान	(298.53)	(133.03)	(147.47)
वित्तपोषण गतिविधियों में/(प्रयुक्त) से शुद्ध नकद (C)	**(899.07)**	**(883.68)**	**(890.85)**
नकद और नकद समकक्ष में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (A+B+C)	**(620.71)**	**212.18**	**388.81**
वर्ष के शुरूआत में नकद और नकद समकक्ष	**1431.44**	**1219.26**	**830.45**
जोड़ें : नकद और नकद समकक्ष समामेंलन से प्राप्ति	**4.03**	**–**	**–**
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष	**814.76**	**1431.44**	**1219.26**
नकद और नकद समकक्ष के अवयव			
हाथ में नकदी	1.96	0.34	0.73
बैंकों के पास जमा रकम			
- चालू खाते	17.77	22.84	19.87
- अन्य बैंक बैलेंस	811.19	1788.16	1530.30
- बैंकों से कार्यशील पूंजीगत ऋण सुरक्षित/असुरक्षित	(16.24)	(379.90)	(331.64)
योग	**814.68**	**1431.44**	**1219.26**

नोट : 1. भारतीय लेखा मानक (Ind AS-7) में निर्धारित अनुसार अप्रत्यक्ष विधि के नगदी प्रवाह विवरण तैयार किया गया है। 2. कम्पनी के साथ श्रीराम ऑटोमोटिव प्रोडक्टस लिमिटेड का समामेलन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी है। कम्पनी द्वारा समामेलन के तहत लिए गए संपत्ती और देनदारियों का वर्ष 2019 के अंत के वित्तीय विवरणों के नोट 48 में खरीद मूल्य सहित खुलासा किया गया है।

Deloitte Haskins & Sells — Chartered Accountants

7th Floor, Building 10, Tower B, DLF Cyber City Complex, DLF City Phase - II, Gurugram - 122 002, Haryana, India, Tel: +91 124 679 2000, Fax: +91 124 679 2012

UDIN : 19094668AAAABX4651
The Board of Directors
Shriram Pistons and Rings Limited
3rd Floor, Himalya House,
23 Kasturba Gandhi Marg,
New Delhi - 110001

INDEPENDENT AUDITORS CERTIFICATE PURSUANT TO THE SECOND PROVISIO RULE 4 SUB-RULE (1) OF THE COMPANIES (ACCEPTANCE OF DEPOSITS) AMENDMENT RULES, 2018 AS AT MARCH 31, 2019

1. This certificate is issued in accordance with the terms of our engagement letter dated June 20, 2019.

INTRODUCTION

2. We, Deloitte Haskins & Sells, Chartered Accountants (Firm's Registration No. 15125N), the Statutory Auditors of SHRIRAM PISTONS AND RINGS LIMITED (the 'Company'), having its Registered Office at 3rd Floor, Himalya House, 23 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi - 110001, for the year ended March 31, 2019 have examined the audited books of account and other relevant records and documents maintained by the Company. This includes our unmodified report on the financial statement of the Company as at and for the year ended March 31, 2015, March 31, 2016, March 31, 2017, March 31, 2018 and March 31, 2019.

MANAGEMENT S RESPONSIBILITY

3. The Management is responsible for the adherence with the relevant provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act'), the applicable Rules (including Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014) and the directives of the Reserve Bank of India ('RBI') relating to the acceptance of deposits by the Company and ensuring that there are no defaults in the repayment of deposits and payment of interest on such deposits accepted either before or after the commencement of the Act. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the compliance.

AUDITORS RESPONSIBILITY

4. Our procedures have been planned to obtain all information and explanations that we considered necessary to provide limited assurance on the absence of defaults, if any, in the repayment of deposits or in the payment of interest on such deposits accepted either before or after the commencement of the Act and the making good of defaults, if any, identified. Further, it is our responsibility to verify, based on the information and explanations provided to us by the Management, that, in case the Company has committed a default in the repayment of deposits accepted either before or after the commencement of the Act or in the payment of interest on such deposits, the Company had made good the default and a period of five years has lapsed since the date of making good the default as the case may be. In carrying out our procedures, we have considered the following criteria :
   a. Assertions made by us in our reports on the financial statements of the Company as at and for the years ended March 31, 2019, March 31, 2018, March 31, 2017, March 31, 2016 and March 31, 2015 with regard to the compliance with the directives issued by the RBI and the provisions of sections 73 to 76 and other relevant provisions of the Act and the rules framed thereunder, or, as the case may be, the provisions of sections 58A, 58AA or any other relevant provisions of the Companies Act, 1956 and the rules framed there under, where applicable, with regard to deposits accepted from the public.
   b. Assertions made by the Board of Directors in their reports to members for the years ended March 31, 2019, March 31, 2018, March 31, 2017, March 31, 2016 and March 31, 2015, with regard to deposits accepted from the shareholders and from the public.
   c. Forms DPT-1 for the years ended March 31, 2019, March 31, 2018, March 31, 2017, March 31, 2016 and March 31, 2015 containing in the case of DPT-1 declarations made by the Directors of the Company to the effect that the Company has not defaulted in the repayment of deposits accepted either before or after the commencement of the Act, or payment of interest thereon and in case of DPT-4 signed by the Company Secretary asserting that the deposits due but not paid and interest due thereon but not paid as Rs. 'Nil' as at March 31, 2014.
   d. Annual declaration made for the year ended March 31, 2019, March 31, 2018, March 31, 2017, March 31, 2016 and March 31, 2015 by the treasury team on behalf of the management to the credit rating agencies viz. India Rating & Research, that there has been no delay / default in repayment of interest / principal of debt.
5. We conducted our examination in accordance with the Guidance Note on Reports or Certificates for Special Purposes (Revised 2016) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Companies Act, 2013, which include the concepts of test checks and materiality. The Guidance note requires that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by the ICAI. The procedures performed in a limited assurance engagement vary in nature, and are less in extent than for, a reasonable assurance engagement and consequently the level of assurance obtained in a limited assurance engagement is substantially lower than the assurance that have been obtained had a reasonable assurance engagement been performed.
6. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control (SQC 1), Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements.

OPINION

7. Based on our examination as stated above and according to the information and explanations provided to us by the Company, in our opinion, the Company has not committed any default in the repayment of deposits or in the payment of interest on such deposits accepted either before or after the commencement of the Act that were outstanding during the year and that there were no defaults that had to be made good as of March 31, 2015, March 31, 2016, March 31, 2017 March 31, 2018 and March 31, 2019.

RESTRICTION ON USE

8. This certificate is issued to the Board of Directors of the Company, for onward submission to the Registrar of Companies along with Form DPT 1 for the year ended March 31, 2019, and should not be used for any other purpose without our prior written consent. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care or for any other purpose or to any other party to whom it is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

For **DELOITTE HASKINS & SELLS**
Chartered Accountants
(Firm's Registration No. 15125N)
Sd./-
Vijay Agarwal, (Partner) (Membership No. 094468)

Place : Gurugram
Date : JULY 18, 2019

e. पिछले तीन वर्षों के दौरान लेखांकन नीतियों में बदलाव और उसका कम्पनी के मुनाफे एवं रिजर्व पर उसका असर। : कम्पनी ने सभी भारतीय लेखा मानकों (Ind AS) को अपनाया है और प्रथम बार अपनाते समय भारतीय लेखा मानक Ind AS 101 के अनुसार इनको अपनाया गया हैं। IGAAP के अन्तर्गत भारतीय आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतो के अधिनियम की धारा को नियम 7 के तहत कम्पनीज लेखा नियम 2014 (IGAAP) बदलाव किया गया हैं। कम्पनी ने सभी भारतीय लेखा मानकों (Ind AS) को अपनाया है और प्रथम बार अपनाते समय भारतीय लेखा मानक Ind AS 101 के अनुसार इनको अपनाया गया हैं। IGAAP के अन्तर्गत भारतीय आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतो के अधिनियम की धारा को नियम 7 के तहत कम्पनीज लेखा नियम 2014 (IGAAP) बदलाव किया गया हैं। लेखा नीतियों को लगातार लागू किया गया है सिवाय इसके कि जहॉं एक नया जारी खाता मानक प्रारंभ में अपनाया जाता है या किसी मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन की आवश्यकता है। Ind AS में परिवर्तन Ind AS 101 के अनुसार निम्नलिखित प्रभाव हैं। **1.** पटटा भूमि, पहले IGAAP के अनुसार स्थिर सम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत थी अब गैर मौजूदा सम्पत्ति के रूप में पुन वर्गीकृत किया गया है। **2.** कम्पनी ने क्रॉस करंसी ब्याज दर स्वैप ली है, कम्पनी ने भारतीय लेखा Ind AS के अन्तर्गत डेरीवेटिव उत्पाद को अलग–अलग वित्तीय परिसंपत्तियो के रूप में उचित मूल्य पर मान्यता दी है और विदेशी मुद्रा उधार का समापन दर पर पुनः मूल्यांकन किया गया हैं। **3.** पिछला GAAP के तहत, अन्य व्यापक आय की कोई अवधारणा नही थी। Ind AS के तहत, आय, व्यय, लाभ या नुकसान को अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत किया गया है।

5. निदेशकों द्वारा यह घोषणा की जाती है कि :

a. कम्पनी अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में स्वीकार की गई जमा एवं उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं है। **b.** निदेशक मण्डल पूरी तरह से कम्पनी के कामकाज एवं भविष्य को लेकर पूरी तरह सन्तुष्ट है और उनकी राय है कि कम्पनी भविष्य की अनुमानित वित्तीय देनदारियों को पूरा करने में सक्षम होगी और साथ ही, कि कम्पनी विज्ञापनजारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर दिवालिया नहीं हो जायेगी। **c.** कम्पनी ने अधिनियम के प्रावधानों और इसके अधीन बनाए गए नियमों का पालन कर दिया है। **d.** अधिनियम और नियमों के पालन का यह अर्थ नहीं है कि जमा राशि की वापसी की गारंटी केन्द्र सरकार देती है। **e.** अधिनियम के प्रारंभ से पहले कम्पनी द्वारा स्वीकार जमा का तय समय पर मय ब्याज के भुगतान किया है और आगे भी नियत समय पर मय ब्याज के भुगतान किया जायेगा और जब तक उनका भुगतान नहीं किया जाता उनका दर्जा अन्य प्रतिभूति रहित देनदारियों के बराबर ही होगा। **f.** क्रेडिट रेटिंग में कोई प्रतिकूल परिवर्तन के मामले में, जमाकर्ताओं को बिना किसी जुर्माने के जमा वापस लेने का विकल्प होगा। **g.** जमा द्वारा प्राप्त राशि विज्ञापन में दिये गये उद्देश्यों की पूर्ति हेतु काम में लाया जायेगा। **h.** कम्पनी द्वारा स्वीकृत जमा कम्पनी की अन्य असुरक्षित देनदारियों के समरूप है।

6. अस्वीकरण

यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि रजिस्ट्रार के पास विज्ञापन के रूप में परिपत्र दाखिल करना किसी भी तरीके से यह नही समझा जाएगा ना यह माना जाएगा कि रजिस्ट्रार या केंद्र सरकार द्वारा उसे मंजूरी या स्वीकृति दे दी गई हैं। रजिस्ट्रार या केंद्र सरकार किसी भी जमा योजना, जिसके लिए जमा स्वीकार किया जा रहा हैं या तथ्यों की सटीकता के लिए या विज्ञापन के रूप में परिपत्र में व्यक्त राय जमा योजनाओं की वित्तीय सुध्ढ़ता के लिए कोई जिम्मेदारी नही हैं। अतः निवेशकर्ताओं को जमा योजनाओ में निवेश करने से पहले पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए।

यह विज्ञापन निदेशक मण्डल के प्राधिकार से और उनके नाम पर जारी किया गया है जिसके पूरे कथ्य को निदेशक मण्डल ने 09 जुलाई, 2019 को अपनी बैठक में मंजूर किया था और निदेशकों के बहुमत द्वारा हस्ताक्षर की गई एक प्रति रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के पास दाखिल कर दी गई है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 09 जुलाई, 2019

बोर्ड के आदेश से
(आर. श्रीनिवासन)
कम्पनी सचिव (F-4034)

आरसीईपी पर गोयल ने कहा

कोई भी समझौता करने से पहले उद्योगों के हितों का ध्यान रखेगी सरकार

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर (भाषा)।

सरकार प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) पर हस्ताक्षर करने से पहले घरेलू उद्योगों के हितों को ध्यान में रखेगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को यह बात कही।

आरसीईपी पर सदस्य देशों के बीच बातचीत अंतिम चरण में है। आरसीईपी समझौते पर 10 आसियान समूह के देश ब्रुनेई कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमा, फिलिपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और इनके छह व्यापारिक साझेदार ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। आरसीईपी पर अगले महीने बातचीत पूरी हो जाने के सवाल पर गोयल ने कहा– हमें कोई भी मुक्त व्यापार समझौता करते समय घरेलू उद्योगों और भारतीय नागरिकों के हर हित का ध्यान रखना होगा। आरसीईपी के तहत आने वाले सभी देशों ने नवंबर में बातचीत पूरी करने और जून 2020 में समझौते पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया है।

उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार पहले राष्ट्रहित की रक्षा करेगी और 2009–10 में कांग्रेस शासन की तरह जल्दबाजी में समझौते नहीं करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि तब जो मुक्त व्यापार समझौते हुए वह भारत के हितों की रक्षा करने में नाकाम रहे हैं और इनमें ऐसी शर्तें शामिल हैं जो भारत के लिए नुकसानदायक रही हैं और सेवाओं के मामले में कोई लाभ नहीं हुआ। गोयल ने कहा– भारत किसी भी देश के साथ कोई भी समझौता करने से पहले सेवा तथा निवेश और अन्य सभी पहलुओं में सबसे पहले अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखेगा। भारतीय उद्योग जगत ने आरसीईपी समूह में चीन की मौजूदगी को लेकर चिंता जताई है। डेयरी, धातु, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन समेत विभिन्न क्षेत्रों ने सरकार से इन क्षेत्रों में शुल्क कटौती नहीं करने का आग्रह किया है। योजना के मुताबिक, भारत प्रस्तावित समझौते के तहत चीन से आने वाले करीब 80 फीसद उत्पादों पर शुल्क घटा या हटा सकता है।

भारत इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से आयातित 86 फीसद उत्पादों और आसियान , जापान और दक्षिण कोरिया से आयात होने वाले उत्पादों के 90 फीसद पर सीमा शुल्क में कटौती कर सकता है। आयात होने वाले सामानों पर शुल्क कटौती को 5, 10, 15, 20 और 25 साल की अवधि में अमल में लाया जाना है। आरसीईपी समझौते को लेकर विभिन्न देशों के मुख्य वार्ताकारों के बीच 28 दौर की बातचीत हो चुकी है। आगे अब कोई बातचीत तय नहीं है। भारत का 2018– 19 में आरसीईपी के सदस्य देशों में से चीन, दक्षिण कोरिया और आस्ट्रेलिया सहित 11 देशों के साथ व्यापार में घाटा रहा है।

भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की काफी गुंजाइश : पनगढ़िया

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर (भाषा)।

कृत्रिम मेधा (एआइ) और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में विकास को देखते हुए भारत के लिए बीमारियों के इलाज में सुधार लाने के लिए काफी संभावना है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने सोमवार को यह कहा।

अमेरिका–भारत रणनीतिक भागीदारी मंच पर कोलंबिया विश्विविद्यालय में भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर पनगढ़िया ने कहा– कृत्रिम मेधा, डेटा एनालिटिक्स और अन्य सभी प्रौद्योगिकी को देखते हुए आने वाले समय में भारत में इलाज बेहतर हो सकता है। उन्होंने कहा कि इन प्रौद्योगिकी में बदलावों को देखते हुए भारत देश के कहीं भी बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध करा सकता है।

पनगढ़िया ने कहा कि भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र अभी भी विकसित हो रहा है। इस क्षेत्र पर निजी क्षेत्र का दबदबा है और सरकार की भूमिका चिकित्सा कॉलेज लगाने पर रही है। कुछ बड़े अस्पताल हैं लेकिन उनमें से ज्यादातर का संचालन निजी क्षेत्र द्वारा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने पूरा बुनियादी ढांचा लगाया है। भारत में बड़ी समस्या यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों और यहां तक कि छोटे व मझोले शहरों में योग्य डाक्टर नहीं जाते, ज्यादातर काम वे लोग करते हैं जिन्होंने काम सीखा है या जिसने डाक्टर के साथ सहायक के रूप में काम किया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों की आज देशव्यापी हड़ताल

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर (भाषा)।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय और जमा राशि पर ब्याज दर घटने के विरोध में कुछ कर्मचारी यूनियनों ने मंगलवार को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इससे बैंकों में कामकाज प्रभावित हो सकता है। भारतीय स्टेट बैंक सहित ज्यादातर बैंकों ने अपने ग्राहकों को इस संबंध में पहले ही सूचित कर दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों के विलय और जमा राशि पर दरों में गिरावट के विरोध में यूनियनों ने एक दिन की हड़ताल पर जाने का फैसला किया है।

हड़ताल का आह्वान आल इंडिया बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन (एआइबीईए) और बैंक एम्पलाइज फेडरेशन आफ इंडिया (बीईएफआइ) ने किया है। हालांकि, अधिकारी और निजी क्षेत्र के बैंक हड़ताल में शामिल नहीं होंगे। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) सहित ज्यादातर बैंकों ने अपने ग्राहकों को हड़ताल और उसके प्रभाव के बारे में पहले ही सूचित कर दिया है।

एसबीआइ ने पिछले सप्ताह शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा– इस हड़ताल में शामिल कर्मचारी यूनियन में हमारे बैंक कर्मचारियों की सदस्यता संख्या काफी कम है। ऐसे में हड़ताल से बैंक के कामकाज पर असर काफी सीमित रहेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के एक अन्य बैंक सिंडिकेट बैंक ने कहा, ''प्रस्तावित हड़ताल को लेकर बैंक ने अपनी शाखाओं में सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। हालांकि, हड़ताल होने की स्थिति में बैंक शाखाओं–कार्यालयों का कामकाज प्रभावित हो सकता है।''

एआइबीईए के महासचिव सीएच वेंकटचलम ने कहा– मुख्य श्रमायुक्त की ओर से बुलाई गई बैठक का नतीजा सकारात्मक नहीं रहने की वजह से हमने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। मुख्य श्रमायुक्त के समक्ष भारतीय बैंक संघ (आइबीए) और यूनियनों की बैठक में कोई सहमति नहीं बन पाई है। उन्होंने कहा– ऐसे में हमारा हड़ताल का आह्वान अपनी जगह कायम है। हम देशभर में यूनियनों और सदस्यों से इस हड़ताल में शामिल होने का आह्वान करते हैं। पिछले महीने बैंक अधिकारियों की यूनियनों ने 26–27 सितंबर को दो दिन की हड़ताल की घोषणा की थी। लेकिन सरकार के हस्तक्षेप के बाद हड़ताल को वापस ले लिया गया था।

इस बीच, भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध नेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स और नेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ ऑफिसर्स और इनसे जुड़ी बैंक यूनियनों ने बताया है कि वह 22 अक्तूबर को प्रस्तावित बैंक हड़ताल में शामिल नहीं हैं। समूचे बैंक उद्योग की नौ यूनियनों में से केवल दो यूनियनों ने ही इस हड़ताल का आह्वान किया है।

बीएसएनएल को पटरी पर लाने की योजना एक महीने में आने की उम्मीद : पुरवार

उन्होंने कहा– कंपनी को साल के अंत तक 4–जी स्पेक्ट्रम आबंटित कर दिया जाएगा

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर(भाषा)।

संकट में फंसी दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को पटरी पर लाने की सरकार की योजना एक महीने के भीतर सार्वजनिक किए जाने की उम्मीद है। कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक पीके पुरवार ने साथ में यह भी कहा कि कंपनी को इस साल के अंत तक 4जी स्पेक्ट्रम आबंटित कर दिया जाएगा।

बीएसएनएल और इंटरनेट पर मनोरंजक और समाचार आधारित वीडियो सामग्री उपलब्ध कराने वाली एप आधारित यप टीवी के साथ भागीदारी के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान एक सवाल पर यह बात कही। उनसे कंपनी को पटरी पर लाने की सरकार की योजना में देरी को देखते हुए कंपनी के भविष्य के बारे में पूछा गया था। उन्होंने यह भी कहा कि सभी कर्मचारियों का वेतन दिवाली से पहले मिल जाएगा। बाद में उन्होंने कहा कि पुनरुद्धार योजना एक महीने के भीतर आनी चाहिए।

पुरवार ने कहा– हम सभी जानते हैं कि दूरसंचार क्षेत्र चुनौतीपूर्ण स्थिति से गुजर रहा है। सभी परिचालक बेहद प्रतिस्पर्धी शुल्क के कारण वित्तीय रूप से चुनौतीपूर्ण स्थिति देख रहे हैं। ऊपर से बीएसएनएल के साथ पुराने समय के मसले जुड़े हैं जिसमें बड़ी संख्या में कार्यबल भी है। इसका समाधान पुनरुद्धार पैकेज के जरिये किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि अगले कुछ सप्ताह में इस पैकेज के सार्वजनिक होने की संभावना है। घाटे में चल रही बीएसएनएल ने 4जी स्पेक्ट्रम आबंटन को लेकर 2015 में सरकार को आवेदन दिया था और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पैकेज के बारे में मंजूरी मांगी थी जो 2009 से लंबित है। सूत्रों के अनुसार पैकेज से सरकार के ऊपर 74,000 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है लेकिन इसमें से ज्यादातर राशि संपत्ति को बाजार पर चढ़ाकर जुटायी जा सकती है।

पुरवार ने कहा– हम बाजार में अगुवा हैं। हम ऐसी कंपनी हैं जिसकी आय 20,000 करोड़ रुपए से अधिक है। सभी कर्मचारियों का वेतन दिवाली से पहले मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल के ऊपर वेतन मद में 1,200 करोड़ रुपए की देनदारी है। इसका निपटान आंतरिक संसाधन से कर दिया जाएगा। 4जी स्पेक्ट्रम आबंटन की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर पुरवार ने कहा– हमें 4जी स्पेक्ट्रम चालू वर्ष के अंत तक मिलने की उम्मीद है। कंपनी ने 3 जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए देश के कुछ भागों में 4जी सेवा शुरू की है। स्पेक्ट्रम मिलने के बाद कंपनी को पूर्ण रूप से 4 जी नेटवर्क का विस्तार करने में 12–15 महीने लगेंगे। बीएसएनएल के सीएमडी ने कहा कि कंपनी की पुनरुद्धार योजना सरकार द्वारा मंजूर होने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी स्वयं को 'वॉयस' सेवा प्रदाता से 'डाटा फर्स्ट' कंपनी के रूप में तब्दील करेगी।

भारत ने डाक मेल सेवा रोकने के फैसले पर पाक को लताड़ लगाई

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर (भाषा)।

भारत ने पाकिस्तान द्वारा दोनों देशों के बीच डाक मेल सेवा बंद करने को लेकर पड़ोसी देश को लताड़ लगाई है। केंद्रीय संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने पाकिस्तान के इस कदम को अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करार दिया। प्रसाद ने कहा कि पाकिस्तान ने यह कदम भारत को इस बारे में कोई पूर्व सूचना दिए बिना उठाया है।

यहां एक कार्यक्रम के मौके पर प्रसाद ने कहा– पाकिस्तान का यह निर्णय अंतरराष्ट्रीय डाक यूनियन नियमों का उल्लंघन है। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने कोई सूचना दिए बिना भारत को डाक विभाग के पत्र भेजना बंद कर दिया है।

निवेशकों को बनाए रखने के लिए प्रणाली बना रहा डीपीआइआइटी

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (भाषा)।

उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआइआइटी) निवेशकों को बनाए रखने और देश के भीतर उन्हें कार्यालय स्थापित करने में मदद के लिए एक प्रणाली बना रहा है। डीपीआइआइटी के सचिव गुरुप्रसाद मोहपात्रा ने सोमवार को यह बात कही।

मोहपात्रा ने कहा कि इस संबंध में एक प्रस्ताव वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अनुमति के लिए भेजा गया है। इसके बाद यह देश में एक निवेश संवर्द्धन और सुविधा एजेंसी 'इंवेस्ट इंडिया' गठित करेगी। इसका वित्तपोषण डीपीआइआइटी करेगा। यहां एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा– हम बहुत जल्द इसकी घोषणा करेंगे। 'इंवेस्ट इंडिया' के तहत हम एक अन्य प्रणाली विकसित करेंगे जो वास्तव में निवेश प्रस्तावों से जुड़े सवालों के समाधान, उन्हें बनाए रखने और उन्हें उनके क्षेत्र में परिचालन में लाने के लिए काम करेगी।

उ.प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि.

ई-निविदा आमंत्रण सूचना अनुभवी कार्यदायी संस्थाओं/फर्मों से विद्युत पारेषण खण्ड, बड़ौत के अंतर्गत निम्न कार्यों हेतु ई-निविदायें ई-पोर्टल www.etender.up.nic.in पर दो भागों में निविदा खोलने की दिनांक को 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है निर्धारित निविदा शुल्क तथा धरोहर राशि आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से (निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि पृथक-पृथक हस्तांतरित की जानी है) Executive Engineer, Electricity Transmission Division-Baraut के पक्ष में एच.डी.एफ.सी. बैंक की रेलवे रोड, बड़ौत शाखा में संचालित चालू बैंक खाता संख्या-50200031864386 (IFSC Code HDFC 0002732) में जमा करायी जायेगी। निविदा के प्रथम भाग में आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. द्वारा जमा किये गये निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि की यथा योज्य यू.टी.आर. संख्या की प्रति खाते का नाम, निर्गत कर्ता बैंक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं निविदादाता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित पे-इन स्लिप की प्रति, निविदा प्रपत्र, पैन कार्ड, जी.एस.टी. संख्या, इन्कम टैक्स रिटर्न की स्वयं प्रमाणित छाया प्रति, तकनीकी अनुभव इत्यादि ई-पोर्टल पर स्कैन्ड प्रतियां, (PDF Format) तथा ई-निविदा के द्वितीय भाग में दरें एवं वाणिज्यक नियम व शर्ते ई-पोर्टल पर अपलोड की जायेगी। निविदा शुल्क धरोहर राशि एवं अन्य व्यवसायिक प्रपत्र हार्ड कॉपी में अथवा व्यक्तिगत संवाहक के माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त नहीं किये जायेंगे। ई-निविदा के प्रथम भाग उसी दिन निर्धारित समय पर सार्वजनिक रूप से खोला जायेगा एवं भाग द्वितीय (प्राइज बिड) खुलने की तिथि तदोपरान्त बेवसाईट पर सूचित की जायेगी। निविदा भाग प्रथम में संबंधित प्रपत्रों का अपलोड ना किये जाने की स्थिति में निविदा का भाग द्वितीय (प्राईस बिड) नहीं खोला जायेगा। ई-निविदा खुलने की तिथि पर अवकाश होने की स्थिति में ई-निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी। ई-निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकार/विभाजित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा। कृपया विस्तृत जानकारी, डाउन लोड, अन्य संशोधनों एवं ई-निविदा प्रस्तुत करने के दिनांक तक विस्तार आदि के संबंध में www.etender.up.nic.in पर लॉग ऑन करें। अल्पकालीन ई-निविदा संख्या-08/2019-20- 132 के.वी. उपकेन्द्र परिसर में स्थित 02 नग आधिकारी आवासों में विद्युत मरम्मत सम्बन्धि कार्य। धरोहर राशि रु. 2000.00, निविदा शुल्क जी.एस.टी. सहित रु. 590.00, खोलने की दिनांक 21.11.2019। उक्त निविदा में संबंधित कार्य क्षेत्र के अनुभवी कार्यदायी संस्था को ही वरीयता। अल्पकालीन ई-निविदा संख्या-09/2019-20- 132 के.वी. उपकेन्द्र हरसिया पर फायर फाईटिंग उपकरण हेतु फायर हट, सेंड पिट, सेंड फिल्ड पोर्ट, सर्किट ब्रेकर स्टैण्ड इत्यादि का निर्माण कार्य। धरोहर राशि रु. 2000.00, निविदा शुल्क जी.एस.टी. सहित रु. 590.00, खोलने की दिनांक 21.11.2019। उक्त निविदा में क श्रेणी में पंजीकृत कार्यदायी संस्था को ही वरीयता। **हस्ता./- अधिशासी अभियंता**

''राष्ट्रहित में बिजली बचाएं''। साधारण/सी.एफ.एल. बल्ब के स्थान पर एल.ई.डी. बल्ब का प्रयोग करें। पत्रांक 1736/वि पा ख. बड़ौत/ निविदा सूचना दिनांक 21.10.2019

दिल्ली जल बोर्डः रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

कार्यालयः कार्यपालक अभियंता (उत्तर)-1
ओवरहेड टैंक, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
एनआईटी सं. 24 मद सं. 1 एवं 2 (उत्तर)-1 (2018-19)

क्रम सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत रु.	धरोहर राशि	निविदा शुल्क (अप्रतिदेय)	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/ समय
1.	ईई (एन)-I के अंतर्गत मलका गंज वार्ड नं. 13 की सीवरेज प्रणाली के रखरखाव के लिए एसजी बेलदारों की भर्ती निविदा आईडीः 2019-DJB-182458-1	वस्तु दर	56000/-	500/-	11.10.2019 6.00 बजे अप. से	तकनीकी बोली 7.11.2019, 3.00 बजे अप. तक प्राप्त की जाएगी तथा वित्तीय बोली की पूर्णता तथा बैंक से ईएमडी की पुष्टि के बाद खोला जाएगा।

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।

पी.आर.ओ. (जल द्वारा जारी) — हस्ता./-

विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019-20/460 — **कार्यपालक अभियंता (उत्तर) I**

देवन हाउसिंग फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

राष्ट्रीय कार्यालयः एचडीआईएल टावर, 8वाँ तल, अनंत काणेकर मार्ग, बान्द्रा (ईस्ट), मुम्बई-400051
अंचल कार्यालयः डीएचएफएल, 503-505 तल, एयरेन हाइट्स एससीएच नं. 54, पीयू-3, विजय नगर, इंदौर 452010

परिशिष्ट IV कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत देवन हाउसिंग फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी ने यहां नीचे वर्णित ऋणधारक/(कों)/ गारन्टर(रों) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारन्टरों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस पर ब्याज के साथ यहां नीचे वर्णित राशि के लिए डीएचएफएल के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक(कों)/गारन्टर(रों) का नाम	प्रतिभूत परिसम्पत्ति (अचल सम्पत्ति का विवरण)	मांग सूचना तिथि एवं राशि	कब्जा की तिथि
(एलसी नं. 00000697/झाँसी शाखा) कुसुम रायकवर (ऋणधारक) अर्जुन रायकवर (सह-ऋणधारक)	सम्पत्ति अरजी नं. 90, मौजा नयागाँव शिवपुरी, ग्वालियर बाई पास हाईवे, निकट डी.डी. विजन डिग्री कॉलेज झाँसी, उ.प्र.-284003	18.2.2019 रु. 12,02,456/- (रुपए बारह लाख दो हजार चार सौ छप्पन मात्र) के लिए	17.10.2019
(एलसी नं. 00000011/झाँसी शाखा) बृजेश कुमार शर्मा (ऋणधारक) विभूति शर्मा (सह-ऋणधारक)	सम्पत्ति मकान सं. 586, वार्ड नं. 47, खांडेराव गेट के बाहरी भाग में, गायत्री मंदिर के निकट, झाँसी, उ.प्र.-284001	29.01.2019 रु. 20,19,920/- (रुपए बीस लाख उन्नीस हजार नौ सौ बीस मात्र) के लिए	17.10.2019

हस्ता./-
(प्राधिकृत अधिकारी)

तिथिः 22.10.2019
स्थानः झाँसी — देवन हाउसिंग फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

e-Procurement Cell
BUILDING CONSTRUCTION DEPARTMENT
JHARKHAND, RANCHI

e-Procurement Notice
e-Tender Reference No.- BCD/Special Works Division, Ranchi/321/2019-20 Date-21-10-2019

1	Name of Work	Construction of Proposed Secretariat Building of Jharkhand in Core Capital at Site-1, H.E.C. Area, Ranchi.
2	Estimated Cost (Rs.)	Rs. 1238,92,91,568/- (Rupees Twelve Thirty Eight Crore Ninety Two Lakhs Ninety One Thousand Five Hundred Sixty Eight) only.
3	Time of Completion	36 Months
4	Date of Publication of Tender on Website	28-10-2019 at 11:00 A.M.
5	Pre Bid Meeting	14-11-2019 at 3:00 P.M.
6	Last Date/Time of Submission of Bids	04-12-2019 upto 5:00 P.M.
7	Last Date/Time of Submission of Bid Security Money and Tender Fee	06-12-2019 upto 11:30 A.M.
8	Date/Time of opening of Bid	06-12-2019 at 12:00 P.M.
9	Name & Address of office Inviting tender	e-Procurement Cell, Building construction department, Jharkhand, Ranchi-834004
10	Contact no. of Procurement officer	0651-2446166
11	Helpline Number of e-procurement Cell	0651-2446166

- किसी भी प्रकार का बदलाव http://jharkhandtenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

Any Change can be seen on http://jharkhandtenders.gov.in

- अन्य किसी भी प्रकार की सूचना http://jharkhandtenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

Any other information can be seen on http://jharkhandtenders.gov.in

Nodal Officer
e-Procurement Cell
Building Construction Department,
Jharkhand, Ranchi

PR220447 (Building)19-20*D

स्टार्टअप कंपनियां ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव के लिए डिजिटल इंडिया का लाभ उठाएं : प्रसाद

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर (भाषा)।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा कि स्टार्टअप कंपनियों को डिजिटल इंडिया जैसी पहल का लाभ ग्रामीण भारत को बदलने और छोटे शहरों में नए अवसर पैदा करने के लिए उठाया जाना चाहिए। प्रसाद यहां 'सूचना प्रौद्योगिकी व इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय स्टार्टअप सम्मेलन' को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया को समावेशन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और उद्यमिता के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनाना चाहिए।

उन्होंने यहां सरकार की मोबाइल भुगतान एप भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम) का नया संस्करण 'भीम 2.0' पेश किया। इसमें कई नए फीचर जोड़े गए हैं। इसके अलावा उन्होंने एक 'भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद पंजीकरण' मंच भी पेश किया। यह भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादों की जानकारियां इकट्ठा करने वाला एकल खिड़की मंच होगा।

प्रसाद ने कहा कि सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली स्टार्टअप कंपनियों के लिए यह (ग्रामीण भारत) मोह में बांधने वाला क्षेत्र है। इनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि देश की बदलती डिजिटल यात्रा में उनकी क्षमता का उपयोग हो सके। उन्होंने कहा– मैं चाहता हूं कि डिजिटल इंडिया मंच ग्रामीण भारत को बदले। तीसरी और चौथी श्रेणी के शहरों, कस्बों में आकांक्षाओं को जन्म दे। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआइ) और जीएसटीएन (जीएसटी–नेटवर्क) की सफलता का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की एनआइसी और एसटीपीआइ जैसी इकाइयों को भी प्रतिस्पर्धी बनना चाहिए।

जिंदल सॉ लिमिटेड
पंजी. कार्यालय : ए–1, यूपीएसआईडीसी इंड. एरिया, नंदगांव रोड, कोसी कलां, जिला मथुरा – 281403
सीआईएन : L27104UP1984PLC023979

सूचना

एतद्द्वारा सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 47 के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक गुरूवार, 31 अक्टूबर, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सितंबर, 2019 को तिमाही/छमाही हेतु कम्पनी के अलेखापरीक्षित (स्टैंडअलोन और समेकित) वित्तीय परिणाम विचारित एवं अनुमोदित किए जाएंगे।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.jindalsaw.com पर तथा स्टॉक एक्सचेन्ज वेबसाइट्स नामतः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी देखी जा सकती है, जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

जिंदल सॉ लिमिटेड के लिए
हस्ता/–
सुनिल कु. जैन
कम्पनी सचिव
स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 21 अक्टूबर, 2019 — एफसीएस : 3056

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, राँची

ई–प्रोक्योरमेंट सूचना

टेन्डर रेफरेंस न0–प0नि0वि0/रॉची–41/2019–20 दिनांक – 19.10.2019

1.	कार्य का नाम	एन.एच.–75 (टेण्डर गोड़) से जगुवार कैंप पथ का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण/पुनर्निमाण (कुल लम्बाई – 2.20 कि0मी0) कार्य वर्ष 2019–20
2.	प्राक्कलि राशि (रु0 लाख में)	रु0 511.00 लाख (रुपये पांच करोड़ ग्यारह लाख) मात्र।
3.	कार्य पूर्ण करने की अवधि	06 (छः) माह
4.	वेबसाईड पर निविदा प्रकाशन की तिथि	25.10.2019 10.30 बजे पूर्वाह्न
5.	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय	14.11.2019 12.00 बजे दोपहर तक
6.	निविदा खोलने तिथि/समय	18.11.2019 12.30 बजे
7.	निविदा प्रकाशित करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता	कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल रॉची, मोहराबादी, रॉची–834008.
8.	प्रोक्योरमेंट पदाधिकारी का सम्पर्क संख्या	0651–2361018
9.	ई–प्रोक्योरमेंट सेल का हेल्पलाईन संख्या	0651–2401010

- प्राक्कलित राशि एवं अग्रधन की राशि घट–बढ़ सकती है, जिसे Tender Online Upload में देखा जा सकता है।
- पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार में निबंधित संवेदकों के लिए UCAN निबंधन आवश्यक है।
- नियम एवं शर्त के लिए वेबसाईट http://jharkhandtenders.gov.in पर देखें।

कार्यपालक अभियंता
PR 220425 Road (19-20)_D — **पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, राँची**

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

सामान्य सेवाएं प्रशासन विभाग
प्लॉट क. 4, सेक्टर–10, द्वारका नई दिल्ली – 110075

निविदा सूचना

पंजाब नैशनल बैंक योग्य निविदाकर्ताओं से **भीकाजी कामा प्लेस स्थित बैंक भवन में एम.ई.पी. सेवाओं के वियोजन एवं आवश्यकतानुसार मरम्मत हेतु परामर्श सेवाएं प्रदान करने** हेतु निविदा आमंत्रित करता है। जिस कार्य हेतु परामर्श सेवाएं देनी है उसकी आकलित लागत: ₹ 199 लाख, निविदा राशि: ₹ 1,180/–, बयाना राशि: ₹ 20,000/– निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और समय: 05.11.2019, 1500 बजे तक है।

उपरोक्त कार्यों के लिए निविदा दस्तावेज हमारी वेबसाइट **https://pnbindia.in** से डाउनलोड किए जा सकते हैं। उपरोक्त कार्य के संबंध में कोई शुद्धि/ स्पष्टीकरण केवल उपरोक्त वेबसाइट पर जारी किया जाएगा जिसे नियमित रूप से देखते रहें।

मुख्य प्रबंधक

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.

कॉनकॉर CONCOR
एक नवरत्न कंपनी (भारत सरकार का उपक्रम)
(A Govt. of India Navratna Undertaking)
ICD, Tughlakabad, New Delhi – 110 020

निविदा सूचना (केवल ई–टेंडरिंग पद्धति)

कॉनकॉर द्वारा ''कॉनकॉर उत्तरी क्षेत्र के लिए विज्ञापन एजेंसियों के इम्पैनलमेंट'' हेतु एकल पैकेट प्रणाली में केवल ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन रूप से [illegible] आमंत्रित की जाती है। [illegible] ऑनलाइन रु. 1000/– का भुगतान करने के बाद केवल वेबसाइट (www.tenderwizard.com/CCIL) से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

निविदा सं.	[illegible]/2019
अनुमानित लागत	रु. 94,87,865/– (अनुबंध की कुल अवधि के लिए)
अनुबंध की अवधि	2+1 वर्ष
धरोहर जमा राशि	रु. 1,89,000/– ई–भुगतान के माध्यम से
दस्तावेज की कीमत	रु. 1000/– सभी कर एवं प्रभारों सहित ई–भुगतान के माध्यम से
निविदा प्रक्रिया शुल्क	रु. 5310/– सभी कर एवं प्रभारों (अ–प्रतिदेय) सहित ई–भुगतान के माध्यम से
बिक्री की तिथि (ऑनलाइन)	22.10.2019, 16:00 बजे से 05.11.2019, 16:00 बजे तक
जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	06.11.2019 को 15:00 बजे तक
निविदा खुलने की तिथि एवं समय	07.11.2019 को 15:30 बजे

संपूर्ण जानकारी एवं अन्य विवरणों के लिए कृपया www.concorindia.com या eprocure.gov.in या www.tenderwizard.com/CCIL पर लॉग ऑन करें। कॉनकॉर बिना कोई कारण बताए किसी या सभी निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार रखता है।

समूह महाप्रबंधक/उत्तरी क्षेत्र

इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिजम कार्पोरेशन लि.
(भारत सरकार का उपक्रम - मिनी रत्न)
CIN NO: U74899DL1999GOI101707

खुली ई-निविदा आमंत्रण सूचना

आईआरसीटीसी - पश्चिम जोन की ओर से निम्नलिखित हेतु खुली ई-निविदा (दो लिफाफा प्रणाली के माध्यम से) आमंत्रित की जाती है :

यूनिट्स	विवरण	ई-निविदा कागजात की उपलब्धता	जमा करने की अंतिम तिथि
रिफ्रेशमेंट रूम्स	05 वर्ष की अवधि के लिए A1 और A श्रेणी के रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न रिफ्रेशमेंट रूम्स / जन आहार (किचन यूनिट्स) के माध्यम से/ में कैटरिंग सेवाओं के संचालन, अनुरक्षण तथा प्रावधान हेतु खुली ई-निविदा सह निलामी	तारीख 23.10.2019 से	14.11.2019 को 15:00 बजे तक
ट्रेन साईड वेंडिंग (टीएसवी)	05 वर्ष की अवधि के लिए पैंट्री कार रहित आईडेंटीफाईड मेल/ एक्सप्रेस/ सुपर फास्ट ट्रेनों में ट्रेन साईड वेंडिंग (टीएसवी) के माध्यम से ऑनबोर्ड कैटरिंग सेवाओं के प्रावधान के लिए खुली ई-निविदा सह निलामी	तारीख 23.10.2019 से	14.11.2019 को 15:00 बजे तक

निविदा कागजात की डाउनलोडिंग तथा सहभागिता के लिए वेबसाइट : **www.tenderwizard.com/IRCTC** पर की जा सकती है।
उपरोक्त विज्ञापन के लिये जारी कोई भी शुद्धिपत्र / परिशिष्ट यदि है, तो उसे वेबसाइट **www.irctc.com** एवं **www.tenderwizard.com/IRCTC** पर ही प्रकाशित किया जायेगा।
कार्यालय का पता : आईआरसीटीसी लि., क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम जोन), 2 री मंजिल, नई प्रशासनिक भवन, डी. एन. रोड, मध्य रेलवे, सीएसएमटी, मुंबई - 400 001, दूरध्वनी : 022-22618062/63/64 ।
''ऑनलाइन भोजन मंगाने के लिए कृपया www.ecatering.irctc.co.in पर लॉग ऑन करें या टोल फ्री नं.1323 पर कॉल करें।''

सोना 30 रुपए टूटा, चांदी 150 रुपए चढ़ी

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर (भाषा)।

कमजोर वैश्विक रुख के अनुरूप दिल्ली सर्राफा बाजार में सोमवार को सोना 30 रुपए टूटकर 38,995 रुपए प्रति दस ग्राम पर आ गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। शनिवार को सोना 38,985 रुपए प्रति दस ग्राम पर बंद हुआ था।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक जिंस तपन पटेल ने कहा– दिल्ली में 24 कैरट सोना 30 रुपए टूटकर 38,955 रुपए प्रति दस ग्राम पर आ गया। त्योहारी मांग के अभाव और कमजोर वैश्विक रुख की वजह से सोने में गिरावट आई। हालांकि, चांदी 150 रुपए की बढ़त के साथ 46,750 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। शनिवार को यह 46,600 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना स्थिर रुख के साथ 1,488.76 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। वहीं चांदी 17.67 डॉलर प्रति औंस पर थी।

जियो ने मोबाइल टैरिफ प्लान के दाम घटाए

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर (भाषा)।

रिलायंस जियो ने सोमवार को मध्यम श्रेणी के नए टैरिफ प्लान की घोषणा की है। कंपनी ने इसके मौजूदा पैक में मामूली कटौती करते हुए आइयूसी को समायोजित किया है।

सीडी मामले में बघेल के खिलाफ आपराधिक सुनवाई पर रोक

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने कथित सेक्स सीडी मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल के खिलाफ आरोपी के तौर पर आपराधिक मुकदमा चलाए जाने पर रोक लगा दी है। साथ ही उसने मामले को राज्य से बाहर स्थानांतरित करने की सीबीआइ की याचिका पर मुख्यमंत्री से जवाब मांगा है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ को सीबीआइ की तरफ से पेश हुए सालीसीटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि वे मामले को छत्तीसगढ़ से बाहर स्थानांतरित करना चाहते हैं क्योंकि अभियोजन पक्ष के दो गवाहों ने जांच एजंसी से शिकायत की है कि उन्हें धमकी दी जा रही है।

पीठ में न्यायमूर्ति एसए बोबड़े और न्यायमूर्ति एसए नजीर भी शामिल हैं। पीठ ने सीबीआइ की याचिका पर मुख्यमंत्री से जवाब मांगा और इस बीच मामले में जारी सुनवाई पर रोक लगा दी। मेहता ने कहा कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए सीबीआइ ने मामले को राज्य से बाहर भेजने की याचिका लगाई है क्योंकि आरोपी अब मुख्यमंत्री है और इस तरह की संभावनाएं हैं कि गवाहों पर दबाव बनाया जा सकता है। सीबीआइ ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष बघेल के खिलाफ 2017 में मामला दर्ज किया था। शिकायत में बताया गया था कि उन्होंने तत्कालीन पीडब्लूडी मंत्री और भाजपा नेता राजेश मूनत को फर्जी सेक्स सीडी मामले में कथित तौर पर फंसाने का प्रयास किया था।

रमन सिंह कैबिनेट में छत्तीसगढ़ के तत्कालीन पीडब्लूडी मंत्री और भाजपा नेता ने बघेल और वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा के खिलाफ 'फर्जी' सेक्स सीडी के माध्यम से कथित तौर पर उनकी छवि खराब करने के लिए शिकायत दर्ज कराई थी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने 2017 में वर्मा के गाजियाबाद आवास पर छापेमारी की थी और बघेल के साथ मिलकर भाजपा नेता की कथित तौर पर छवि खराब करने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया था। तत्कालीन भाजपा सरकार ने मामला सीबीआइ को सौंप दिया था जिसने मामले में आरोपपत्र दायर किया है।

न्यायालय ने रविदास मंदिर के लिए भूमि देने के नए प्रस्ताव को दी मंजूरी

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर (भाषा)।

दिल्ली के तुगलकाबाद वन क्षेत्र में गुरु रविदास का मंदिर गिराए जाने की घटना के करीब दो महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसी स्थान पर इसके पुनर्निर्माण के लिए 400 वर्ग मीटर भूमि देने के केन्द्र के प्रस्ताव को सोमवार को मंजूरी दे दी।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट के पीठ से अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि केंद्र ने श्रद्धालुओं की भावनाओं और आस्था को ध्यान में रखते हुए मंदिर के लिए 200 वर्ग मीटर भूमि के प्रस्ताव में संशोधन कर इसे 400 वर्ग मीटर कर दिया है। पीठ ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए केंद्र को निर्देश दिया कि निर्धारित स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए एक समिति गठित की जाए।

न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि मंदिर के लिए निर्धारित जगह के आसपास कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधि नहीं चलाएगा। शीर्ष अदालत ने इस मंदिर को गिराए जाने की घटना के विरोध में आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों को उनके द्वारा निजी मुचलका देने पर रिहा करने का भी निर्देश दिया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने शीर्ष अदालत के नौ अगस्त के आदेश पर इस मंदिर को गिरा दिया था। न्यायालय ने प्राधिकरण से कहा था कि पुलिस की मदद से कल तक इस परिसर को खाली कराया जाए और संरचना को हटाया जाए। मंदिर को गिराए जाने की खबर फैलते ही गुरु रविदास के अनुयायियों में जबर्दस्त आक्रोश फैल गया और उन्होंने दिल्ली सहित देश के अनेक हिस्सों में प्रदर्शन किया था। इस सिलसिले में अनेक लोग गिरफ्तार किए गए थे।

शिवकुमार की पत्नी, मां को नया समन जारी करेगा ईडी

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर (भाषा)।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि वह धनशोधन मामले में गिरफ्तार किए गए कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की पत्नी और मां को नया समन जारी करेगा क्योंकि जांच अभी जारी है।

ईडी के वकील ने न्यायमूर्ति बृजेश सेठी को बताया कि शिवकुमार की पत्नी ऊषा और मां गोवरम्मा (85) को पूर्व में जारी किए गए समन अब अस्तित्व में नहीं हैं और नए समन जारी किए जाएंगे क्योंकि जांच पूरी की जानी है। अदालत दोनों महिलाओं द्वारा दायर की गईं अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें उन्होंने धनशोधन मामले में ईडी द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती दी थी।

ईडी ने गोवरम्मा और उषा को समन जारी कर उनसे क्रमशः 15 और 17 अक्तूबर को अपने समक्ष पेश होने को कहा था।

उपचुनाव : 51 विधानसभा, दो लोकसभा सीटों पर करीब 57 फीसद मतदान

लखनऊ/कोच्चि, 21 अक्तूबर (भाषा)।

देश के 18 राज्यों की 51 विधानसभा सीटों और दो लोकसभा सीटों पर सोमवार को हुए उपचुनाव में करीब 57 फीसद मतदान हुआ। केरल में मतदाताओं ने भारी बारिश के बीच मतदान किया। वहां सड़कें जलमग्न हो गई और कुछ मतदान केंद्रों में पानी भी घुस गया।

उत्तर प्रदेश की 11 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में सोमवार को शाम छह बजे मतदान समाप्त होने तक 47.05 फीसद वोट पड़े। सहारनपुर जिले में गंगोह सीट पर सबसे अधिक 60.30 फीसद जबकि लखनऊ (कैंट) पर सबसे कम 28.53 फीसद मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग द्वारा रात सात बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार, 51 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में करीब 56.84 फीसद मतदान हुआ। मतदान शांतिपूर्ण बीता।

केरल में भारी बारिश के बीच पांच विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। एर्नाकुलम में बारिश से जलमग्न सड़कों और कुछ मतदान केंद्रों में पानी भरने के बीच मतदाताओं ने वोट डाला। इसके चलते एर्नाकुलम में सबसे कम 53.27 फीसद मतदान हुआ। अन्य सीटों पर मतदान 66 फीसद से अधिक रहा। सबसे अधिक 75.74 फीसद मतदान अरूर सीट पर हुआ। केरल में सामान्यत मत फीसद अधिक रहता है।

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश में खोंसा पश्चिम सीट (90 फीसद) पर सबसे अधिक मतदान हुआ, छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित चित्रकोट (74 फीसद), तेलंगाना के हुजुरनगर (84 फीसद) और मध्य प्रदेश के झाबुआ (62 फीसद) और मेघालय के शेल्ला (84.56 फीसद) में मतदान हुआ। इन राज्यों में एक-एक सीट पर उपचुनाव हुआ। असम में चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में 75.69 फीसद वोट पड़े। बिहार उपचुनाव में यह आंकड़ा 49.50 फीसद रहा जहां पांच विधानसभा सीटों और समस्तीपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। महाराष्ट्र में सतारा लोकसभा सीट पर उपचुनाव में 60 फीसद से अधिक मतदान हुआ।

अन्य उत्तरी राज्यों में हिमाचल प्रदेश में पच्छाद और धर्मशाला सीटों पर औसत 70 फीसद मतदान हुआ जबकि पंजाब में चार विधानसभा सीटों फगवाड़ा (आरक्षित), जलालाबाद, दाख और मुकेरियां पर उपचुनाव में 60 फीसद मतदान हुआ। राजस्थान में मंडावा और खींवसर विधानसभा सीटों पर 66 फीसद मतदान हुआ। गुजरात में छह विधानसभा सीटों पर औसतन 51 फीसद मतदान दर्ज किया गया। अंतिम आंकड़ों की अभी पुष्टि करना बाकी है। तमिलनाडु में विक्रवांदी और नांगुनेरी विधानसभा सीट पर अन्नाद्रमुक और द्रमुक के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। इन सीटों पर क्रमशः 84.36 फीसद और 66.10 फीसद मतदान हुआ। नांगुनेरी में मतदान के दौरान कथित तौर पर ठहरने के लिए कांग्रेस सांसद एच वसंतकुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें बाद में एक अदालत में पेश किया गया जहां से जमानत पर रिहा कर दिया गया। वसंतकुमार के लोकसभा में चुने जाने पर इस सीट से इस्तीफे के बाद ही यहां उपचुनाव कराना पड़ा। दूसरी ओर, पुडुचेरी में कामराज नगर में करीब 70 फीसद मतदान हुआ। भाजपा और उसके सहयोगी दलों के पास इन विधानसभा सीटों में से करीब 30 सीटें थी जबकि कांग्रेस ने 12 पर जीत दर्ज की थी। शेष सीटें क्षेत्रीय दलों के पास थी। सिक्किम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने पोकलोक कामरांग विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। पूर्वोत्तर राज्य में तीन सीटों पर उपचुनाव में 70 फीसद मतदान दर्ज किया गया।

अयोध्या विवाद : फैसले के बाद कोई कार्यक्रम नहीं करेगा विहिप

अयोध्या, 21 अक्तूबर (भाषा)।

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में जमीन के मालिकाना हक को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मुसलिम पक्ष द्वारा अयोध्या में शांति और सौहार्द बनाए रखने के आह्वान का स्वागत करते हुए विहिप ने भी सोमवार को घोषणा की कि फैसले के बाद वह अपने प्रस्तावित सभी कार्यक्रमों को रद्द कर देगा।

मुसलिम पक्षकारों ने इससे पहले घोषणा की थी कि अनुकूल फैसला आने की स्थिति में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए वे अयोध्या में विवादित जमीन पर मस्जिद निर्माण को आगे के लिए टाल देंगे। जटिल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सांप्रदायिक सौहार्द खराब नहीं होने देने के लिए दोनों समुदायों के प्रयास के बावजूद अयोध्या पुलिस भी ठोस प्रयास कर रही है।

विश्व हिंदू परिषद के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता शरद शर्मा ने सोमवार को बताया कि अगले महीने अयोध्या फैसले से जुड़े हमारे सभी प्रस्तावित कार्यक्रम और विभिन्न गतिविधियों को रद्द कर दिया गया है। मुसलिम पक्ष की घोषणा के बाद शर्मा ने सद्भाव दिखाते हुए कहा, 'फैसला चाहे हिंदुओं के पक्ष में हो या मुसलिमों के पक्ष में, समय आ गया है कि दोनों समुदाय सौहार्द और भाईचारे का सर्वोच्च उदाहरण पेश करें।

उन्होंने कहा, 'हम सभी को सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी कोई घटना नहीं हो जो दोनों समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों में जहर घोल दे।' उन्होंने कहा, 'हमने अपने सभी कार्यक्रमों और हिंदू कार्यकर्ताओं के एकत्र होने के कार्यक्रम को रद्द कर दिया है।

अदालत का चिदंबरम के खिलाफ आरोपपत्र पर संज्ञान

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर (भाषा)।

आइएनएक्स मीडिया मामला

दिल्ली की अदालत ने आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और अन्य के खिलाफ सीबीआइ द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया है। इन लोगों पर कथित तौर पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अपराध कर राजकोष को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। चिदंबरम के अलावा इस मामले में नौकरशाहों के खिलाफ भी आरोपपत्र दायर किए गए हैं।

विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने प्राथमिकी पर संज्ञान लिया और मामले में अगली तारीख 24 अक्तूबर को तय की जब चिदंबरम की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत खत्म हो रही है। उन्हें उसी दिन अदालत में पेश किया जाएगा। आरोपपत्र में पीटर मुखर्जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट एस भास्कररमन, नीति आयोग की पूर्व सीईओ सिंधुश्री खुल्लर, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय में सचिव अनूप के पुजारी, प्रबोध सक्सेना, रविंद्र प्रसाद, आइएनएक्स मीडिया, एएससीएल एंड चेस मैनेजमेंट सर्विसेज के नाम आरोपियों के तौर पर हैं। अंतिम रिपोर्ट में आरोपी से सरकारी गवाह बनी इंद्राणी मुखर्जी का नाम भी शामिल है। रिपोर्ट भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दायर की गई है।

एसआइटी ने कमलेश हत्याकांड में कई जगह की छापेमारी

शाहजहांपुर (उप्र), 21 अक्तूबर (भाषा)।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछले हफ्ते हुए हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी हत्याकांड के संदिग्ध हत्यारों की तलाश में विशेष जांच दल (एसआइटी) ने शाहजहांपुर के कई होटलों और मदरसों में छापे मारे।

एसआइटी ने लखनऊ के नाका हिंडोला इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद संदिग्ध हत्यारों की तलाश के लिए शाहजहांपुर में रविवार देर रात से सोमवार दोपहर तक अनेक स्थानों पर छापामार कार्रवाई की।

हार्वर्ड की तर्ज पर आइआइटी दिल्ली बनाएगा 70 हजार करोड़ की अक्षयनिधि

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 अक्तूबर।

अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) दिल्ली भी अक्षयनिधि (एंडोमेंट फंड) बनाएगा। संस्था का लक्ष्य है कि इस निधि में 2025 तक दस लाख अमेरिकी डॉलर (वर्तमान के हिसाब से 70 हजार करोड़ रुपए) जमा किए जाएंगे। 31 अक्तूबर को राष्ट्रपति भवन में इस निधि की घोषणा की जाएगी। दो नवंबर को संस्थान 50वां पूर्व छात्र दिवस बनाएगा।

आइआइटी दिल्ली के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी और ब्रिटेन के अधिकतर विश्वविद्यालयों को पूर्व छात्रों से मिलने वाले दान से अक्षयनिधि बनाई जाती है।

न्यायमूर्ति कुरैशी की पदोन्नति के मामले पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने बंबई हाई कोर्ट के न्यायाधीश अकील कुरैशी को त्रिपुरा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने को लेकर दायर एक याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने पर सहमति जताई।

गुजरात हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी याचिका में न्यायमूर्ति कुरैशी को त्रिपुरा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने संबंधी शीर्ष अदालत के कॉलेजियम के फैसले को लागू करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की है। कॉलेजियम ने पहले न्यायमूर्ति कुरैशी को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी और बाद में केंद्र की एक सूचना पर संज्ञान लेने के बाद कॉलेजियम ने त्रिपुरा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका स्थानांतरण किया। गुजरात हाई कोर्ट अधिवक्ता संघ ने यह याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कॉलेजियम की सिफारिशों का केन्द्र द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank
(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड विदित)
CIN: L65110TH2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय: केआरएम टावर्स, 8वॉं तल, हैरिंग्टन रोड, चेतपेट, चेन्नई-600031
टेली.: +91 44 4564 4000, फैक्स: +91 44 4564 4022
प्राधिकृत अधिकारी: श्री अमृत पाल सिंह गिल/ सम्पर्क नं. +91-9999776185

शुद्धिपत्र

इंडियन एक्स्प्रैस तथा जनसत्ता-दिल्ली संस्करण में 16.10.2019 को प्रकाशित क्लाइन्ट का नाम- नवीन सेटिया की अचल सम्पत्ति की बिक्री सूचना के संदर्भ में।
सभी पाठकों को सूचित किया जाता है कि अनजाने में मुख्य आवेदक का नाम जो नितेश कलर लैब है, उपरोक्त विज्ञापन में प्रकाशित नहीं हुआ है। सूचना के अन्य सभी विषय-वस्तु पूर्ववत रहेंगे।

हस्ता./-
तिथि: 21.10.2019
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि.
(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फाइनंस लिमिटेड के नाम से विदित)

lemon tree HOTELS
लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड
(सीआईएन: L74899DL1992PLC049022)
पंजीकृत कार्यालय: एसेट संख्या 6, एरोसिटी हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट, नई दिल्ली-110037
दूरभाष: +91-11-4605 0101; फैक्स: +91-11-4605 0110
ईमेल: sectdeptt@lemontreehotels.com
वेबसाइट: www.lemontreehotels.com

सूचना

सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमावली, 2015 की नियमावली 47 के अनुपालन में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार, 13 नवम्बर 2019 को, अन्य विषयों के अतिरिक्त, 30 सितम्बर 2019 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्ध वर्ष हेतु कम्पनी के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों, एकल एवं समेकित दोनों आधार पर, विचार एवं अनुमोदन हेतु आयोजित की जायेगी।

यह जानकारी कम्पनी की वेबसाइट www.lemontreehotels.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों, जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध है, www.nseindia.com एवं www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड
हस्ताक्षर
निखिल सेठी
स्थान : नई दिल्ली — ग्रुप कम्पनी सचिव व जीएम लीगल
दिनांक: 21 अक्टूबर 2019 — एवं अनुपालन अधिकारी

MSTC LIMITED
CIN : L27320WB1964GOI026211
कोक की ई-नीलामी
... एमएसटीसी/ईआरओ/... बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड/4/लाल बाजार पुलिस स्टेशन/19-20/23157 दिनांक 06.11.2019 ... www.mstcecommerce.com ... www.mstcindia.co.in ... ssatyarthi@mstcindia.co.in ... arunkumar@mstcindia.co.in

इण्डियन ओवरसीज बैंक
(पानीपत शाखा, एससीएफ 36, सेक्टर. 11-12, हूडा, जिला पानीपत)
दूरभाष: 0180-2660852, ई-मेल आईडी: iob3042@ibo.in

(परिशिष्ट IV) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) [नियम 8(1)]

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में इण्डियन ओवरसीज बैंक का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदारों/गिरवीकर्ताओं/जमानतियों **मैसर्स रितिका ट्रांसपोर्ट कं. (साझेदार-श्री प्रताप सिंह मलिक एवं श्रीमती सुमन मलिक), दुकान नं. 125, सेक्टर-25, ट्रांसपोर्ट नगर, पानीपत-132103 (इसके पश्चात 'कर्जदार' कहा जायेगा), श्री प्रताप मलिक पुत्र श्री ईश्वर सिंह निवासी ग्राम रिसालू, जिला पानीपत, श्रीमती सुमन मलिक पत्नी श्री प्रताप मलिक निवासी ग्राम रिसालू, जिला पानीपत, श्री सतीश कुमार पुत्र भल्ले राम निवासी ग्राम व पोस्ट बिंझोल जिला पानीपत, श्रीमती राजबाला पत्नी श्री राजेश मलिक निवासी ग्राम रिसालू, जिला पानीपत, श्रीमती नीना मलिक पत्नी श्री संदीप मलिक ग्राम रिसालू, जिला पानीपत** को वसूली की तिथि तक सूचना में उल्लिखित राशि रु. 1,82,10,056.52/- **(रुपये एक करोड़ बयासी लाख दस हजार छप्पन तथा बावन पैसे मात्र)** तथा अनुबन्ध दर पर भावी ब्याज एवं बकायों, प्रभारों आदि का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहते हुए 10.05.2019 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।

(1) कर्जदारों द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदारों को तथा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त अपनी शक्तियों के उपयोग में **16 अक्टूबर, 2019** को नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदारों तथा जनसामान्य को सम्पत्ति के साथ संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार 30.09.2019 तक राशि रु. 1,88,52,114.52/- (रुपये एक करोड़ अठासी लाख बावन हजार एक सौ चौदह तथा बावन पैसे मात्र) तथा माँग सूचना में उल्लिखित उपर्युक्त तिथि से माँग सूचना के निर्गमन के पश्चात पुनर्भुगतान की राशि, यदि कोई हो, घटाकर उसके भुगतान की तिथि तक के सहमत अनुबन्ध दरों पर ब्याज तथा बकायों, प्रभारों आदि के लिए इण्डियन ओवरसीज बैंक के प्रभार का विषय होगा। कब्जा करने की तिथि तक 30.09.2019 तक बकाया देय रु. 1,88,52,114.52/- (रुपये एक करोड़ अठासी लाख बावन हजार एक सौ चौदह तथा बावन पैसे मात्र) है जो भुगतान की तिथि तक अनुबन्ध दरों पर भावी ब्याज तथा बकायों, प्रभारों आदि सहित देय है।

(2) प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उन्हें उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदारों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री ईश्वर सिंह एवं श्री सतीश कुमार पुत्र श्री भल्ले राम के नाम पर दुकान सं. 125, सेक्टर-25, ट्रांसपोर्ट नगर, हुडा पानीपत, हरियाणा, पिन 132103 पर स्थित सम्पत्ति का समस्त भाग जिसकी सीमा निम्नलिखित है:
पूर्व की ओर : सतबीर की दुकान सं. 124, पश्चिम की ओर : खेड़ा साहब की दुकान सं. 126, उत्तर की ओर : सड़क, दक्षिण की ओर : गर्ग की दुकान।

दिनांक : 16.10.2019, स्थान : पानीपत — अधिकृत प्राधिकारी, इण्डियन ओवरसीज बैंक

सूचना

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 47 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अन्य बातों के साथ-साथ 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्धवार्षिक हेतु बैंक के गैर लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने एवं अनुमोदन के लिए बैंक के निदेशक मंडल की बैठक **बुधवार, 30 अक्टूबर, 2019** को आयोजित की जाएगी।
उक्त सूचना बैंक के वेबसाइट **www.unitedbank.co.in** तथा स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट **www.nseindia.com** एवं **www.bseindia.com** पर उपलब्ध है।

कृते युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
ह/-
स्थान : कोलकाता — सुस्मिता मजुमदार
तिथि : 21 अक्टूबर, 2019 — कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया United Bank of India
प्रधान कार्यालय : 11, हेमन्त बसु सरणी, कोलकाता - 700 001
www.unitedbank.co.in

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
खारी बावली, दिल्ली, फोन: 011-23977578/फैक्स: 011-23926310

सांकेतिक कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति के लिए)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन (अधिनियम) 2002 के अंतर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, खारी बावली, दिल्ली शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 01.4.2019 जारी कर ऋणधारकों नाम, मै. थंडी राम जय नाराण एवं श्री राकेश कुमार (गारन्टर), श्री बिशन चंद (गारन्टर),श्री नरेश कुमार (गारन्टर) तथा मै. सुमंगलम कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि. (गारन्टर) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 75435900/- (रुपये सात करोड़ चौवन लाख पैंतीस हजार नौ सौ मात्र) के साथ ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 18 अक्टूबर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उक्त खाता में 75435900/- (रुपये सात करोड़ चौवन लाख पैंतीस हजार नौ सौ मात्र) के साथ ब्याज तथा उपरोक्त रूप में लागतों के लिये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चार्ज के अधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

1. 360, 361 तथा 362, कत्रा हुसेन, खारी बावली, दिल्ली-110006 में ग्राउण्ड एवं मेजेनिन तल में दुकान
2. खेवत नं. 207 मिन, खाता नं. 291 मिन, किल्ला नं. 77/1/2 मिन साउथ ईस्ट (2-11), खेवत नं. 112, खाता नं. 172 मिन, किल्ला नं. 77/10 (3-6) मिन, नार्थ ईस्ट, ग्राम- बाजिदपुर सबोली, सोनीपत, मनहारी रोड, कुण्डली, हरियाणा में प्लॉट एवं भवन।
3. 1164 (नया नं.), पुराना नं. 598, वार्ड नं. III, बरादरी, नॉवेल्टी सिनेमा के पीछे (फाटक हबास खान), दिल्ली-110006 में आवासीय सम्पत्ति।

तिथि: 18.10.2019 — प्राधिकृत अधिकारी,
स्थान: दिल्ली — यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

डीसीबी बैंक लिमिटेड DCB BANK
शाखा: 7/56, 3रा तल, देश बंधु गुप्ता रोड, करोलबाग, नई दिल्ली-110005
ईमेल आईडी: www.dcbbank.com
टेली: (011) 4516060/45016055

"परिशिष्ट-IV- ए (नियम 8(6) का प्रावधान देखें
अचल ,सम्पत्ति की बिक्री के लिये नीलामी बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक के पास चार्ज्ड अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री
एतद्द्वारा आम जनता तथा ऋणधारक, सह-ऋणधारक तथा विशेष रूप से गारन्टरों को अधोहस्ताक्षरी द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित सम्पत्ति डीसीबी बैंक लि. नई दिल्ली के पास गिरवी है। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने 16.9.2019 को वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत उसका भौतिक कब्जा कर लिया है अधोलिखित बकाये तथा अधोलिखित विवरणों के अनुसार आगे के ब्याज, चार्जेज तथा लागत आदि की वसूली के लिये निविदा सह सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से सम्पत्ति की बिक्री की जायेगी: सम्पत्ति की बिक्री ''जैसा है जहां है'' तथा ''जो भी वहां है'' शर्त पर की जाएगी।

ऋणधारक एवं गारन्टरों का नामः	इन्द्रजीत सिंह, कुलदीप सिंह कपूर हरजीत कौर कपूर, मै. बाबाजी प्रिन्ट पैक	
गिरवी सम्पत्ति का विवरणः	फ्लैट नं.-डी-2, प्रथम तल टाइप-ए, ऑरिएण्टल एन्क्लेव, आई.पी. एक्स्टेंशन, पटपरगंज, दिल्ली-110092	
आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी)	निरीक्षण की तिथि एवं समय
रु. 97,50,000/- (रुपये सत्तानवे लाख पचास हजार मात्र)	रु. 9,75,000/- (रुपये नौ लाख पचहत्तर हजार मात्र)	8.11.20019 को 11.30 पूर्वा. से अप. तक
नीलामी की तिथि एवं समय : 26.11.2019 को 12.30 अप. से 4.00 बजे अप. तक.		

कब्जा का प्रकार : भौतिक

अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त सम्पत्ति की खरीद के लिये इच्छुक क्रेता/बोलीदाताओं से मुहरबंद लिफाफे में प्रस्ताव आमंत्रित है। इच्छुक क्रेता 25.11.2019 को 4.30 बजे सायं या उससे पूर्व डीसीबी बैंक लि. 7/56, 3रा तल, देश बंधु गुप्ता रोड, नई दिल्ली-110005 में अधोहस्ताक्षरी राशि के लिये डीसीबी बैंक लि., नई दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के साथ मुहरबंद लिफाफे में उपरोक्त सम्मत्ति के लिये अपना प्रस्ताव भेज सकते हैं। मुहरबंद प्रस्ताव को नीलामी की तिथि 26.11.2019 को 12.30 बजे अप. में खोला जायेगा यदि बोली सफल नहीं हो तो बिना ब्याज के ईएमडी वापस लौटा दी जायेगी।
इच्छुक क्रेता अधिकत उपरोक्त तिथि तक सम्पत्ति/परिसम्पत्ति को निरीक्षण कर सकते हैं जिसके लिये उन्हें श्री श्यामसुन्दर चंधोक अथवा श्री मयंक दत्त चौधरी (011-450160-45016055) से सम्पर्क करना होगा। नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया लिंक **www.dcbbank.com /cms/showpage/customer-corner** देखें।

हस्ता./-
तिथि: 22.10.2019 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: दिल्ली — डीसीबी बैंक लिमिटेड

प्रारूप संख्या आईएनसी-26
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय, भारत सरकार के सक्षम
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के मामले में
और
एडीएम एग्रो इंडस्ट्रीज लातुर एण्ड वाइज़ाग प्राइवेट लिमिटेड, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 807, न्यू डेल्ही हाउस, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001, भारत, सीआईएन U15143DL1991PTC083071 में स्थित है, के मामले में

सूचना

आम जनता को यह नोटिस दी जाती है कि **एडीएम एग्रो इंडस्ट्रीज लातुर एण्ड वाइज़ाग प्राइवेट लिमिटेड** ("यह कंपनी") केन्द्रीय सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय "**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली**" से "**हरियाणा राज्य**" में स्थानांतिरित करने के लिए तारीख 16 सितम्बर 2019 को आयोजित वार्षिक साधारण अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।
कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण में यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिनमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र कॉरपोरेट मामले मंत्रालय, बी-ब्लॉक, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भेजेगा।
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : 807, न्यू डेल्ही हाउस, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001

एडीएम एग्रो इंडस्ट्रीज लातुर एण्ड वाइज़ाग प्राइवेट लिमिटेड के लिए या उसकी ओर से
क्षिरोध अग्रवाल
तारीख: 21 अक्टूबर 2019 — निदेशक
स्थान: गुरुग्राम — डीआईएन: 07290927

प्रारूप संख्या आईएनसी-26
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय, भारत सरकार के सक्षम
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के मामले में
और
एडीएम एग्रो इंडस्ट्रीज कोटा एण्ड अकोला प्राइवेट लिमिटेड, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 807, न्यू डेल्ही हाउस, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001, भारत, सीआईएन U15493DL1991PTC205408 में स्थित है, के मामले में

सूचना

आम जनता को यह नोटिस दी जाती है कि **एडीएम एग्रो इंडस्ट्रीज कोटा एण्ड अकोला प्राइवेट लिमिटेड** ("यह कंपनी") केन्द्रीय सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमे कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय "**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली**" से "**हरियाणा राज्य**" में स्थानांतिरित करने के लिए तारीख 16 सितम्बर 2019 को आयोजित वार्षिक साधारण अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।
कपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण में यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिनमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र कॉरपोरेट मामले मंत्रालय, बी-ब्लॉक, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भेजेगा।
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : 807, न्यू डेल्ही हाउस, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001

एडीएम एग्रो इंडस्ट्रीज कोटा एण्ड अकोला प्राइवेट लिमिटेड के लिए या उसकी ओर से
सुमित रोहतगी
तारीख: 21 अक्टूबर 2019 — निदेशक
स्थान: गुरुग्राम — डीआईएन: 07491424

खबर कोना

रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टैस्ट मैच के तीसरे दिन एक अलग मुद्रा में भारतीय कप्तान विराट कोहली।

करिअर का 1500वां मैच खेलने उतरेंगे फेडरर

बासेल, 21 अक्तूबर (एएफपी)।

रोजर फेडरर सोमवार को जब बासेल में 10वें खिताब के लिए चुनौती पेश करेंगे तो अपने करिअर का 1500वां मैच खेलकर नई उपलब्धि हासिल कर लेंगे। दुनिया के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी 38 साल के फेडरर करिअर का 103वां खिताब जीतने के अभियान की शुरुआत जर्मनी के क्वालीफायर पीटर गोजोविक के खिलाफ करेंगे। बीस बार के ग्रैंडस्लैम विजेता फेडरर ने जर्मनी के खिलाड़ी को इससे पहले दो बार हराया है। पहली बार बॉल ब्वॉय के रूप में स्विट्जरलैंड के इस इंडोर टूर्नामेंट में उतरे फेडरर ने कहा, मुझे तैयारियों में तेजी लानी पड़ी क्योंकि मुझे सोमवार से शुरुआत करनी थी। उन्होंने कहा, मैं पहले ही शुक्रवार और शनिवार को बासेल में अभ्यास कर चुका हूं। फेडरर पिछली 12 बार से इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच रहे हैं।

बांग्लादेश के खिलाफ फैसला कोहली को लेना है : गांगुली

कोलकाता, 21 अक्तूबर (भाषा)

बीसीसीआइ के भावी अध्यक्ष सौरव गांगुली ने सोमवार को कहा कि बांग्लादेश के खिलाफ तीन नवंबर से शुरू हो रही टी-20 श्रृंखला खेलने का फैसला कप्तान विराट कोहली को लेना है। ऐसी अटकलें हैं कि कोहली टी-20 श्रृंखला से बाहर रह सकते हैं लेकिन इंदौर और कोलकाता में दो टेस्ट खेलेंगे। कोहली ने विभिन्न प्रारूपों में पिछले 56 में से 48 मैच खेले हैं। गांगुली ने यहां बंगाल क्रिकेट संघ मुख्यालय पर पत्रकारों से कहा, मैं 24 अक्तूबर को उनसे मिलूंगा। मैं उनसे उसी तरह बात करूंगा जैसे बीसीसीआइ अध्यक्ष कप्तान से बात करता है। वह कप्तान है और फैसला उन्हें लेना है। अब तक दोहरे शतक समेत 529 रन बना चुके रोहित शर्मा की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, मैं रोहित के लिए बहुत खुश हूं। मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि वह विश्व स्तरीय बल्लेबाज है। हमें पता है कि वह क्या कर सकता है।

सरफराज टैस्ट टीम से बाहर, कादिर का बेटा टी-20 टीम में

कराची, 21 अक्तूबर (भाषा)।

पाकिस्तान ने आस्ट्रेलिया में टी-20 अंतरराष्ट्रीय और टैस्ट श्रृंखला के लिए अपने जमाने के दिग्गज लेग स्पिनर अब्दुल कादिर के पुत्र सहित पांच नए चेहरे टीम में शामिल किए हैं जबकि हाल में बर्खास्त किए गए कप्तान सरफराज अहमद को नजरअंदाज किया गया है। लेग स्पिन आलराउंड 26 वर्षीय उस्मान को टी-20 टीम में चुना गया है। वह पिछले सत्र में आस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग में खेले थे। यह कयास लगाए जा रहे थे कि अगर उन्हें पाकिस्तानी टीम में नहीं चुना जाएगा तो वह आस्ट्रेलिया में बस जाएंगे। सीनियर खिलाड़ी शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज और अहमद शहजाद को भी टी-20 टीम में नहीं चुना गया है। पूर्व कप्तान सरफराज को टीम में नहीं चुना गया है। उनकी जगह पर दोनों प्रारूपों में विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को रखा गया है। मुख्य चयनकर्ता मिसबाह उल हक ने टीम की घोषणा की जिसमें बल्लेबाज खुशदिल शाह, तेज गेंदबाज मूसा खान और उस्मान को टी-20 टीम में पहली बार जगह मिली है। मूसा खान और नसीम शाह के अलावा बाएं हाथ के स्पिनर कासिफ भट्टी को टैस्ट टीम में लिया गया है।

लगातार तीसरी जीत की दहलीज पर

भारत को 3-0 से श्रृंखला कब्जाने के लिए चाहिए दो विकेट

रांची, 21 अक्तूबर (भाषा)।

मोहम्मद शमी और उमेश यादव की तूफानी गेंदबाजी से भारत ने दक्षिण अफ्रीका को फालोआन देने के बाद दूसरी पारी में भी उसका स्कोर आठ विकेट पर 132 रन करके तीसरे और अंतिम क्रिकेट टैस्ट मैच के तीसरे दिन श्रृंखला 3-0 से अपने नाम करने की ओर कदम बढ़ाए।

फालोआन के बाद शमी (10 रन पर तीन विकेट) और उमेश (35 रन पर दो विकेट) ने जल्द ही दक्षिण अफ्रीका का स्कोर पांच विकेट पर 36 रन कर दिया। जार्ज लिंडे (27), डेन पीट (23) और थ्यूनिस डि ब्रून (नाबाद 30) ने हालांकि भारत का इंतजार चौथे दिन तक बढ़ा दिया। दिन का खेल खत्म होने पर एनरिच नोर्टजे पांच रन बनाकर डि ब्रून का साथ निभा रहे थे। भारत ने पहली पारी नौ विकेट पर 497 रन बनाने के बाद घोषित की थी जिससे दक्षिण अफ्रीका अब भी 203 रन पीछे है जबकि उसके सिर्फ दो विकेट शेष हैं। भारत विशाखापत्तनम और पुणे में पहले दो टैस्ट जीतकर पहले ही श्रृंखला में 2-0 से आगे चल रहा है।

इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की टीम उमेश (40 रन पर तीन विकेट), शमी (22 रन पर दो विकेट), रविंद्र जडेजा (19 रन पर दो विकेट) और पदार्पण कर रहे शाहबाज नदीम (22 रन पर दो विकेट) की उम्दा गेंदबाजी के सामने पहली पारी में 56.2 ओवर में 162 रन पर ढेर हो गई और उसे फालोआन के लिए मजबूर होना पड़ा। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे जुबैर हमजा (62) के अलावा टीम का कोई बल्लेबाज टिककर नहीं खेल पाया। फालोआन खेलने उतरे दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में भी शुरुआत अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकाक (05) लगातार दूसरी पारी में नाकाम रहे। उन्होंने शमी की पारी की पहली गेंद पर चौके से खाता खोला लेकिन उमेश ने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर उन्हें बोल्ड कर दिया।

शमी ने 10 रन देकर तीन विकेट चटकाए।

शमी और उमेश की घातक गेंदबाजी के आगे नहीं टिके अफ्रीकी बल्लेबाज

दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में 132 रन पर आठ विकेट गंवा दिए, अभी भी चाहिए 203 रन

उमेश ने 35 रन पर दो विकेट झटके।

तीसरा टैस्ट
तीसरा दिन

शमी ने इसके बाद पहली पारी के शीर्ष स्कोरर हमजा (00), कप्तान फाफ डु प्लेसिस (04) और तेंबा बावुमा (00) को पवेलियन भेजकर दक्षिण अफ्रीका के मध्यक्रम को ध्वस्त किया। शमी ने बाहर की ओर मूव होती गेंद पर हमजा को बोल्ड किया जबकि डुप्लेसिस इस तेज गेंदबाज की अंदर की ओर आती नीची गेंद पर पगबाधा हुए। बावुमा ने शमी के अगले ओवर में विकेटकीपर साहा को कैच थमाया। अगले ओवर में उमेश की तीसरी गेंद सलामी बल्लेबाज डीन एल्गर (16) के हेलमेट में लगी जिससे वह पिच पर ही गिर गए और अंपायरों ने उसी समय चाय का विश्राम लेने का फैसला किया। इस समय टीम का स्कोर चार विकेट पर 26 रन था।

एल्गर को ब्रेक के दौरान बेहाशी जैसी स्थिति की जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया और वह इसके बाद रिटायर्ड हर्ट हो गए। आइसीसी की बेहोशी जैसी स्थिति से जुड़े नए नियमों के आधार पर दक्षिण अफ्रीका ने थ्यूनिस डि ब्रून को उनके विकल्प के तौर पर खिलाने का फैसला किया।

कर्णी सिंह रेंज पर भिड़े निशानेबाज, सदस्यता रद्द

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर (भाषा)।

भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के एथलीट आयोग ने सोमवार को कर्णी सिंह निशानेबाजी रेंज पर दो निशानेबाजों में हुई हाथापाई की जांच शुरू करने के साथ त्वरित कार्रवाई का वादा किया है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने दोनों निशानेबाजों बाबर खान और योगिंदर पाल सिंह की सदस्यता रद्द कर दी है। राष्ट्रीय महासंघ ने मामला एथलीट आयोग को सौंप दिया है जिसके अध्यक्ष पूर्व अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज मुराद अली खान है।

रेंज पर रविवार को दो निशानेबाज शेड्यूल को लेकर तीखी बहस के बाद आपस में भिड़ गए। मुराद ने एजंसी से कहा, जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जल्दी ही इसका नतीजा आएगा। हम एनआरएआइ अध्यक्ष को अपने सुझाव भेजेंगे ताकि कार्रवाई को सके। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ दोनों निशानेबाजों को नहीं बल्कि उस समय मौजूद सभी लोगों से बात करेंगे। इससे पहले एनआएआइ ने अनुशासन का उल्लंघन होने पर निशानेबाजों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया। एनआरएआइ के एक अधिकारी ने कहा, एनआरएआइ ने इस मामले को एथलीट आयोग के पास भेज है और इसकी जांच करने के लिए कहा है। इसके साथ ही साइ ने उनकी 'भुगतान करो और खेलो' योजना की सदस्यता को रद्द कर दिया है।

उमेश के बाउंसर से अचेत हुए एल्गर

रांची, 21 अक्तूबर (भाषा)।

दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज डीन एल्गर भारत के खिलाफ तीसरे टैस्ट में उमेश यादव का बाउंसर लगने के बाद अचेत हो गए और अब इस मैच में आगे नहीं खेल सकेंगे।

चाय ब्रेक के बाद एल्गर ने यादव की शार्टपिच गेंद को खेलने की कोशिश की जो उनके कान के ऊपर से गई और वह मैदान पर ही गिर गए। उन्हें चिकित्सा सहायता लेनी पड़ी। वह उस समय 29 गेंद पर 16 रन बनाकर खेल रहे थे।

दक्षिण अफ्रीका के मीडिया मैनेजर ने एक बयान में कहा, डीन एल्गर की स्थिति का आकलन किया जा रहा है। जैसे ही कोई ताजा जानकारी होगी, मैं आप तक पहुंचा दूंगा। मैच रैफरी ने उनके विकल्प के तौर पर थ्यूनिस डि ब्रून को खिलाने पर मंजूरी दे दी है। इससे पहले आस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशेन लार्ड्स पर एशेज टैस्ट में स्टीव स्मिथ की जगह और वेस्ट इंडीज के जर्मेन ब्लैकवुड भारत के खिलाफ डेरेन ब्रावो की जगह इसी तरह खेले थे।

डीन एल्गर जमीन पर पड़े हुए।

साहा के दाएं हाथ की उंगली चोटिल, आखिरी घंटे में पंत ने की विकेटकीपिंग

रांची, 21 अक्तूबर (भाषा)।

भारत की पहली पसंद के टैस्ट विकेटकीपर ऋद्धिमान साहा तीसरे टैस्ट क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी के दौरान चोटिल हो गए जिसके कारण तीसरे दिन के अंतिम घंटे में ऋषभ पंत को विकेटकीपर की जिम्मेदारी निभानी पड़ी।

पुणे में दूसरे टैस्ट में अपनी बेहतरीन विकेटकीपिंग से सभी का ध्यान खींचने वाले 35 साल के साहा के दाएं हाथ उंगली (अनामिका) में चोट लगी है।

वह पारी के 27वें ओवर में ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर चोटिल हो गए थे। बंगाल के इस विकेटकीपर का चोटों से पुराना नाता रहा है। कंधे की चोट और फिर आपरेशन के कारण वह 20 महीने तक राष्ट्रीय टीम से बाहर रहे थे।

फ्रेंच ओपन में फार्म हासिल करने के इरादे से उतरेंगी सिंधू

पेरिस, 21 अक्तूबर (भाषा)।

विश्व चैंपियन पीवी सिंधू मंगलवार से यहां शुरू हो रहे 7,50,000 डालर इनामी फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल में जब अपने अभियान की शुरुआत करेंगी तो उनकी नजरें फार्म हासिल करने पर टिकी होंगी।

अगस्त में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप खिताब जीतने के बाद से सिंधू खराब फार्म से जूझ रही हैं और इस दौरान वह तीन टूर्नामेंट में दूसरे दौर से आगे बढ़ने में नाकाम रहीं। सिंधू पिछले महीने चीन ओपन के दूसरे जबकि कोरिया ओपन के पहले दौर में हार गई जबकि पिछले हफ्ते उन्हें डेनमार्क ओपन में भी दूसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा। ओलंपिक रजत पदक विजेता सिंधू की मूवमेंट पिछले तीन टूर्नामेंट में कुछ धीमी नजर आई जिससे उनकी फार्म में गिरावट आई। पांचवीं वरीय और 2017 में सेमी फाइनल में जगह बनाने वाली सिंधू को पहले दौर में कनाडा की दुनिया की नौवें नंबर की खिलाड़ी मिशेल ली का सामना करना है जिन्होंने इससे पहले दो बार भारतीय खिलाड़ी को हराया है।

दुनिया की छठे नंबर की खिलाड़ी सिंधू अगर शुरुआती दौर के मुकाबले जीत लेती हैं तो उन्हें क्वार्टर फाइनल में शीर्ष वरीय चीनी ताइपे की ताइ जू यिंग से भिड़ना पड़ सकता है। दुनिया की आठवें नंबर की खिलाड़ी साइना नेहवाल भी फिटनेस को लेकर जूझ रही हैं और पिछले तीन टूर्नामेंट में पहले दौर में ही बाहर हो गईं।

पत्नी अंजलि और बेटे अर्जुन के साथ मतदान करने के बाद सचिन।

बेहतर भविष्य के लिए मतदान करें : तेंदुलकर

मुंबई, 21 अक्तूबर (भाषा)।

दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने महाराष्ट्र में हो रहे विधान सभा चुनावों में मतदान करने के बाल सोमवार को लोगों से बड़ी संख्या में लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने की अपील की।

तेंदुलकर के अलावा संदीप पाटिल, दिलीप वेंगसरकर, विनोद कांबली और रमेश पोवार जैसे क्रिकेटरों के अलावा कई ग्रैंडस्लैम विजेता महेश भूपति ने भी चुनाव में मतदान किए। मास्टर ब्लास्टर ने पत्नी अंजलि और बेटे अर्जुन के साथ बांद्रा उपनगर स्थित मतदान केंद्र में मतदान किया। इस मौके पर इस महान बल्लेबाज ने वरिष्ठ नागरिकों का उलाहरण लेते हुए लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की गुजारिश की। उन्होंने कहा, आज मैंने सामाचार पत्र में कुछ ऐसा पढ़ा जो आसान नहीं है लेकिन यह प्रतिबद्धता लर्शाता है। लेख में तीन वरिष्ठ नागरिकों का जिक्र था जिसमें व्हीलचेयर का इस्तेमाल करने वाले एक 94 साल के बुजुर्ग मतदान के लिए जाने वाले हैं। लो अन्य वरिष्ठों की उम्र 100 और 106 साल है, जो मतदान के लिए जाने की कोशश करेंगे। उन्होंने कहा, मुझे लगता है, हम अपना भविष्य बदल सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। आप जिसका समर्थन करते हैं, जिस पर भरोसा है, आपको उसके लिए मतदान करना चाहिए।

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और 1983 में विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे पाटिल ने मध्य मुंबई के शिवाजी पार्क स्थित मलतान केंद्र में मतदान किया। लिग्गज बल्लेबाज लिलीप वेंगसरकर ने वर्ली स्थित केंद्र में अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया। मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ।

NxtGen Infinite Datacenter presents

The Indian EXPRESS EXCELLENCE IN GOVERNANCE AWARDS

Indian Express Group

HONOURING THE FINEST DISTRICT MAGISTRATES IN INDIA

CALL FOR ENTRIES

The Indian Express announces the second edition of The Indian Express Excellence in Governance Awards. The award celebrates District Magistrates across the nation who have been the agents of progress and change.

AWARD CATEGORIES

- Agriculture
- Border Districts
- Child Development
- Community Involvement
- Education
- Energy
- Entrepreneurship
- Health
- Implementation of Central Schemes
- Inclusive Innovation
- Jammu & Kashmir District
- Left Wing Extremism Districts
- North East Districts
- Skill Development
- Social Welfare
- Technology Implementation
- Water Management
- Women Development

To apply visit **eigawards.indianexpress.com**

LAST DATE FOR ENTRIES | DECEMBER 31, 2019

The Indian EXPRESS — JOURNALISM OF COURAGE

IndianExpress.com/apps twitter.com/IndianExpress facebook.com/IndianExpress

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 338, *हवाई शुल्कः* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना- एक रुपए।

दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।